लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES
तृतीय माला
Third Series

खण्ड ३०, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXX, 1964 / 1886 (Saka)

[१५ से २८ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र से ८ वैशाख, १८८६ (शक)]

15th to 28th April, 1964/ Chaitra 26 to Vaisakha 8, 1886 (Saka)

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३० में अंक ५१ से ६० तक हैं)

(Volume XXX contains Nos. 51 to 60)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची

[अंक ५८—शनिवार, २५ अप्रैल, १९६४/५ बैशाख, १८८६ (शक)]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
	***तारांकित**	
	प्रश्न संख्या	
११७२	आसनसोल की नीमचा कोयला खान में दुर्घटना . .	४४५१—५३
११७३	लापता विमान . . .	४४५३—५५
११७५	समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण	४४५५–५६
११७६	दलाई लामा का यात्रा कार्यक्रम .	४४५६—५९
११७७	आर्मी आर्डनेंस कोर में पदावनति .	४४५९–६०
११७९	चीन द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन	४४६०—६२
११८०	विद्रोही नागाओं के साथ वार्ता	४४६२—६६
११८१	"पेट्रियॉट" के अंशधारी	४४६६—६९
११८२	लंका में भारतीय उद्भव के राज्यविहीन व्यक्ति . .	४४६९—७१
११८३	लंका के निवासियों द्वारा भारतीय मछुओं पर गोली चलाया जाना	४४७१–७३
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—	४४७३—४५०३
	तारांकित	
	प्रश्न संख्या	
११७१	दिल्ली तथा पंजाब में व्यावसायिक मार्ग दर्शन . .	४४७३
११७४	सेना द्वारा दंगों पर नियंत्रण . .	४४७३
११७८	कराची में भारतीय समाचारपत्र संवाददाता .	४४७४
११८४	प्रेस सूचना कार्यालय में समाचारपत्रों की फाइलों की चोरी	४४७४
११८५	हैदराबाद में भूतपूर्व सैनिक . . .	४४७४–७५
११८६	शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त का कार्यालय	४४७५
११८७	पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन .	४४७६
११८८	आकाशवाणी के लिये नया ट्रांसमिटर	४४७६
११८९	सामाजिक सुरक्षा योजना	४४७७

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 58. *Saturday April*, 25. 1964/*Vaisakha* 5, 1886 (*Saka*)

	SUBJECT	PAGES
	Member Sworn	4451
	Oral Answers to Questions	4451—73
Starred Questions Nos.		
1172	Accident at Nimcha Colliery, Asansol .	4451-53
1173	Missing Aircraft	4453-55
1175	Manufacture of Marine Diesel Engines .	4455-56
1176	Dalai Lama's Tour Programme .	4455-59
1177	Reversions in A.O.C.	4459-60
1179	Indian Air Space Violations by Chinese . .	4460-62
1180	Talks with Hostile Nagas . .	4462-66
1181	Share-holders of "Patriot"	4466-69
1182	Stateless Persons of Indian Origin in Ceylon .	4469-71
1183	Firing on Indian Fishermen by Ceylonese .	4471-73
	Written Answers to Questions—	4473—4503
Starred Questions Nos.		
1171	Vocational Guidance in Delhi and Punjab . .	4473
1174	Control of Riots by Army	4473
1178	Indian Press Correspondents in Karachi . .	4474
1184	Theft of Newspaper Files in P.I.B. .	4474
1185	Ex-Servicemen in Hyderabad	4474-75
1186	Office of the Assistant High Commissioner for Pakistan in Shillong	4475
1187	Indian Air Space Violations by Pakistanis .	4476
1188	New Transmitter for A.I.R.	4476
1189	Social Security Plan	4477

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या

११६०	बर्मा से भारतीयों का निष्क्रमण .	४४७८
११६१	पाकिस्तानी गुरिल्ला सेना के कमान्डेंट . . .	४४७८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या

२४४४	मद्रास में काम दिलाऊ दफ्तर . .	४४७६
२४४५	राम गंगा परियोजना पर राडार लगाना	४४८०
२४४६	भारतीय विदेश सेवा	४४८०
२४४७	नई छावनियां . . .	४४८१
२४४८	भूटान और सिक्किम में सीमांत सड़कें . .	४४८१
२४४६	नेफा में वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन	४४८१–८२
२४५०	आकाशवाणी समाचार . .	४४८२
२४५१	प्लाटून कमांडर का पाकिस्तान में निरोध	४४८३
२४५२	पाकिस्तान में भारतीय डाकू .	४४८३
२४५३	विशाखापत्तनम में नौसैनिक अड्डा .	४४८३
२४५४	उत्तर प्रदेश में श्रम कल्याण अधिकारी .	४४८४
२४५५	रांची के समीप फाढ़ी में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र	४४८४
२४५६	नेफा में सड़कें .	४४८५
२४५७	सामुदायिक रेडियो सेट	४४८५
२४५८	भूमापन भवन .	४४८५–८६
२४५६	जैसोर जिले में पाकिस्तानी सैनिक केन्द्र .	४४८६
२४६०	विविध भारती	४४८६
२४६१	उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के सीमावर्ती क्षेत्र में विस्फोट	४४८६–८७
२४६२	बेरोजगार लोगों को सहायता .	४४८७
२४६३	आर्मी आर्डनेंस कोर में पदवृद्धियां	४४८७
२४६४	आर्मी आर्डनेंस कोर . .	४४८८
२४६५	सेवा निवृत्त सेना पदाधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	४४८८–८६
२४६६	फील्ड आर्डनेंस डिपुओं के कर्मचारी	४४८६
२४६७	आर्मी आर्डनेंस कोर में पुष्टिकरण .	४४८६

Written Answers to Questions--*contd.*

Starred Questions Nos.	Subject	PAGES
1190	Exodus of Indians from Burma.	4478
1191	Commandant of Pakistani Guerilla Force . . .	4478–79
Unstarred Questions Nos.		
2444	Employment Offices in Madras . . .	4479
2445	Radar Installation on Ram Ganga Project . . .	4480
2446	Indian Foreign Service . .	4480
2447	New Cantonments . . .	4481
2 48	Border Roads in Bhutan and Sikkim . . .	4481
2449	Conference of Senior Officers of NEFA .	4481–82
2450	A.I.R. News Bulletin	4482
2451	Platoon Commander's Detention in Pakistan .	4483
2452	Indian Dacoit in Pakistan.	4483
2453	Naval Base at Vishakhapatnam . .	4483
2654	Labour Welfare Officers in U.P. . . .	4484
2455	Technical Training Centre at Phadi near Ranchi	4484
2456	Roads in NEFA . .	4485
2457	Community Listening Sets . .	4485
2458	Geodesio Domes	4485–86
2459	Pakistan Military Station in Jessore District	4486
2460	Vividh Bharati	4486
2461	Explosions in Border area of NEFA . .	4486–87
2462	Relief to Unemployed .	4487
2463	Promotions in A.O.C. .	4487
2464	Army Ordnance Corps	4488
2465	Re-employment of Superannuated Service Officers	4488–89
2466	Staff in Field Ordnance Depots . .	4489
2467	Confirmations in Army Ordnance Corps .	4489

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२४६८	पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के बारे में फिल्म	४४९०
२४६९	आकाशवाणी, कटक	४४९०
२४७०	छावनी बोर्ड, अम्बाला	४४९०–९१
२४७१	पंजाब में छावनी बोर्ड	४४९१
२४७२	गैर सरकारी विमान कम्पनियों से विमान	४४९१
२४७३	असैनिक आर्डनेंस अफसर	४४९२
२४७४	आर्मी आर्डनेंस कोर में आर्डनेंस अफसरों (असैनिक) को स्थायी बनाना	४४९२
२४७५	आर्मी आर्डनेंस कोर में विस्तार कार्यक्रम	४४९२–९३
२४७६	विस्थापित व्यक्तियों को पेंशनें	४४९३–९४
२४७७	उत्तर प्रदेश में अधिसूचित रिक्त स्थान	४४९४
२४७८	मीणा जाति के लोगों की भर्ती	४४९४
२४७९	परामर्शदाता समितियां	४४९५
२४८०	रेगिस्तानी लड़ाई	४४९५
२४८१	विदेशों में भारतीय दूतावास	४४९५–९६
२४८२	लोक सहायक सेना	४४९६–९७
२४८३	मिनिकाय द्वीप में नाविक स्कूल	४४९७
२४८४	नौशहरा के निकट पाकिस्तान द्वारा गोली चलाया जाना	४४९७
२४८५	प्रतिरक्षा सेवा पिदाधिकारियों को व्यापार प्रबन्ध का प्रशिक्षण	४४९७–९८
२४८६	अंदमान में कार्मिक संघ	४४९८
२४८७	हज यात्री	४४९८–९९
२४८८	भारत में मोनाको का दूत	४४९९
२४८९	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव का पद	४४९९
२४९०	प्रतिरक्षा उपक्रमों में सेवानिवृत्त कर्मचारी	४४९९–४५००
२४९१	प्रतिरक्षा कर्मचारियों का बसाया जाना	४५००
२४९२	वस्त्र उद्योग में भविष्य निधि योजना	४५००
२४९३	जम्मू में पाकिस्तानियों द्वारा छापः	४५०१
२४९४	दिल्ली में पंजीकृत बेरोजगार	४५०१
२४९५	कारखानों के मख्य सलाहकार के कार्यालयों के पदाधिकारी	४५०१–०२

Written Answers to Questions—*contd.*

Starred Questions Nos.	Subject	PAGES
2468	Film on Minority Community from East Pakistan	4490
2469	A.I.R. Cuttack	4490
2470	Cantonment Board, Ambala	4490–91
2471	Cantonment Boards in Punjab	4491
2472	Aircraft from Private Air Companies	4491
2473	Civilian Ordnance Officers	4492
2474	Confirmation of Ordnance Officers (Civilian) in A.O.C.	4492
2475	Expansion Programme in A.O.C.	4492–93
2476	Pensions to Displaced Persons	4493–94
2477	Vacancies Notified in U.P.	4494
2478	Recruitment of Meenas	4494
2479	Consultative Committees	4495
2480	Desert Warfare	4495
2481	Indian Mission Abroad	4495–96
2482	Lok Sahayak Sena	4496–97
2483	Sailors School in Minicoy Island	4497
2484	Pak. Firing near Naushera	4497
2485	Training of Defence Services Officers in Business Management	4497–98
2486	Trade Unions in Andamans	4498
2487	Haj Pilgrims	4498–99
2488	Monaco's Envoy in India	4499
2489	Post of Secretary in I. & B. Ministry	4499
2490	Retired Personnel in Defence Undertakings	4499–500
2491	Rehabilitation of Defence Personnel	4500
2492	Provident Fund Scheme in Textile Industry	4500
2493	Pak. Raid in Jammu	4501
2494	Unemploye Persons Registeed rin Delhi	4501
2495	Officers with Chief Adviser, Factories	4501–02

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२४९६	श्रम समस्याओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता	४५०२
२४९७	श्रमिक प्रतिकर अधिनियम, १९२३ . .	४५०२
२४९८	कोयला खान मजदूरों के लिये आवास . .	४५०३
२४९९	कोयला खान श्रम कल्याण उपकर . .	४५०३
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	४५०३–०४
	प्राक्कलन समिति—	
	चौवनवा प्रतिवेदन	४५०४
	सभा का कार्य	४५०४—०७
	विधेयक पुरः स्थापित— . .	
	१. विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६४ . . .	४५०७–०८
	२. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६४ .	४५०८
	३. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६४ .	४५०८
	आधे-घण्टे की चर्चा के बारे में	४५०९
	अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६४	४५०९—१२
	खण्ड १३ से २५ और १	
	पारित करने का प्रस्ताव .	४५११–१२
	श्री विभुधेन्द्र मिश्र .	४५१२
	गोआ, दमन और दीव न्यायिक आयुक्त का न्यायालय (उच्च न्यायालय घोषित करना) विधेयक—	
	विचार करने का प्रस्ताव .	४५१२—२०
	श्रीमती लक्ष्मी मेनन	४५१२—१७
	श्री दाजी . .	४५१२–१३
	श्री नि० चं० चटर्जी . . .	४५१३–१४
	श्री सिंहासन सिंह . .	४५१४
	श्री शिकरे	४५१;–१५
	श्री शं० शा० मोरे	४५१५–१६
	श्री अल्वारेस	४५१६
	डा० मा० श्री अणे	४५१६
	श्री सोनावने	४५१६–१७
	श्री स० मो० बनर्जी	४५१७

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGES
2496	I.L.O. Aid on Labour Problems	4502
2497	Worksmen's Compensation Act, 1923	4502
2498	Housing for Coal Mines Workers	4503
2499	Coal Mines Labour Welfare Cess	4503
	Papers laid on the Table	4503–04
	Estimates Committee—	
	Fifty-fourth Report	4504
	Business of the House	4504–07
	Bills introduced—	
	1. Appropriation (No. 3) Bill, 1964	4507–08
	2. Oil and Natural Gas Commission (Amendment) Bill, 1964	4508
	3. Indian Medical Council (Amendment) Bill, 1964	4508
	Re: Half-an-Hour discussion	4509
	Advocates (Amendment) Bill, 1964	4509–12
	Clauses 13 to 25 and 1	4511–12
	Motion to pass	
	Shri Bibudhendra Misra	4512
	Goa, Daman and Diu Judicial Commissioner's Court (Declaration as High Court) Bill.	
	Motion to Consider	4512—20
	Shrimati Lakshmi Menon	4512–17
	Shri Daji	4512–13
	Shri N.C. Chatterjee	4513–14
	Shri Sinhasan Singh	4514
	Shri Shinkre	4514–15
	Shri S. S. More	4515–16
	Shri Alvares	4516
	Dr. M. S. Aney	4516
	Shri Sonavane	4516–17
	Shri S. M. Banerjee	4517

विषय	पृष्ठ
खण्ड २ से ८ और १	४५१८—२०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—	
श्रीमती लक्ष्मी मेनन . .	४५२०
संविधान (सवहवां संशोधन) विधेयक,—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४५२०—३२
श्री विभुधेन्द्र मिश्र .	४५२०–२१
श्री रंगा	४५२१—२४
श्री पु० र० पटेल	४५२५–२६
श्री ब० प्र० सिंह	४५२६–२७
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी . .	४५२७—२९
श्री करुथिरमण . . .	४५२९–३०
श्री क० ना० तिवारी . . .	४५३०–३१
श्री अ० शं० आल्वा .	४५३१
श्री काशी राम गुप्त . .	४५३१–३२
संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय राजदूत के बारे में आधे घण्टे की चर्च f.	४५३२—३४
श्री हेम बरुआ	४५३२–३३
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	४५३३–३४
श्री लाल बहादुर शास्त्री	४५३४

Subject	PAGES
Clauses 2 and 8 and 1 . . .	4518–20
Motion to pass, as amended	
Shrimati Lakshmi Menon	4520
Constitution (Seventeenth Amendment) Bill—	
Motion to consider, as reported by Joint Committee . .	4520–32
Shri Bibudhendra Misra . .	4520–21
Shri Ranga	4521–24
Shri P.R. Patel	4525–26
Shri B. P. Sinha	4526–27
Shri Surendranath Dwivedy .	4527–29
Shri Karuthiruman . .	4529–30
Shri K.N. Tiwary	4530–31
Shri A. S. Alva	4531
Shri Kashi Ram Gupta	4531–32
Half-an-Hour Discussion re: Indian Ambassador in U.A.R.	4532–34
Shri Hem Barua	4532–33
Shrimati Lakshmi Menon	4533–34
Shri Lal Bahadur Shastri	4534

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, २५ अप्रैल, १९६४/ ५ बैशाख, १८८६ (शक)

Saturday, April 25, 1964/Vaisakha 5, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBER SWORN

अध्यक्ष महोदय : सचिव उन माननीय सदस्य का नाम पुकारें जो कि संविधान के अधीन शपथ ग्रहण करने अथवा प्रतिज्ञान करने आये हैं ।

सचिव : श्री आर० काशीनाथ डोरई ।

अध्यक्ष महोदय : संसद् कार्य मन्त्री सभा को माननीय सदस्य का परिचय दें ।

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमन्, मुझे श्री आर० काशीनाथ डोरई का, जो कि मुथुरालिंग तेवर की मृत्यु के कारण हुए रिक्त स्थान पर मद्रास के अरुप्पुकोट्टाई निर्वाचन-क्षेत्र से लोक-सभा के लिये चुने गये हैं, आपसे और आपके द्वारा सदन से परिचय कराते हुए बड़ी प्रसन्नता है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आसन सोल की नीमचा कोयला खान में दुर्घटना

*११७२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ फरवरी, १९६४ को आसनसोल की नीमचा कोयला-खान में छत गिर जाने के कारण एक खनक मर गया था ;

(ख) क्या कुछ अन्य खनकों को भी चोटें आईं ;

(ग) क्या मृत खनक के परिवार को प्रसादतः भुगतान किया गया है ; और

(घ) यदि कोई जांच की गई है, तो उससे क्या पता चला है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) जी, हां। खान की दीवार के गिरने से एक मजदूर मर गया था।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां। २०० रुपये।

(घ) जांच से यह पता चला कि एक टेक लगाते समय, इमारती लकड़ी के एक मजदूर पर दीवार से लगभग ४·२ मीटर की ऊंचाई से कोयले का टुकड़ा गिर पड़ा था। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। यदि दीवारों को समतल करके और सहारा लगा कर सुरक्षित बनाया हुआ होता, जैसा कि कोयला खान विनिमय, १९५७ के विनियम १०२ और १०८ के अधीन अपेक्षित है, तो इस दुर्घटना को होने से रोका जा सकता था।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह जो बार बार दुर्घटनायें हो रही हैं जिनमें लोगों की मृत्यु हो जाती है और श्रमिकों को भारी चोटें आती हैं उनको देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी कुछ आम बातों का पता लगाया है जिनके कारण यह दुःखद घटनायें होती हैं ?

श्री र० कि० मालवीय : जहां तक खानों में दुर्घटना के लिये उत्तरदायी बातों का सम्बन्ध है वे सबको अच्छी तरह ज्ञात हैं। यह एक संकटमय व्यवसाय है और इसमें दुर्घटनायें अपरिहार्य हैं। परन्तु मैं सदन के सूचनार्थ यह बता दूं कि हमारे देश में घातक दुर्घटनाओं की संख्या अन्य देशों की तुलना में सबसे कम है। अमेरिका में घातक दुर्घटनाओं की संख्या २·३७ प्रति हजार है। जबकि हमारे देश में यह ०.६५ प्रति हजार है।

श्री प्र० रं०चक्रवर्ती : अप्रैल, १९६३ से लेकर मार्च १९६४ तक कुल कितनी दुर्घटनायें हुई हैं और कितने कोयला खान मालिकों पर मुकदमे चलाये गये हैं ?

श्री र० कि० मालवीय : मुझे इस प्रश्न की सूचना दी जाये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या मृतक के परिवार को दिये जाने वाले अन्तिम प्रतिकर का हिसाब लगा लिया गया है और यदि हां, तो वह धन राशि कितनी है ?

श्री र० कि० मालवीय : श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अधीन दिये जाने वाला आम प्रतिकर दिया जायेगा। प्रतिमाह अथवा प्रति दिन के वेतन के आधार पर इसका हिसाब लगाया जायेगा।

श्री प० ना० कयाल : ऐसे मामलों में अमेरिका में कितना प्रतिकर दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : इसको जानने की माननीय मन्त्री को आवश्यकता नहीं है।

Shri Vishram Prasad : How much compensation will be paid to the family of the deceased with the help of which his children may survive and receive education ?

Mr. Speaker : There are certain rules according to which it will be paid.

श्री विश्राम प्रसाद : परन्तु जो गणना की होगी उसका कुछ तो आधार होगा।

अध्यक्ष महोदय : गणना के आधार के सम्बन्ध में संगत कागजात माननीय सदस्य के लिये प्राप्य हैं और वह इसे देख सकते हैं।

Shri Yashpal Singh : Do the Government intend to amend the Coal Mines Act to provide more safety measures in the mines ?

Shri R. K. Malviya : So far as safety measures are concerned, the existing regulations are already very strict and they are changed as and when necessary. We are recently going to introduce a scheme under which a miner will not be allowed to enter the mines unless he completes his training.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मन्त्री के ध्यान में यह बात लाई गई है कि खान-मालिक इरादतन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं और यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवही की गई है कि सुरक्षा नियम उचित रूप से लागू किये जायें, और क्या इस सम्बन्ध में यूनियन का सहयोग मांगा गया है ?

श्री र० कि० मालवीय : जहां तक इन नियमों का सम्बन्ध है इसके लिये इन्सपैक्टर रखे हुए हैं जो कि समय समय निरीक्षण करते हैं। जब भी कभी कोई दुर्घटना हो तो, कानून के अधीन, प्रत्ये क खान-मालिक को इसकी सूचना देनी चाहिये। और जब कभी दुर्घटना की बात बता दी जाती है तो तुरन्त उसकी जांच की जाती है और यदि प्रबन्ध अथवा मालिक को अपराधी पाया जाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है तथा उसे दण्ड दिया जाता है।

Shri K.N. Tiwary : Is there any provision to employ the members of families of those workers who get disabled while working ?

Shri R.K Malviya : Mostly members of their families are given employment, but if a worker gets injured in a mine he is given such work which he can do in that condition.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार को यह पता है कि नियमों के उल्लंघनों की जांच करने के लिये सरकार ने जो निरीक्षणालय और साधन स्थापित किये थे वे बेकार हो गये हैं और कानून की प्रक्रिया विलम्बकारी है और यदि हां, तो क्या सरकार ने खानों में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये इस सारी व्यवस्था के कार्यकरण का पुनिवलोकन करने के लिये कोई उपाय खोजा है ?

श्री र० कि० मालवीय : उसका निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है और निरीक्षक सामयिक रिपोर्ट देते हैं। महीने में लगभग २० दिन उन्हें घर से बाहर रह कर कार्य करना पड़ता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : परन्तु क्या वास्तव में वे ऐसा करते हैं ?

श्री र० कि० मालवीय : दुर्भाग्यवश, यह सब है कि हमारे पास पर्याप्त निरीक्षक नहीं हैं और ऐसा कुछ कठिनाइयों के कारण है जिन्हें हल करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।

लापता विमान

+

*११७३. { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ फरवरी, १९६४ को श्रीनगर से ऊधमपुर जाते हुए, जो भारतीय

वायुसेना का "इल्यूशिन १४" विमान लापता हो गया था, उसकी खोज के कार्य में लगा एक विमान भी लापता हो गया है ;

(ख) क्या ये घटनायें पाकिस्तान द्वारा स्थापित एक गुप्त स्टेशन से गलत संकेत दिये जाने के कारण हो रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में हमारे विमानों की सुरक्षा के लिये क्या पूर्वोपाम किये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इल्यूशिन १४ विमान के लापता होने के मामले में, पाकिस्तान के किसी स्टेशन द्वारा गलत संकेत दिये जाने की प्रत्येक सम्भावना है। तथापि, इस सम्बन्ध में भारतीय वायुसेना के विमान चालकों को उपयुक्त अनुदेश दे दिये गये हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : गत बारह महीनों में अथवा इसके लगभग ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनके बारे में सरकार को यह विश्वास है कि उन मामलों में पाकिस्तानी रेडियो सिगनल्स द्वारा गलत संकेत दिये गये गये थे ? और क्या चीन और पाकिस्तान के बीच सांठ-गांठ होने के पश्चात् ऐसे मामलों की वृद्धि हुई ई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : वास्तव में, इस 'इल्यूशिन' विमान की दुर्घटना के पश्चमत् जब हमारे कुछ विमान उसकी तलाश में गये थे तो हमें पहली बार गलत संकेत दिये जाने वाली इस बात का पता लगा था और इसके पश्चात् अक्सर ऐसा हुआ है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि जब सरकार ने 'इल्यूशिन–१४' विमान की दुर्घटना के बारे में पाकिस्तान को एक विरोध पत्र भेजा तो पाकिस्तान सरकार ने उस विरोध पत्र का अपमानजनक भाषा और ढंग में उत्तर दिया था और भारत सरकार पर भी यह आरोप लगाया था कि वह अपनी निजी अक्षमता को पाकिस्तान के विरुद्ध आरोप लगा कर छिपाने का प्रयत्न कर रही है, और यदि हां, तो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को उसका क्या उत्तर भेजा था ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण इस समय तो उनका उत्तर मेरे पास नहीं है परन्तु निश्चय ही हमारे आरोप का उन्होंने खण्डन किया था। परन्तु उनके ठीक-ठीक शब्द इस समय मुझे ज्ञात नहीं हैं। मैं समझता हुं कि वह हमारे लिये अपमानजनक नहीं था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह एक बड़ी विषम स्थिति है कि हम इस विमान का पता भी नहीं लगा सके हैं। क्या उस विरोध पत्र को भेजने के अतिरिक्त, पाकिस्तान सरकार से यह कहने का कोई प्रयत्न किया गया है कि वह भी इस विशेष विमान का पता लगाने में हमारी सहायता करे क्योंकि यह सीमा के निकट लापता हुआ था ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जहां तक पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में उसे खोजने का प्रयत्न करने का सम्बन्ध है, निश्चय ही हम उनसे सहायता करने के लिये कह सकते हैं और हमने इसके लिये उनसे सरकारी स्तर पर तथा चीफ आफ स्टाफ के द्वारा कहा भी था, परन्तु हमेशा उन्होंने यही उत्तर दिया है कि वह विमान वहां पर नहीं है। जहां तक हमारे राज्य-क्षेत्र का सम्बन्ध है, हम निरन्तर इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं। अब भी हम इसके लिये प्रयत्नशील हैं ;।

श्री कपूर सिंह : क्या पाकिस्तान द्वारा इस खतरनाक गुप्त स्टेशन की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय आचार के सर्वसम्मत सिद्धान्तों के अधीन एक शत्रुतापूर्ण कार्य नहीं है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस प्रकार गलत संकेत देना निश्चय ही एक बहुत बुरी बात है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं। जहां तक सरकार की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है, हमने इस बारे में एक विशेष पत्र भेज दिया है।

श्री हेम बरुआ : यह कहा गया था, और तदनुसार पाकिस्तान सरकार को भी बताया गया था कि पाकिस्तान के एक गुप्त स्टेशन द्वारा गलत संकेत दे कर 'इल्यूशिन–१४' विमान को पाकिस्तान राज्य क्षेत्र में बुला लिया गया था। माननीय मंत्री ने यह अभी स्वीकार किया है कि बाद में हमारे विमानों ने उस गुप्त स्टेशन के होने का पता लगा लिया था। क्या पाकिस्तान में इस गुप्त स्टेशन के होने के बारे में खोजी विमानों को पर्याप्त चेतावनी दे दी गई थी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी, हां, हमने इस बारे में उन्हें पर्याप्त अनुदेश दे दिये हैं जिससे वे भी गलत संकेतों के चक्कर में न आ जायें।

श्री स० मो० बनर्जी : एक कड़ा विरोध-पत्र भेजने के अतिरिक्त पाकितान में इस दुर्घटना-ग्रस्त विमान का पता लगाने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ? क्या हमारे उच्चायुक्त ने कुछ किया है ? क्या उसने कोई खोजी दल भेजा था ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इसका उत्तर मैंने दे दिया है। वह एक खोजी दल नहीं भेज सकता। निश्चय ही वह इस बात को पाकिस्तान सरकार के साथ उठा सकता है और यह उसने किया है।

Shri Vishram Prasad : This air-craft has been undectected since 17th February. Where is that air-craft after all ; whether it is in India or Pakistan or elsewhere ?

Mr. Sepaker : It has not so far been located.

Shri Visham Prasad : Why it could not be located ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह विशिष्ट निदेश दे दिये हैं कि वे पाकिस्तान से आने वाले इन गलत संकेतों को न मानें ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी, हां।

समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण

\+

*११७५. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
{ **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री डीजल इंजनों के निर्माण के लिये कारखाना स्थापित करने के हेतु एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था; और

642 LSD—2.

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) जी, हां।

(ख) समुद्री डीजल इंजनों के निर्माण के लिये पश्चिम जरमनी के मैसर्स एम० ए० एन० के साथ एक सहयोग करार किया गया है और यह कार्य गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता को सौंप दिया गया है ?

(मद्रास के निकट) इन्नौर में भूमिका सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा परियोजना की विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

श्री धुलेश्वर मीना : इस कारखाने की स्थापना में कितना रुपया और समय लगेगा ?

श्री रघुरमैया : वर्तमान अनुमानों के अनुसार इसमें लगभग ५ करोड़ रुपये की पूंजी लागत लगेगी और इसमें १ करोड़ ५० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का व्यय होगा।

श्री धुलेश्वर मीना : क्या यह कारखाना विदेशी सहयोग से स्थापित किया जायेगा और यदि हां, तो किस देश के सहयोग से ?

श्री रघुरमैया : किसी ऋण करार के अधीन विदेशी सहयोग प्राप्त करके इसको स्थापित करने का प्रस्ताव है। परन्तु वास्तव में वह हमारा अपना निजी कारखाना होगा।

Dr. Govind Das : Can these Marine Diesel Engines be manufactured in public sector factories at present engaged in manufacturing various types of machines ?

श्री रघुरमैया : जी नहीं। उनके लिने विशेष प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि पहले इस कारखाने को आंध्र प्रदेश में स्थापित करने का विचार था और यदि हां, तो सरकार को स्थान परिवर्तन किन कारणों से करना पड़ा ?

श्री रघुरमैया : मेरे मंत्री होने से पहले की जानकारी मेरे पास नहीं है परन्तु मेरा अनुमान है कि निम्नलिखित बातों के कारण सरकार इस अतिन्म निर्णय पर पहुंची होगी: (१) यह कोचीन और बम्बई के बीच किसी स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिये, (२) वहां पर सहायक उद्योग पर्याप्त रूप में विकसित रहे होंगे जिससे इस परियोजना का काय शीघ्रतापूवक किया जा सकेगा! और (३) मद्रास में नये प्रतिरक्षा कारखाने भी खोले जा रहे हैं जिनकी सुविधायें इन कारखानों को भी उपलब्ध हो सकती हैं।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : इसका अनुमानित उत्पादन कितना होगा ?

श्री रघुरामैया : यह एक ऐसा पहलू है जिसका योजना आयोग तथा अन्य निकाय विशेषरूप से अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि दूसरे जहाज बनाने के कारखाने और इस देश में जितने जहाज बनाये जायेंगे उनसे इसका सम्बन्ध होगा।

श्री कपूर सिंह : यह इंजन पनडुब्बी में भी लगाया जा सकेगा ?

श्री रघुरमैया : मैं ऐसे ही नहीं बता सकता।

दलाई लामा का यात्रा कार्यक्रम

+

*११७६. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलाई लामा के विदेश यात्रा कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो वे किन किन देशों की यात्रा करेंगे; और

(ग) क्या उन्होंने भारत सरकार से कोई सहायता मांगी है और यदि हां, तो किस प्रकार की ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : बिना विभाग के मंत्री ने एक दिन सदन में यह बताया था कि दलाई लामा के छोटे भाई ने विदेशों में, विशेष रूप से, बौद्ध देशों में, दलाई लामा के जाने के सम्बन्ध में अपनी अभिरुची व्यक्त की थी । विदेशों के इस दौरे को रोकने के लिये तब से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : तब से कुछ भी नहीं हुआ है । अभी तो इस योजना को अन्तिम रूप दिया जाना है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पाकिस्तान ने काश्मीर का एक नकली मुफ्ती बनाया है जो कि विदेशों में जायेगा तथा प्रचार करेगा । हमारे यहां तो असली दलाई लामा है, जिसके लिये, वैदेशिक-कार्य मंत्री के कथनानुसार, विदेशों में लोगों की सहानुभूति तथा समर्थन प्राप्त है, अर्थात् तिब्बतियों के लिये उनकी सहानुभूति है । तिब्बत के स्वातंत्र्य के लिये इस सहानुभूति तथा समर्थन का उपयोग करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether Dalai Lama expressed his wish for such a tour at any time prior to this also and sought any assistance from the Government of India ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, नहीं । पहली बार ही दलाई लामा के भाई ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि हाल ही में चीन ने भारत सरकार को एक बहुत ही कड़ा विरोध-पत्र भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में राजनीतिक प्रचार करने के लिये हम ने दलाई लामा को बहुत सुविधायें दे रखी हैं ? यदि हां, तो क्या इसी कारण से भारत सरकार

ने उनकी विदेश यात्रा के कार्यक्रम को फिर से तैयार किया है अथवा दलाई लामा को विदेशों में जाने से रोक दिया है ? इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर दिया जाये ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह चीनियों का प्रचार है और इससे भारत सरकार की योजनायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या विदेश यात्रा के दौरान दलाई लामा को सरकारी अतिथि के रूप में माना जायेगा ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् ये सब बातें उठेंगी ।

Shri Bibhuti Mishra : Do Government propose to assist Dalai Lama in going to aborad and explaining his difficulties to various Governments ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जहां तक हम जानते हैं, वह कुछ बौद्ध देशों की यात्रा करना चाहते थे । यदि वह उन देशों की यात्रा करना चाहें तो, जैसा कि पहले भी एक दिन बताया जा चुका है, सरकार उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह था कि जब कि, स्वयं मंत्रालय के कथनानुसार ही, भारत में तिब्बती शरणार्थियों के लिये विदेशों में इतनी सहानुभूति तथा समर्थन प्राप्त है, तो उसका लाभ उठाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : क्योंकि भारत सरकार इसे आवश्यक नहीं समझती थी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्यों ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसके कुछ अलग कारण हैं जिन्हें मैं सदन को बताना नहीं चाहती ।

श्री रंगा : दलाई लामा अथवा उनके किसी प्रतिनिधि ने कब यह प्रस्ताव किया था कि वह विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं और इसके लिये सरकार से आवश्यक सुविधायें लेना चाहते हैं ? सरकार ने इसमें इतना समय क्यों लिया है और उसका क्या कारण है कि अब भी वह कोई निर्णय नहीं ले रही है ?

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : इस मामले में दलाई लामा अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा पहल की जानी चाहिये । जैसा कि मैं पहले सदन में बता चुका हूं हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है । वास्तव में तो यदि दलाई लामा बाहर जायेंगे तो, यदि आवश्यक हुआ तो, हम उन्हें सुविधायें प्रदान करेंगे । उनके भाई हाल ही में मुझे मिले थे और उन्होंने इस मामले पर बातचीत नहीं की थी; कुछ अन्य मामलों पर उन्होंने बातचीत की थी । इसलिये जब तक वे इस बारे में निर्णय न करें, हम आगे कार्यवाही नहीं कर सकते । जहां तक श्री माथुर के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम इस रूप में उनका उपयोग करना पसन्द नहीं करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मैं आप को और बिना विभाग के मंत्री को यह याद दिला दूं कि लगभग ६ महीने पहिले पिछली बार जब यह सवाल सदन में उठाया गया था तो कुछ असमंजस की स्थिति हो गई थी और दूसरे ही दिन बिना विभाग के मंत्री के पहिले दिन दिये गये उसके उत्तर में शुद्धि करनी पड़ी थी ? क्या आज मंत्री महोदय दृढ़तापूर्वक यह बताने की स्थिति में हैं कि इस मामले में चीनी सरकार द्वारा चाहे कैसा भी विरोध पत्र अथवा अभ्यावेदन भेजा जाये,

भारत सरकार दलाई लामा को विदेशों में जाने देने के लिये उनको दिये गये अपने वचन पर दृढ़ रहेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : निश्चय ही आप यह आशा कर सकते हैं। चाहे मैं छोटा और कमजोर दीखता होऊं, परन्तु सरकार निश्चित ही बहुत दृढ़ है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्रीमन्, मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने यह कहा है कि वे दलाई लामा का एक विशेष ढंग में उपयोग नहीं करना चाहते; मैं ने कभी यह नहीं कहा कि भारत दलाई लामा का उपयोग करे। मेरा प्रश्न अलग था। तिब्बत की मुक्ति हमारे द्वारा दलाई लामा के उपयोग से ही थोड़े ही होगी। यह तो स्वयं दलाई लामा और तिब्बतियों का अपना कार्य है। मैंने यह कभी सुझाव नहीं दिया कि हम उनका उपयोग करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री बारूपाल।

Shri P. L. Barupal : How much expenditure has been incurred on Dalai Lama since his arrival from Tibet to India ? (*Interruption*)

Mr. Speaker : The Hon. Member may leave this issue.

श्री शिंकरे: भारत सरकार दलाई लामा को ठीक किस रुप में मानती है—देश निष्काषित राज्य प्रधान के रूप में अथवा साधारण व्यक्ति के रूप में अथवा इन दोनों के बीच के किसी रूप में ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ऐसी कोई विशेष रूप में मानने वाली बात नहीं है। वह अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में यहां आये थे और भारत सरकार ने उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की है और भविष्य में भी करती रहेगी।

आर्मी आर्डनेन्स कोर में पदावनति१

\+

*११७७. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेडा : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से आर्डनेन्स आफ्फिसर्स (सिविलियन) को पदावनत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनों को तथा पदावनति से आर्मी आर्डनेन्स कोर के निम्न स्तर के कर्मचारियों की स्थिति पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार को पता है कि प्रस्तावित पदावनति के कारण निम्न श्रेणी के 'सिविलियन' कर्मचारियों में काफी असंतोष है, और

(घ) यदि हां, तो आपातकाल को दृष्टि में रखते हुए इस स्थिति को टालने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आर्मी आर्डनेन्स कोर में सेना अधिकारियों के लिये ठीक पदों पर ८९ व्यक्तियों को आर्डनेन्स आफिसर्स (सिविलियन) के रूप में स्थानापन्न आधार पर पदोन्नत किया गया था । सेना अधिकारियों के जुलाई।अगस्त, १९६४ तक इन पदों पर लगा दिये जाने की आशा है । कितने लोगों के पदावनत होने की संभावना है यह बताना इस समय संभव नहीं है । नीचे के स्तरों पर होने वाले प्रभाव का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह विभिन्न अधीनस्थ श्रेणियों में उपलब्ध रिक्त स्थानों तथा पदावनत व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगा ।

प्रभाव ग्रस्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से इस बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । स्थिति को टालने/पदावनतियों की संख्या घटाने के लिये कई उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश में नये आयुध कारखाने खुलने की संभावना है और यदि हां, तो वहां आर्मी आर्डनेन्स कोर के इन अफसरों से काम क्यों नहीं लिया जाता ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : इन सभी वैकल्पिक साधनों को परखा जा रहा है कि क्या ये नई सुविधायें उनके काम आ सकती हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सेना अधिकारियों की सेवायें मंत्रालय को वरिष्ठ अधिकारियों, आर्मी आर्डनेन्स कोर के अधिकारियों की सेवाओं से महंगी पड़ती हैं और यदि हां, तो क्या सेना अधिकारियों की सेवाओं की बजाय, जिनकी फ्रंट पर आवश्यकता होती है, उनकी सेवायें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में इस्तेमाल की जायेंगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रश्न केवल सेवाओं की लागत में बचत का नहीं है; प्रश्न कार्य-कुशलता का भी है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह विश्वास करने के कोई कारण हैं कि सिविलियन पदाली तथा मिलिटरी पदाली में---आर्डनेन्स कोर के सिविलियन अफसरों तथा सेना अफसरों के बीच--- सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं और इन सम्बन्धों को अच्छा बनाने के लिये विशेषत: आपातकाल को देखते हुए, क्या किया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं समझता हूं कि सिविल अफसरों तथा सैनिक अफसरों के बीच सम्बन्धों के बारे में यह निष्कर्ष ठीक नहीं है क्योंकि कुछेक हालतों में सिविलियन अफसरों को केवल स्थानापन्न आधार पर पदोन्नति दी गई थी । परन्तु जब हम ने अधिक सैनिक अधिकारी भर्ती किये तो उनके लिये व्यवस्था करनी जरूरी थी ।

चीन द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

*११७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक चीन के विमानों द्वारा भारतीय वायुसीमा का कितनी बार उल्लंघन किया गया है ;

(ख) इन घटनाओं का संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (ग). सरकार को मिली अब तक जानकारी के अनुसार १ जनवरी, १९६४ के बाद चीनी विमानों ने एक बार भारतीय वायुसीमा का उल्लंघन किया है। यह उल्लंघन १८ जनवरी, १९६४ को हुआ जब एक चीनी जेट विमान ११०९ बजे लेह पर उड़ा और उसके बाद लगभग ३५,००० फुट की ऊंचाई पर उसने एक ऐसे स्थान की ओर उड़ान की जो लेह के दक्षिण में ४५ सागरीय मील है । उसके बाद वायुयान पूर्व की ओर मुड़ा और ओझल हो गया। चीन सरकार से विरोध किया गया था परन्तु उन्होंने उल्लघन से इन्कार कर दिया है। पुनः विरोध किया गया है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार यह पता लगा पाई है कि क्या इस वायुयान का प्रयोजन सर्वेक्षण था या उपयोगी सामरिक जानकारी एकत्रित करना ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण): इस बारे में कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त नहीं थी और सभव है कि वायुयान की उड़ान पर्यवक्षण के लिये थी।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विरोध करने का कोई परिणाम न निकलने के बाद सरकार इस प्रश्न को राजदूतीय स्तर पर उठाने का विचार रखती है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यही किया जा रहा है।

Shri Yashpal Singh : The Hon. Defence Minister had stated on the last session that our army had been ordered to shoot down any aircraft which violates our air space. May I know how many Pakistani Planes have been shot down because they have violated our air space many times ?

Mr. Speaker : This question is regarding the Chinese aircraft and not that of Pakistan.

Shri Yashpal Singh : Let the hon. Minister give information about any aircraft, Chinese or Pakistani.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमने उनका कोई वायुयान नहीं गिराया है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान एक वर्ष पूर्व श्री चाऊ-एन-लाई के इस वक्तव्य की ओर गया था कि भारत सरकार भारतीय वायुसीमा का उल्लंघन करने वाले विमानों को गिरा कर देखें कि कि वे विमान किसके हैं—इस वक्तव्य से पता चलता है कि चीन को हमारे विमान गिराने की क्षमता का विश्वास नहीं है—और यदि हां, तो सरकार ने चीन को विश्वास दिलाने के लिये क्या कदम उठाये हैं कि भारत चाहे तो विमान गिरा सकता है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण: वास्तव में उसका उत्तर तो यही है कि उस सम्बन्ध में हम अपनी क्षमता बढ़ायें और यह तभी हो सकता है यदि हम अपनी राडार क्षमता को बढ़ायें जो उस इलाके में विशेष महत्व रखती है। हम आवश्यक उपाय कर रहे हैं परन्तु कुछ समय जरूर लगेगा।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझ से ?

श्री हेम बरुआ : क्या इस वक्तव्य से यह समझा जाये कि हमने अभी इतनी क्षमता का विकास नहीं किया है जिससे चीन को विश्वास हो जाये और श्री चाऊ-एन-लाई की चुनौती स्वीकार की जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मेरा भी इसमें हाथ है ?

श्री हेम बरुआ : जी नहीं । उन्होंने कुछ व्याख्या दी है और मैं प्रार्थना करता हूं कि उस पर प्रकाश डाला जाए ।

श्री कपूर सिंह : क्या इस बीच चीनियों ने कभी भारत द्वारा वायुसीमा के उल्लंघन की शिकायत की है और यदि हां, तो कितनी शिकायतों में कोई सार था ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस समय इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री प० ना० कयाल : क्या भारत सरकार को चीन से कोई शिकायत मिली है कि हमारे विमानों ने उनकी वायुसीमा का अतिक्रमण किया है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी यही प्रश्न पूछा गया था । सभा में जो हो रहा हो माननीय सदस्यों को उसकी ओर ध्यान रखना चाहिये ।

विद्रोही नागाओं के साथ वार्ता

+

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

*११८०. **श्री श्री नारायण दास :**
श्री स्वैल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री लहरी सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रैवरेंड माइकेल स्काट एक समिति में सम्मिलित होने के लिए भारत आये हैं जिसमें तीन और भारतीय भी हैं और जो छिपे हुए नागाओं को बाध्य करेगी कि नागालैंड सरकार के साथ शान्ति वार्ता करे ;

(ख) उनको किन परिस्थितियों में ऐसा करने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) क्या उक्त समिति को इस सम्बन्ध में कोई सफलता मिली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां ।

(ख) दागालैंड बेपटिस्ट कनवेंशन ने, जो नागालैंड में लगातार होने वाली गड़बड़ पर चिन्तित है, एक संकल्प स्वीकृत किया और उसमें कहा कि श्री जयप्रकाश नारायण, श्री शंकर राव देव, श्री बी० पी० चालिहा तथा रैवरेंड माइकेल स्टकाट विद्रोही नागाओं को मिलें और शान्ति स्थापित करने के मार्गोपाय ढूंढें। नागालैंड सरकार ने इस बात का समर्थन किया और जब बेपटिस्ट कनवेंशन ने रेग्रेंड माइकेल स्काट से कहा तो उन्होंने सहायता देने के लिये अपनी सहमति प्रकट की तथा २७ मार्च, १९६४ को दीमापुर पहुचे ।

(ग) उपरोक्त व्यक्तियों ने हाल ही में अपना काम आरम्भ किया है । इसलिए उनकी सफलता का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether Government have allowed Rev. Scott to go there knowing full well that he has been complicating the situation in Nagaland through foreign missionaries and has Govt. any reason to believe that he would be able to case the tension; if so, how far he has been successful in this regard and Govt. has looked into his antecedents ?

The Minister without Portfolio (Shri Lal Bahadur Shastri): Sometimes poison kills poison. There should therefore be no concern if, at times, an opponent can be useful. I may inform the hon. Member that Rev. Michael Scott does not stick to his earlier stand now, *i.e.*, Nagaland should be independent. He has made it clear that that is no longer his stand. He has been told—and he has admitted it—that he should try to bring about peace and reconciliation in Nagaland in accordance with the present constitutional position. Now, if he can help. we should accept it.

Shri Prakash Vir Shastri : While thanking the Govt. for having reconciled itself to the policy of poison killing poison, may I know from Shastriji whether Rev. Scott, who was permitted to go to Nagaland, went to certain parts f Assam without the permission of the Government of India and if so, its reaction in that Region ?

Shri Lal Bahadur Shastri : We follow the poison-kills-poison policy in a peaceful manner. It must not be interpreted in any other sense. If agreement is possible that way, it is all the more welcome.....

Shri Prakash Vir Shasrti : If poison is killed with poison in Kashmir also, it would be better.

Shri Lal Bahadur Shastri : Believe it that there also we shall deal peacefully. As far I know, he was not given the permission to go to Nagaland for a few days after his arrival. After that the Govt. allowed him. Therefore for the interim period he stayed somewhere in Assam but he did nothing of note.

Shri Prakash Vir Shastri : That was not my question. My question wa wherher Rev. Scott went to Assam whith the permission of the Govt. of ndia or without such a permission ?

Shri Lal Bahadur Shastri : I cannot say exactly at this moment as to when he went and how he went. If the hon. Member gives separate notice, I will give him the information.

Shri Prakash Vir Shastri : It is painful that a dangerous foreigner should go about the country without your information.

श्री कपूर सिंह : श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रश्न के लिये पूर्वसूचना की जरूरत नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या श्री स्काट के नागालैंड जाने से पहले सरकार ने अनुमति दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : यह कौन कहे कि उन्हें पूर्व सूचना चाहिये या नहीं ?

श्री कपूर सिंह : हमें पता लगना चाहिये कि अनुमति दी गई थी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यही तो वह कहती हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : रेवरेंड स्काट को नागालैंड जाने की अनुमति दी गई थी। **(अन्तर्बाधा)** आसाम जाने के लिये उन्हें किसी अनुमति की जरूरत नहीं है ।

श्री रा० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह शान्ति आन्दोलन विद्रोहियों को अच्छे प्रत्युत्तर के लिये तैयार कर पाया है या अभी तक वे अपने दृष्टिकोण में बटे हुए हैं जैसा कि १७ अप्रैल को कोटिया में हुई गड़बड़ से प्रमाणित होता है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं समझ नहीं पाया ।

अध्यक्ष महोदय : इस काम में कितनी सफलता मिली है और क्या इससे वहां शान्ति की कोई शर्तें तय हुई हैं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : उन्होंने हाल ही में काम शुरू किया है और नागा विद्रोहियों से अभी उन्होंने मिलना है ।

श्री हेम बरुआ : पिछले वर्ष रेवरेंड माइकल स्काट के नागालैंड के दौरे को हमारे प्रधान मंत्री ने अवांछनीय समझा था। अब क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि रेवरेंड माइकल स्काट चाहे चार सदस्यों वाली शान्ति समिति के सदस्य हैं परन्तु अकेले ही घूम फिर रहे हैं और नागा विद्रोहियों से मिल रहे हैं जैसे कि उन्होंने नागालैंड में जीलांग क्षेत्र में हाल ही में किया है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उन्हें या बेपटिस्ट मिशन को, जिसने यह शान्ति आन्दोलन चलाया है, साफ साफ बता दिया है कि यह समिति केवल सामूहिक रूप से ही काम कर सकती है और किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, नागालैंड में नागा विद्रोहियों से मिलने नहीं दिया जायेगा ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सारा प्रबन्ध नागालैंड सरकार द्वारा किया गया है । मुख्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिलाया है कि रेवरेंड माइकल स्काट अकेले नहीं घूम रहे हैं। उनके साथ बेपटिस्ट कनवेंशन के नेता होते हैं और इसलिये माननीय सदस्य की आशंका ठीक नहीं है।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह अकेले ही नहीं घूम रहे हैं। जानकारी का खंडन करने की कोई बात नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, क्या मैं आपकी जानकारी के लिये कह सकता हूं कि मेरा प्रश्न विशिष्ट रूप से यह था ? मैं जानना चाहता था कि क्या रेवरेंड स्काट नागालैंड में समिति के अन्य सदस्यों के साथ घूम रहे हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह नागालैंड में बेपटिस्ट कनवेंशन के किसी

आदमी के साथ घूमते हैं या नहीं। उन्होंने यह उत्तर दिया है कि वह किन्हीं और लोगों के साथ घूम रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह निर्णय करना नागालैंड सरकार का काम है कि वह अकेले घूमें या और लोगों के साथ। उन्हें सन्तोष है कि रेवरेंड स्काट उनकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या इससे यह समझा जाए कि भारत सरकार का इसमें कोई सम्बन्ध नहीं है और वह एक शान्तिदर्शक है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं और प्रश्नों की अनुमति नहीं देता।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : रेवरेंड माइकल स्काट ने नागालैंड की स्थिति के बारे में क्योंकि अपनी राय बदल ली है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बिना विभाग के मंत्री को विश्वास है कि नागा विद्रोही अभी तक रेवरेंड माइकल स्काट की राय से सहमत हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : नागालैंड के मुख्य मंत्री को रेवरेंड माइकल स्काट की नेकनीयती का विश्वास है और यह भी भरोसा है कि स्वतन्त्र नागालैंड के बारे में अब उनकी पहले वाली राय नहीं है। वह मानते हैं कि नागालैंड भारत का राज्य बन कर रहे और इसलिये उन्होंने उन्हें विद्रोहियों से मिलने की अनुमति दे दी थी। (**अन्तर्बाधा**)

श्री हेम बरुआ : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि वहां वे शिशु को सरकार के हवाले कर रहे हैं ..... (**अन्तर्बाधा**) क्या मुझे आपकी अनुमति प्राप्त है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। जब वह आज्ञा मांगते हैं और मैं नहीं देता तो वह कैसे बोलते जा सकते हैं ?

श्री हेम बरुआ : ये सब बातें झूठी हैं जो हमें गले उतारने को कहा जाता है। यही मुसीबत है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : पूर्वी भागों में, विशेषत: आसाम की पहाड़ियों में, धर्म प्रचारकों के संदिग्ध कामों को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार रेवरेंड माइकल स्काट के नागालैंड या भारत में घूमने-फिरने पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है। वह बेपटिस्ट कनवेंशन के निमंत्रण पर आए हैं और विद्रोहियों को मिलने के लिए उनके इधर-उधर आने-जाने में नागालैंड सरकार को कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। माननीय मंत्री ने बार बार कहा है कि रेवरेंड माइकल स्काट को नागालैंड में घूमने तथा नागा विद्रोहियों को मिलने के लिये अनुमति देना या न देना नागालैंड सरकार का उत्तरदायित्व है। हम जानना चाहते हैं कि क्या श्री नेहरू के अधीन चलने वाली भारत सरकार इस संकट की घड़ी में केवल एक शान्त दर्शक ही है।

श्री कपूर सिंह : हमें इस प्रश्न का सीधा उत्तर पाने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० आर० चक्रवर्ती।

कुछ माननीय सदस्य : प्रधान मंत्री खड़े हो रहे हैं ; वह उत्तर देना चाहते हैं ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): भारत सरकार को नागालैंड के नेताओं, वहां के मंत्रियों में विश्वास करने में पूरा सन्तोष है । एक बार जब उन्होंने श्री माइकल स्काट के लोगों से मिलने पर सहमति प्रकट की तो भारत सरकार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है ।

श्री हेम बरुआ : पिछले वर्ष आप सहमत नहीं हुए थे । आपने सभा में कहा था कि वह एक अवांछनीय व्यक्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैंने ऐसा कहा था और ऐसा ही मैंने समझा होगा । अब जब नागालैंड के नेताओं ने ऐसा कहा है तो मैं अलग तरीके से सोचता हूं और कहता हूं ।

श्री कपूर सिंह : हम सन्तुष्ट हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : रेवरेंड माइकल स्काट के व्यक्तित्व को देखते हुए और भारत से अलग होने के नागा विद्रोहियों के अधिकार के बारे में उनके स्पष्ट वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि भारत तथा नागा विद्रोहियों के बीच बिचौलिये के रूप में भारत सरकार उन पर कहां तक विश्वास रख सकती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: भारत सरकार के उन पर विश्वास करने का प्रश्न नहीं है ; प्रश्न तो नागालैंड के मंत्रियों के विश्वास करने का है; इस बारे में भारत सरकार ने उनकी बात मान ली ।

Shri Yashpal Singh : Is it justified to set free those Naga hostiles against whom there are charges of murder and disruption of law and order and whose greatest leader had gone to England without the permission of the Government of India ?

Mr. Speaker : That is altogether a different question.

"पेट्रियांट" के अंशधारी

***११८१. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दैनिक समाचारपत्र 'पेट्रियॉट' के १ मार्च, १९६४, के अंक में विधि के अनुसार प्रकाशित अंशधारियों के नामों की सूची की ओर गया है ;

(ख) क्या यह समझने का कोई कारण है कि 'एस० अमृत' से अमुक अंशधारी की वास्तविक पहचान नहीं हो पाती है ;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने का यत्न किया है कि वह व्यक्ति कौन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): (क) जी हां ।

(ख) सरकार को कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित सूचना के अतिरिक्त कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस बात को देखते हुए कि उल्लिखित प्रकाशित वक्तव्य मे अन्य सभी अंशधारियों के पूरे नाम और उपजातियां दी गई हैं, क्या यह मानने का विश्वास है कि यह विशिष्ट एस० अमत उनके पूरे या वास्तविक नाम का छदम नाम या कटा हुआ रूप है जो जान बूझ कर दिया गया है ताकि इस बात को छिपाया जाय कि भारत के साम्यवादी दल का सभापति इस समाचार का मुख्य अभिनेता है ?

श्री शामनाथ : समाचारपत्रों की सूचना के अतिरिक्त हमे कुछ मालूम नहीं है । समचार-पत्रों में कहा गया है कि श्री एस० अमृत श्री एस० ए० डांगे हैं । परन्तु हमारे पास कोई सूचना नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत: क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि क्या इस वक्तव्य में इस व्यक्ति का पता एस० अमृत, कोहनूर रोड, ९, बम्बई है, जो श्री एस० ए० डांगे का निवास या कार्यालय का पता है--एस० का अर्थ है श्रीपाद, ए० का अर्थ है अमृत और डांगे डांगे है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): जहां तक सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमें समाचारपत्रों में प्रकाशित किसी नाम की खोज करने का अधिकार नहीं है । वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग और समवाय विधि विभाग ही ऐसे मामलों की जांच करने में सक्षम हैं । यदि मा० सदस्य सूचना चाहते हैं तो वह उस मंत्रालय से पूछ सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत: औचित्य प्रश्न है कि विधि के अधीन, पूरा नाम तथा उपजाति और अंशधारियों के पते प्रकाशित होने चाहियें ताकि कोई विशिष्ट अंशधारी की पहचान छिपाई न जा सके । क्या सरकार को विश्वास है कि यह नाम विशीष वास्तविक पहचानको छिपाता है । मान लीजिये मैं अपना नाम केवल हरि विष्णु बताता हूं, कामत नहीं । क्या विधि के अनुसार मेरे लिये अपनी पहचान छिपाना उचित और सही है ? आपकी क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे विधि का प्रत्येक उपबन्ध याद नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार को उचित उत्तर देने को कहें । सूचना तथा प्रसारण मंत्री का यह कहना ठीक नहीं कि यह उन के क्षेत्राधिकार में नहीं । इस में कहां तक सत्य है कि सरकार को अंशधारियों की वास्तविक पहचान की जांच करने का अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री बता चुके हैं कि उन के मंत्रालय की इस की जांच करने का अधिकार नहीं है । मा० सदस्यों को भी यह कष्ट उठाना चाहिये कि समवाय विधि विभाग को पत्र लिख दें और यह सूचना प्राप्त कर लें ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार का ध्यान श्री डांगे के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह 'पेट्रियाट' में अंशधारी हैं और क्या किसी के लिये किसी समाचारपत्र का अंशधारी बनना निषिद्ध है किसी विधि के अन्तर्गत ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री से कानून नहीं पूछा जा सकता । कानूनी प्रश्न अनुपूरक प्रश्न के रुप में नहीं पूछे जा सकते ।

श्री सत्य नारायण सिंह : क्या उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है ?

Shri Tan Singh : Registrar of Newspapers is under the Ministry of the hon. Minister. he Can take action against a publisher under Registration Newspapers Act for giving wrong information ?

Mr. Speaker : Whether he can do it or not is a question of law and legal questions cannot be asked.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों के उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें श्री डांगे द्वारा यह बताया गया है कि उसने प्रारंभ में पेट्रियाट को ३०,००० रुपये का ऋण दिया और पेट्रियाट ने उस ऋण को अंशों में बदल दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार ने सीधे श्री डांगे से पूछ कर यह बात की सत्यता या असत्यता को जानने का प्रयत्न किया है--मेरा निवेदन यह है कि कोई पाकिस्तानी या चीनी समाचारपत्र का अंशधारी बन सकता है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जिस वक्तव्य का मा० सदस्य ने उल्लेख किया है वह श्री डांगे का है कि उसने ३०,००० रुपये का ऋण दिया और अस्थायी तौर पर इसे अंशों में बदल दिया गया है। मुझे बताया गया है कि शायद वह धन उस को लौटाया भी दिया गया है .

श्री हेमबरुआ : हमें प्रसन्नता है कि उन्होंने पूरी जांच कर ली है। वक्तव्य में कई गलतियां हैं। उन्होंने कहा है कि पेट्रियट ने अज्ञात कारणों से ३०,००० रुपये के ऋण को अमृत के छदम नाम के अन्तर्गत अंशों में बदल दिया है। क्या उनका ध्यान इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक का विषय नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : औचित्य प्रश्न है। आप ने कुछ समय पूर्व विनिर्णय दिया था कि तथ्य जानने के लिये समवाय विधि प्रशासन को पत्र लिखा जाय। गत सप्ताह श्री हरिश्चन्द्र माथुर के प्रश्न के सम्बन्ध में, मंत्री ने अन्य बातों के साथ ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि वह प्रश्न सदस्य द्वारा पत्र लिखे जाने के बिना ही एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भेज दिया गया। इस मामले में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई, यदि सरकार को उत्तर देने की उत्सुकता है ? परन्तु सरकार को इसके बारे में स्पष्टतः कोई इच्छा नहीं है। मेरा सरकार के विरुद्ध यह आरोप है ; यह उदासीन हैं और कर्तव्य विमुख है। हम आपकी सहायता चाहते हैं क्योंकि आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। आप मंत्री को मंत्रणा दे सकते हैं .

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को बैठने की सलाह दे रहा हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : इस समय आप यह सलाह दे सकते हैं, परन्तु मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप उन को भी अच्छी तरह से काम करने की सलाह दें।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं आप का ध्यान प्रश्न के भाग (ग) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें पूछा गया है कि क्या सरकार ने पहचान करने का प्रयत्न किया है। क्या मंत्री का यह उत्तर कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्राधिकार नहीं, आप को संतुष्ट करता है ? क्या आप यह समझते हैं कि प्रश्न का पर्याप्त एवं समुचित उत्तर नहीं दिया गया ? क्या आप यह नहीं सोचते कि आपको निश्चित निदेश देना चाहिये कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जान चाहिये क्या सरकार ने पहचान लगा ली है ? यह मंत्रालय ऐसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जब किसी प्रश्न विशेष में सरकार का उल्लेख किया जाता है, तो उस का मंत्रालय से आशय होता है जिससे प्रश्न पूछा गया है ।

श्री हेम बरुआ : हमारे मार्ग दर्शन के लिये हम जानना चाहते हैं कि जब सरकार से सूचना मांगी जाय, क्या संबंधित मंत्री का यह काम नहीं होता कि वह सभा को बताने के लिये जितनी सूचना संभव हो उतनी एकत्र करे ?

अध्यक्ष महोदय : हां, ऐसी बात है । अगला प्रश्न ।

Stateless Persons of Indian Origin in Ceylon

\+

*1182 **Shri Bagri :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri D. C. Sharma :
Shri P. C. Borooah :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) Whether the Government of India's attention has been drawn towards the inducement scheme announced by the Ceylon's Department of Immigration and Emigration under which a sum of Rs. 1000/- would be offered to each person of Indian origin who would be willing to leave Ceylon for good; and

(b) If so, Government's reaction thereto and the steps taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) Yes; the Government of Ceylon is offering, under certain conditions, a sum not exceeding Rs. 1000/- to every Indian family leaving Ceylon for good.

(b) In the statement issued by the Prime Ministers of Ceylon and India in October 1954, mention has been made of incentives to be provided by the Government of Ceylon to Indian citizens to leave Ceylon. The present initiative seems to have been taken under this provision.

Shri Bagri : How many Indians have come to India from Ceylon after this announcement of Ceylon and what arrangements are being made by the Govt. for their rehabilitation ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सीनेट में यह बताया गया था जब वे प्रोत्साहन आदि की व्यवस्था करने के लिये चालू वर्ष के आयव्ययक और प्राक्कलनों पर चर्चा कर रहे थे । इस योजना के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अभी तक भारत में नहीं आया ।

Shri Bagri : Are persons of Indian origin being turned out from other countries also as is done in Ceylon and have Govt. taken note of it ? If so, what arrangement is being made by Govt. to check it, so that they may not be turned out from there ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : अन्य देशों के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री हेम बरुआ: पिछले एक अवसर पर सभा में ही माननीय प्रधान मंत्री ने हमें यह बताया था कि लंका में भारतीय उदभव के राज्यविहीन लोगों की इस समस्या पर समूचे तथा व्यापक एवं विस्तृत आधार पर हल करने के लिये लंका के प्रधान मंत्री के साथ चर्चा की जायगी । यदि ऐसी बात है, तो इस समय यह प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे खेद है कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि लंका की प्रधान मंत्री यहां नहीं आ सकीं।

श्री हेम बरुआ : परन्तु इस आशय का एक वक्तव्य था कि भारत को पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझ सका कि मा० सदस्य ने क्या कहा है। उदके यहां आने की आशा थी, परन्तु वह नहीं आ सकीं। इसलिये इस बात को स्थगित करना पड़ा और यह अभी तक स्थगित है। हम इसे जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। यदि उस के शीघ्र यहां आने में कोई कठिनाई है, तो हम इस को दूसरे तरीके से अर्थात पत्र आदि के द्वारा उठाने को तैयार हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : जहां तक मैं जानता हूं लंका में हमारा दूतावास उन में कुछ व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रजन के रूप में पंजीबद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है। क्या इस प्रोत्साहन योजना की दृष्टि से और इस बात की दृष्टि से कि दोनों प्रधान मंत्री इस मामले पर विचार नहीं कर सके, पंजीयन की वह योजना बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो भारतीय उदभव के लोग किस वैकल्पिक मार्ग की ओर देख रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे समझ में नहीं आया।

श्री दी० चं० शर्मा : कुछ समय पूर्व हमारे राजदूतावास में तथा लंका की सरकार की ओर से भी उन लोगों को लंका या भारत के नागरिकों के रूप में पंजीबद्ध करने का काम हो रहा था। इस प्रोत्साहन योजना के कारण तथा दोनों प्रधान मंत्रियों की इतने वर्षों में मुलाकात न हो सकने के कारण, क्या पंजीयन का वह काम दोनों सरकारों द्वारा बन्द कर दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी नहीं, वह काम बन्द नहीं किया गया। अभिलेख लंका तथा भारत दोनों सरकारों के लिये खुले हैं और वे अपने राष्ट्रजनों के नाम उस में जोड़ सकते हैं। परन्तु इस समय इस विषय में बहुत अधिक काम नहीं किया जा रहा।

श्री हेम बरुआ : लंका की प्रधान मंत्री भारत आने को तैयार हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : लंका तथा भारत की सरकारों द्वारा इस पंजीयन योजना के मन्द कार्यान्वयन के कारण सरकार किस वैकल्पिक उपाय को अपना रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह ऐसा मामला है जिसके बारे में दोनों प्रधान मंत्रियों को बातचीत करके समुचित मार्ग निकालना था।

श्री हेम बरुआ : कब ?

श्री जवाहरलाल नहरू : जब हमारी मुलाकात होगी ?

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या सरकार का ध्यान एक प्रेस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत स्थित लंका के उच्चायुक्त श्री अमर सिंह द्वारा यह कहा गया बताया जाता है कि लंका सरकार इस मामले को हल करने को उत्सुक है, यदि हां, तो क्या सरकार के पास लंका सरकार से कोई पत्र आदि आया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं कह सकता हूं कि हम इस प्रश्न को सुलझाने के लिये यदि लंका सरकार से अधिक उत्सुक नहीं, हम समान रूप से उत्सुक हैं। जहां तक मैं जानता हूं--हमारे पास लंका से कोई औपचारिक पत्र नहीं आया। हम ने यह समाचार अखबारों में ही देखा है।

श्री हेम बरुआ : परन्तु आपने स्वयं कोई पहल नहीं की।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अब नहीं, परन्तु पहले हमने इस विषय पर लिखा था।

डा० मा० श्री० अणे : क्या लंका की प्रधान मंत्री और सरकार वहां के राज्य विहीन लोगों को प्रेरित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उस के अनुपालन में बहुतेरे राज्य विहीन लोगों का भारत में आप्रव्रजन बढ़ रहा है, यदि हां, तो भारत सरकार इस के प्रतिकूल क्या आन्दोलन चलाने का विचार करती है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : प्रेरणा योजना विचाराधीन है और उस के अन्तर्गत कोई व्यक्ति भारत नहीं आया।

लंका के निवासियों द्वारा भारतीय मछुओं पर गोली चलाया जाना.

+

*११८३ { **श्री सेझियान** :
श्री मनोहरन :

क्या **प्रधान मंत्री** २० मार्च, १९६४ को भारतीय मछली पकड़ने वाली नौका पर लंका के नेवल लांच गार्डस (नौसेना के रक्षकों) द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में ६ अप्रैल, १९६४ को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार से इस बीच पूरा जांच प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) क्या घटना के सम्बन्ध में लंका सरकार से उत्तर भी मिल गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) कुछ अधिक ब्योरा दर्शाने वाली अग्रेतर रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तथापि कुछ और ब्यौरे की जरूरत है ताकि इस घटना का पूर्ण चित्र प्राप्त हो सके, और मद्रास सरकार ने अग्रेतर एवं अन्तिम रिपोर्ट भेजने की प्रतिज्ञा की है।

(ख) और (ग) . हमारे उच्च आयोग को लंका सरकार के साथ यह मामले को उठाने को कहा है। उन का उत्तर अभी नहीं आया।

श्री सेझियान : ६ अप्रैल १९६४ को प्रश्न का उत्तर देते हुए मा० मंत्री ने बताया था कि रिपोर्ट मंगवाया जा रही है। अब १९ से अधिक दिन बीता चुके हैं। इस सरकार द्वारा कब सूचना तैयार करवा ली जायगी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमें मद्रास सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने दो रिपोर्टें भेजी हैं, एक ३ अप्रैल को और दूसरी १३ अप्रैल को। फिर भी बात बिल्कुल पूरी नहीं हुई। हम यह पता

लगाना चाहते हैं कि नाव कहां थी और कब इस पर आक्रमण किया गया। हम ने यह मामला लंका सरकार से उठाया है। लंका सरकार ने हमें बताया है कि उस समय उस क्षेत्र में कोई नौसेना का जहाज गश्त नहीं कर रहा था। अतः हमें यह पता लगाना है कि किस जहाज ने नाव पर आक्रमण किया।

श्री सेझियान : अभी तक मद्रास सरकार से क्या ब्योरा प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह लम्बा विवरण है। अब उन्होंने कहा है कि एक अरुलानंदम और रामेश्वर के कुछ अन्य मछवे मछली पकड़ने के लिये जा रहे थे और उन पर एक भाप से चलने वाले जहाज या नौसेना के जहाज ने आक्रमण किया, क्योंकि खाकी वर्दी में चार या पांच व्यक्ति थे।

श्री सेझियान : ६ तारीख को उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति अरुला ने दम को गोली से घाव लगे और उसे अस्पताल में ले जाया गया। अब वह कहती हैं कि उन को कोई सूचना नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उनके वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति को गोली लगने से घाव आए और वह अस्पताल में है और अब मंत्री कहती हैं कि उन्हें सूचना नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह सूचना पहले सभा को दी जा चुकी है।

श्री हेम बरुआ : मा० मंत्री ने अभी कहा कि चित्र अभी पूर्ण नहीं है और मद्रास सरकार ने केवल दो रिपोर्टें दी हैं। हमारे राजनयिक कलाकारों को चित्र को पूरा करने में कितना समय और लगेगा तथा चित्र को पूरा करने में इन रिपोर्टों में किस ब्यौरे की आवश्यकता है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं बता चुकी हूं कि चित्र किस प्रकार अधूरा है और कब पूरा होगा यह बात मद्रास सरकार पर निर्भर है। हमें उन से सूचना प्राप्त करनी है।

डा० सरोजिनी महिषी : यह मान कर कि हमारी सरकार किसी दूसरी सरकार से बदला लेने की इच्छा नहीं रखती, हमारी सरकार विरोध पत्र भेजने के अतिरिक्त ऐसी परिस्थितियों में क्या उपाय करने वाली है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मुझे मालूम नहीं कि और किन उपायों का सुझाव है। पहली बात यह है कि हम यह जांच कर रहे हैं कि यह घटना कहां हुई, आया लंका के क्षेत्रीय समुद्र में अथवा नहीं। हमें इस की स्पष्ट जानकारी नहीं। इस मामले में राजनयिक विरोध पत्रों के अतिरिक्त क्या कार्रवाई की जा सकती है ?

श्री हरि विष्णु कामत : स्थिति का पता नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, ठीक मालूम नहीं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यही तो बात है। क्या मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि मछली पकड़ने की नाव हमारे जल प्रांगन में थी अथवा उन के जल प्रांगन में या खुले समुद्र में। इसी बात पर सारी बात निर्भर है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अभी इस के बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। मद्रास सरकार कैसे इस का उत्तर दे सकती है। मछवे का बयान अनिवार्यतः सही नहीं हो सकता।

श्री सेझियान : यह घटना २० मार्च को हुई और महीने से अधिक हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इस बात पर इतना अधिक समय लगा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मद्रास सरकार से उत्तर आ चुका है कि हमें पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

श्री हेम बरुआ : औचित्य प्रश्न है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि उन्होंने इस घटना के बारे में लंका सरकार को शिकायत भेजी है। उत्तर से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि किस आधार पर हम ने लंका सरकार से शिकायत की है। उन्हें इस के बारे में कुछ जानकारी दिखाई नहीं देती। चित्र पूर्ण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह बताया गया है कि लंका सरकार ने इनकार किया है कि घटना स्थल के समीप कोई जहाज था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Vocational Guidance in Delhi and Punjab

*1171. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) whether Government propose to start a scheme in pursuance of which children in Delhi and Punjab, immediately after passing the High Schoo examination, will be offered guidance in appropriate vocations ;

(b) if so, when the project would be implemented ; and

(c) the expenditure to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and for Planning (Shri C.R. Pattabhi Raman): (a) and (b). On pilot basis, a scheme for giving guidance to students who are about to leave High School is under implementation in a few selected schools in Delhi and Punjab and the results have yet to be evaluated.

(c) No additional expenditure has been incurred on the Pilot Project.

सेना द्वारा दंगों पर नियंत्रण

***११७४. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६४ में अब तक देश के विभिन्न भागों में हुए दंगों के सम्बन्ध में कितनी बार और कहां कहां असैनिक प्रशासन की सहायता के लिये सेना को बुलाया गया ; और

(ख) क्या ऐसी परिस्थितियों में सेना को बुलाने के बारे में कोई निश्चित नियम है और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० २७७६/६४]**

कराची में भारतीय समाचार पत्र संवाददाता

*११७८. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री धवन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १९६४ में कराची में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा बुलाये गये समाचारपत्र संवाददाता सम्मेलन में कराची में स्थित भारतीय समाचारपत्रों के संवददाताओं को आमंत्रित नहीं किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भारत में पाकिस्तानी संवाददाताओं के सम्बध में उसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि संवाददाता सम्मेलन विशिष्टत: निमंत्रण द्वारा आयोजित किया गया था, भारत सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा ।

(ग) जी, नहीं ।

प्रेस सूचना कार्यालय में समाचारपत्रों की फाइलों की चोरी

*११८४. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुक्म चंद कछवाय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस सूचना कार्यालय (प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो) से प्रमुख भारतीय तथा विदेशी दैनिक समाचारपत्रों की फाइलों के ७० बन्डल चोरी चले गये हैं ;

(ख) क्या इन बन्डलों में पाकिस्तानी समाचारपत्रों की फाइलें भी थीं ; और

(ग) क्या इन चोरियों के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) मामला पुलिस को सौंप दिया गया है और इस समय वह जांच कर रही है । पुलिस का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही चोरी के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने के प्रश्न पर निर्णय किया जा सकता है ।

हैदराबाद में भूतपूर्व सैनिक

*११८५. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में भूतपूर्व राज्य सेना की लाइनों में रह रहे ८००० भूतपूर्व सैनिकों को १५ अप्रेल, १९६४ तक वहां से हटाने के आदेश दे दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हैदराबाद में भूतपूर्व राज्य-सेना के आवास स्थान में, जिसको राज्य सरकार द्वारा प्रतिरक्षा सेवाओं को सौंपा जाना है, रह रहे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या ४१२ है और ८००० नहीं। आन्ध्र प्रदेश सरकार १५ अप्रैल, १९६४ तक इसका खाली कब्जा सौंपना चाहती है।

भारत सरकार ने कोई निष्कासन-नोटिस जारी नहीं किये। राज्य सरकार ने उन लोगों को, जिन्होंने निम्नलिखित किसी भी वैकल्पिक प्रस्तावों को नहीं माना, निकालने के लिये कार्यवाही की है :

(१) खाली करने पर ७५० रुपये का तुरन्त नकद अनुदान।

(२) १२१ वर्गगज की भूमि और उस पर झोंपड़ी बनाने के लिये ५०० रुपये का नकद अनुदान;

(३) राज्य लोक कर्म विभाग द्वारा स्थान, जिसको उन्होंने १५०० रुपये प्रति क्वार्टर की लागत से इनको देने के लिये बनाया है ; और

(४) उक्त (१), (२) और (३) के अतिरिक्त स्थानान्तरण शुल्क के रूप में ५० रुपये।

राज्य सरकार ने प्रतिरक्षा सेवाओं को कुछ इमारतें सौंपने की तिथि बढ़ा कर २५ अप्रैल, १९६४ कर दी है और कुछ अन्यों के लिये ५ मई, १९६४ कर दी है।

शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त का कार्यालय

*११८६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के विरुद्ध लगाये गये जासूसी के आरोपों के सम्बन्ध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). आरोपों की जांच की जा रही है और उपयुक्त समय आने पर निर्णय की घोषणा की जायेगी।

पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

*११८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का कितनी बार उल्लंघन किया गया है ;

(ख) वायु सीमा के उल्लंघन की इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २७७७/६४] ।

आकाशवाणी के लिए नया ट्रांसमिटर

*११८८. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री ओंकार लाल बेरुआ :
श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामसेवक यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री सुपर हाई पावर मीडियम वेव ट्रांसमिटर खरीदने के बारे में २३ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राप्त टेंडरों को खोल लिया गया है और उनकी जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) किसका टेंडर स्वीकार किया गया है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) टेंडर २४-३-१९६४ को खोले गये और उनकी जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). क्योंकि टेंडर अभी भी विचाराधीन हैं, इस समय उनका ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

सामाजिक सुरक्षा योजना

*११८९. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम हरख यादव :

क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम जीवी वर्गों के लिए मृत्यु सहायता निधि, परिवार पेंशन तथा सेवानिवृत्त पेंशन की व्यवस्था करने के लिए त्रिसूत्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) १ जनवरी, १९६४ से कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत एक मृत्यु सहायता निधि बनायी जा चुकी है लेकिन परिवार पेंशन तथा सेवा निवृत्ति पेंशन योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) १. मृत्यु सहायता निधि :

(१) इस निधि में से कर्मचारी भविष्य निधि के उन मृतक सदस्यों के नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाता है जिनका वेतन (अर्थात् मूल वेतन, महंगाई भत्ता जिसमें यदि कोई भोजन रियायत या प्रतिधारण भत्ता मिलता है तो उसको शामिल करके) मृत्यु के समय ५०० रुपये से अधिक न हो।

(२) ऐसे मामलों में जब कि मृत सदस्य के नाम पर राशि में ५०० रुपये से कम हो, तो भविष्य निधि आयुक्त वह रकम इस निधि में से उसके नामांकित व्यक्ति (यों)/उत्तराधिकारी (रियों) को देंगे।

२. परिवार पेंशन योजना :

केन्द्रीय सरकार के कमचारियों के लिये परिवार पेंशन योजना की तरह ही कर्मचारी और कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों की समय से पूर्व मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवा/छोटे बच्चों को प्रति मास कम से कम २५ रुपये परिवार पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है।

३. सेवा निवृत्ति पेंशन :

इसके सिद्धान्त अभी तय किये जाने हैं।

बर्मा से भारतीयों का निष्क्रमण

*११९०. श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुथिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रणंजय सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बड़े :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री कोया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा से भारत में भारतीयों का निष्क्रमण लगातार हो रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९६४ के आरम्भ से कितने भारतीय आ गये हैं ; और

(ग) सरकार उनके प्रत्यावर्त्तन तथा पुनर्वास के लिए क्या सुविधायें दे रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) बर्मा से आ रहे भारतीयों की संख्या वृद्धि पर है ;

(ख) इस वर्ष के आरम्भ में अब तक लगभग ७००० भारतीय बर्मा छोड़ चुके हैं।

(ग) सीमा-शुल्क औपचारिकताओं को उदार बना दिया गया है। रंगून और मद्रास पत्तनों के बीच जुलाई के मध्य से स्टीमर नौका सेवा की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन भी रंगून और कलकत्ता के बीच अधिक बार उड़ान के बारे में विचार कर रही है। सरकार को पता है कि स्वदेश लौटे व्यक्तियों को पुनर्वास के बारे में सहायता देनी है और इस बारे में सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को भी लिखा है।

पाकिस्तानी गुरिल्ला सेना के कमांडेंट

*११९१. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बड़े :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री ६ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पता लगा लिया है कि पाकिस्तानी गुरिल्ला सेना के कमांडेंट कौन हैं ;

(ख) क्या वह केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के एक मंत्री से सम्बन्धित हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस तरह ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जबकि यह समझा जाता है कि कुछ चुनीदा पाकिस्तानियों को गुरिल्ला प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां तक सरकार को पता है, "पाकिस्तानी गुरिल्ला सेना" नामक कोई सेना नहीं है। तथापि, सेना से बाहर अनेक संगठन हैं जैसे मुजाहिद और अंसार मुजाहिदों की भर्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था स्थानीय स्टेशन कमाण्डरों और स्थानीय असैनिक अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर की जाती है। अंसारों का एक निदेशक हैं।

(ख) अंसार संगठन के निदेशक का हमारे मन्त्रिमण्डल के किसी मन्त्री से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास में काम दिलाऊ दफ्तर

२४४४. **श्री राजाराम :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को मद्रास राज्य में काम दिलाऊ दफ्तरों की क्या संख्या थी ;

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६३ को इन काम दिलाऊ दफ्तरों में रजिस्टर में दर्ज बेरोज़गार स्नातकों, स्नातकोत्तरों और अवर स्नातकों की कुल क्या संख्या थी; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों की क्या संख्या है जिनको एक वर्ष से अधिक हो गया और रोज़गार नहीं मिला ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्): (क) १६।

(ख) और (ग).

श्रेणी	३१-१२-६३ को रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	उन आवेदकों की संख्या जिन्हें एक वर्ष से अधिक समय से रोज़गार नहीं मिला और जो दूसरी कंडिका में शामिल हैं।
स्नातक (स्नातकोत्तर समेत)	१,९५८	१४४
अवर स्नातक	२,३६४	३१८
मैट्रिकुलेट	३८,५१४	१०,७७०
कुल . .	४२,८३६	११,२३२

रामगंगा परियोजना पर राडार लगाना

२४४५. **श्री राम हरख यादव :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में रामगंगा परियोजना पर राडार लगाये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक चालू हो जाने की आशा है ; और

(ग) इसके लगाने पर कितना सम्भावित व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

Indian Foreign Service

2446. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the State-wise break up of persons in the Indian Foreign Service at present ;

(b) the number of those out of them appointed directly and also the number of those appointed on the basis of competitive examinations ; and

(c) the percentage of Harijans Tribals in the total number thereof ?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : (a) The State-wise break up of 238 officers in the Indian Foreign Service is given below :

1.	Andhra Pradesh	3
2.	Assam	3
3.	Bengal	21
4.	Bihar	7
5.	Delhi	23
6.	Gujarat	5
7.	Himachal Pradesh	1
8.	Jammu & Kashmir	1
9.	Kerala	13
10.	Madhya Pradesh	10
11.	Madras	26
12.	Maharashtra	31
13.	Mysore	11
14.	Orissa	2
15.	Punjab	42
16.	Rajasthan	7
17.	Uttar Pradesh	32

(b) Number of persons appointed directly. 118

Number of person appointed on the basis of competitive examinations: 120

(c) 5.46%

नई छावनियां

२४४७. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६४-६५ में कितनी नई छावनियां स्थापित की जायेंगी ;

(ख) उक्त कार्य के लिये कौनसे स्थान चुने गये हैं ; और

(ग) निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) से (ग). उत्तरी सीमा पर आक्रमण का मुकाबला करने के लिये सेना का विस्तार किये जाने के फलस्वरूप नयी छावनियां स्थापित करने के कई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष १९६४-६५ में इनमें से किसी नई छावनी के स्थापित किये जाने की सम्भावना नहीं है लेकिन इस वर्ष इन पर कार्य आरम्भ हो जायेगा।

भूटान और सिक्किम में सीमान्त सड़कें

२४४८. **श्री यशपाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूटान और सिक्किम में सीमान्त सड़कों के निर्माण के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या मुख्य सड़कों पर यातायात शुरू हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो यह कब शुरू होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) नयी सड़कों का निर्माण और मौजूदा सड़कों का सुधार किया जा रहा है। १-३-१९६४ तक की गयी प्रगति निम्न प्रकार है :

	फार्मेशन कर
भूटान .	. १८० मील
सिक्किम	. १५० मील

सुधार कार्य लगातार चलता रहता है। वह कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ख) सिक्किम में मुख्य सड़क सिलीगुडी से गंगटोक तक है जिस पर निर्बाध रूप से यातायात चलता है। गंगटोक से सिंघीक तक की सड़क पर भी असैनिक यातायात चल रहा है। भूटान में, एक सड़क के पहले ४० मील भाग को असैनिक गाड़ियों के लिये खोल दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेफ़ा के वरिष्ट अधिकारियों का सम्मेलन

२४४९. श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री १८ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सम्बन्ध में

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेफा के वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन में की गयी सिफारिशों का अध्ययन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) नेफा वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन एक स्थानीय सम्मेलन है जिसका हर वर्ष नेफा प्रशासन द्वारा आयोजन किया जाता है, जो इसकी सिफारिशों का अध्ययन भी करता है और उन पर कार्यवाही भी करता है। ये सामान्यत: स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी मामलों के बारे में होती हैं। भारत सरकार केवल उन मामलों पर विचार करती है जो इसको गवर्नर द्वारा भेजे जाते हैं। इस सम्मेलन से विशिष्ट रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले को भारत सरकार को निर्देशित नहीं किया गया और सम्मेलन की कार्यवाही पर अभी नेफा प्रशासन विचार कर रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

A.I.R. News Bulletin

2450. **Shri M. L Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) The number of All India Radio stations and sub-stations relaying news in English and the number out of them relaying news in Hindi also ; and

(b) The A I.R. stations and sub-stations where correspondents for various regional languages and Hindi have been appointed and their number along with the number of English correspondents appointed there ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha)

(a) Number of All India Radio Stations and sub-stations relyaing news in English 42
Number out of those mentioned above relaying news in Hindi also 35

(b) 22 Correspondents have been appointed, seven at Delhi and one each Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Bhubaneshwar, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Kohima, Lucknow, Madras, Patna, Srinagar and Trivandrum.

The Correspondents are appointed on the basis of their journalistic experience and capabilities and not exclusively on the basis of knowledge of a particular language. However, all Correspondents know English well.

Besides the above, 12 Reporters have been appointed exclusively for regional news bulletins in Hindi regional languages, one each at Ahmedabad, Bhopal, Bangalore, Bombay, Calcutta, Cuttack, Gauhati, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Patna and Trivandrum.

Platoon Commander's Detention in Pakistan

2451. **Shri P. L. Barupal :** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1730 on the 16th December, 1963, and state the result of the negotiation which was in progress with the Government of Pakistan for the return of Shri Dhan Singh, Platoon Commander of the Rajasthan Armed Constabulary, to India ?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : Shri Dhan Singh, a Platoon Commander of the Rajasthan Armed Constabulary, was handed over to Rajasthan Police by the West Pakistan authorities on March, 11, 1964.

Indian Dacoit in Pakistan

2452. **Shri P. L. Barupal :** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the notorious dacoit Jagmal Singh, who is charged with a number of dacoities and murders has taken refuge in Pakistan ;

(b) if so, the steps taken for the repatriation of Jagmal Singh to India ;

(c) Whether it is also a fact that a woman named Mst. Teejan was kidnapped and taken over to Pakistan by dacoit Teja Singh ; and

(d) If so, the steps taken for the repatriation of Mst. Teejan to India ?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : (a) Dacoit Jagmal Singh was captured by the West Pakistan Rangers on Apri 12, 1963, inside Pakistan territory.

(b) The Government of Pakistan who were requested for extradition of Jagmal Singh have stated that the question of his return will be considered after the processes of law have been completed in Pakistan.

(c) and (d). Mst. Teejan had been kidnapped by some Indian dacoits and carried away to Pakistan. She was rescued by the West Pakistan Rangers. The question of her repatriation was taken up with the Government of Pakistan through diplomatic channels. She was handed over by the Pakistan authorities to the Indian authorities on March, 11, 1964.

Naval Base at Vishakhapatnam

2453. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government propose to set up a new naval base at Vishakhapatnam ; and

(b) if so, when and at what cost ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). The project for the establishment of a major Naval Base and Dockyard at Vishakhapatnam has been accepted in principle by the Government for implementation in a suitably phased programme. As a first part of the development of the Base, work is in progress on the construction of a Naval Wharf and workshop buildings for providing repair facilities at an estimated cost of approximately Rs. 166 lakhs.

उत्तर प्रदेश में श्रम कल्याण अधिकारी

२४५४. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन कपड़ा मिलों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक श्रम कल्याण अधिकारी नियोजित नहीं किये हैं ; और

(ख) इस मामले में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख). जानकारी निम्न प्रकार है :

(१) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर ।

इस कारखाने के प्रथम श्रेणी कल्याण अधिकारी की नवम्बर, १९६३ में मृत्यु हो गयी थी। मालिकों ने एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन करने के लिये राज्य सरकार से कहा है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है।

(२) एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, मिल संख्या २, कानपुर ।

इस मिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गयी है और मामला न्यायालय में लम्बित है।

(३) मुरादाबाद स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, मुरादाबाद ।

(४) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद ।

राज्य सरकार ने इनसे तत्काल योग्य कल्याण अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायगी।

रांची के समीप फादी में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

२४५५. **श्री महेश्वर नायक** : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मनी गणराज्य ने रांची के समीप फादी में एक तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, नहीं। प्रशिक्षण केन्द्र छोटा नागपुर और आसाम की जी० ई० एल० चर्च द्वारा स्थापित किया गया है और इस पर सारा धन जी० ई० एल० चर्च मिशन, जर्मनी द्वारा लगाया जा रहा है।

(ख) विशेषतः औद्योगिक पट्टी के ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को, जो उच्चतर अध्ययन नहीं कर सकते, विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों के कुशल कारीगरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये तकनीकी जानकारी देना।

नेफा में सड़कें

२४५६. **श्री रिशांग किशिंग : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक नेफा प्रशासन द्वारा जीप चलाने योग्य और मोटरें चलने योग्य बनायी गयी सड़कों का क्या मीलयोग है ;

(ख) योजना के निर्धारित लक्ष्य में से कितने प्रतिशत प्राप्ति हुई है ; और

(ग) नेफा में उक्त सड़कों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करन के लिये मोटर चलने योग्य चौर जीप चलाने योग्य सड़कों के निर्माण का विशेष कार्यक्रम क्या है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १२७ १/२ मील ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के ४१६ मील के लक्ष्य का ३०·४३ प्रतिशत ।

(ग) सीमान्त सड़क विकास बोर्ड न नेफा प्रशासन से नेफा में सभी प्रमुख सड़क परियोजनाओं के निर्माण का काम अपने हाथ में ले लिया है। इसमें उन अनेक सड़कों का सुधार-कार्य भी शामिल है, जिन्हें पहले नेफा प्रशासन ने बनाया था। इस प्रकार समय समय पर प्रतिरक्षा और वैदेशिक-कार्य मंत्रालयों के परामर्श से बनाये गये विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत नेफा में सामरिक महत्व की सड़कों की तत्काल आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सड़कों का ब्योरा बताना लोक-हित में नहीं है ।

सामुदायिक रेडियो सेट

२४५७. **श्री महेश्वयर नायक : क्या सूचना और और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक रूप से श्रवण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों को दिये गये राजसहायता प्राप्त रेडियो सेटों का बैटरी की आवर्ती लागत अधिक होने के कारण इस्तेमाल नहीं हो रहा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में सहायता करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) जो, हां । कुछ राज्यों में कुछ रेडियो सेटों का बैटरी के अभाव में इस्तेमाल नहीं हो पाता ।

(ख) सामुदायिक रेडियो सेटों का संधारण और संचालन का काम राज्य सरकारों का है। तथापि, सरकार स बात पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि उनको इन रेडियो सेटों को चालू रखने के लिये क्या सहायता दी जा सकती है ।

भूमापन भवन

२४५८. **श्री जेधे : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में एक आवास सम्बन्धी एक अमरीकी विशेषज्ञ, श्री रिचर्ड बी० पुलर ने भारत का दौरा किया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में भूमापन भवन बनाकर आवास समस्या का समाधान करने के बारे में उनके साथ कोई बातचीत की ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं, मिस्टर फुलर ने सेना के सदरमुकाम के अफसरों के साथ केवल भूमापन भवन सम्बन्धी तकनीकी समस्याओं पर विचार किया। उन्होंने भूमापन भवन के निर्माण के लिये एक योजना दी है जो विचाराधीन है।

Pakistan Military station in Jessore District

2459. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is fact that Pakistan has set up a new military station at Navarune in Jessore district;

(b) whether it is also a fact that the number of military contingents has been increased on Nadia border;

(c) if so, whether Government have taken necessary steps to check Pakistan's aggressive activities ; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Defence (Shyi Y.B. Chavan): (a) to (d). Government are aware of the activities of Pakistani forces along the West Bengal-East Pakistan border. Necessary steps have already been taken to ensure the safety of our border.

It will not be in the public interest to disclose the information Government have of details of the locations or movements of Pakistani forces in the area.

विविध भारती

२४६०. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'चित्रध्वनि' नामक कार्यक्रम हर पखवाड़े में विविध भारती कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए मुख्यत: किन आधारों पर चलचित्रों का चुनाव किया जाता है ; और

(ग) क्या ऐसे चलचित्रों के उत्पादकों को कोई रायल्टी दी जाती है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) जी हां। विशिष्ट चलचित्र का।

(ख) मुख्य कसौटी सर्वांगीण किस्म और अपील है।

(ग) संबंधित चलचित्र का ध्वनिचित्र प्रसारित करने के लिए प्रत्येक चलचित्र निर्माता को १०० रुपये की फीस दी जाती है।

उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकारण के सीमावर्ती क्षेत्र में विस्फोट

२४६१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने विस्फोट हुए ;

(ख) उस प्रदेश में उनसे धनजन की कितनी हानि हुई ;

(ग) कितने मामलों में विदेशों से चोरी से लाये गये विस्फोटों का प्रयोग किया गया था और वे विस्फोटक सामान्यतया कहां तैयार किये गये थे ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) पिछले दो वर्षों में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण की कार्रवाई के तौर पर कोई विस्फोट नहीं हुए। विशुद्ध रूप से दुर्घटनात्मक ९ विस्फोट हुए हैं ।

(ख) २५–२६ दिसम्बर, १९६३ की रात को तीन विस्फोट हुए थे। उसी तरह २ फरवरी, १९६३ को सेला क्षेत्र में दो विस्फोट हुए जिससे कुछ असैनिकों को चोट पहुंची। ३ जून, १९६३ को २५ पौंड का एक बम तवांग के पास फूटा जिससे तीन आदमी मारे गये और तीन घायल हुए । १९६३ के आखिर में दापोरिजों के पास सड़क फोड़ने की एक दुर्घटना में एक ग्रामीण मारा गया। २७ जून, १९६३ को फूट हिल्स में प्रशिक्षण के दौरान दोषपूर्ण ग्रेनेड फूट जाने से एक और सिपाही घायल हुआ। बोमडीला के पास प्रशिक्षण के दौरान राकेट गोला बारूद के एकाएक फट जाने के कारण सेना के छः व्यक्ति घायल हुए थे ।

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में असैनिक प्रशासन स्थापित हो जाने पर युद्ध स्थल पर छोड़े गये विस्फोटों का पता लगाने के लिए सेना के परामर्श से खोज करने वाली पार्टियों की व्यवस्था की गयी थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बेरोजगार लोगों को सहायता

२४६२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार कर्मचारियों को सहायता देने की योजना जिसके लिए अलग रकम रखी गयी थी, संतोषजनक रूप से चल रही है ;

(ख) यदि हां तो इस समय यह रकम किस प्रकार काम में लायी जा रही है ; और

(ग) इस रकम से कर्मचारियों को कितनी सहायता मिली है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) (क) से (ग). योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

आर्मी आर्डनेन्स कोर में पदवृद्धियां

२४६३. **श्री हेडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी आर्डनेन्स कोर में पिछले १५ से २० वर्षों से कितने लोअर डिविजन क्लर्कों की पदोन्नति नहीं हुई है ;

(ख) क्या उसका कारण यह है कि इस पदावलि में पदोन्नति अवसर कम है ; और

(ग) क्या इस स्थिति को ठीक करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो किस प्रकार?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

आर्मी आर्डनेन्स कोर

२४६४. **श्री हेडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों में आर्मी आर्डनेन्स कोर की असैनिक क्लेरिकल पदालि में कितने कर्मचारी है ;

(ख) इस पदालि के लिए, वर्ग १ और २ में कुल कितने असैनिक गजेटेड पद स्वीकृत किये गये हैं ; और

(ग) क्लेरिकल पदालि और असैनिक गजेटेड पदों के कर्मचारियों के बीच क्या अनुमान निश्चित किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) केन्द्रीय सरकार से नियंत्रित असैनिक क्लर्कों की वर्तमान संख्या इस प्रकार है :—

हेड क्लर्क श्रेणी १	१८
हेड क्लर्क श्रेणी २	२८७
अपर डिविजन क्लर्क	११०८
लोअर डिविजन क्लर्क	४४१६
कैशिअर	१२
सहायक कैशियर	२१
काम्पटिस्ट	१७
कुल	५८४९

इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के ५०३ क्लर्क हैं जो स्थानीय नियंत्रण के अधीन हैं और फील्ड डीपुओं में काम करते हैं ।

(ख) इस पदालि के लिए ३३ वर्ग २ असैनिक गजेटेड पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। इस पदालि में वर्ग १ का कोई पद नहीं है ।

(ग) क्लर्कों की पदालि और असैनिक गजेटेड पदों की संख्या के बीच कोई अनुमान निश्चित नहीं किया गया है । अफसरों की संख्या आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

सेवा निवृत्त पदाधिकारियों की पुर्नानियुक्ति

२४६५. **श्री हेडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त सेना पदाधिकारियों की आर्मी आर्डनेन्स कोर में फिर नियुक्त किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो फिलहाल उनकी कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) जब सेवानिवृत्ति सेना पदाधिकारियों को पुर्नानियुक्त किया जाता है तो असैनिक पदाधिकारियों को पदच्युत करने के लिए क्या औचित्य है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, वर्तमान नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्त/सेवा मुक्त अफसरों को आर्मी आर्डनेन्स कोर तथा अन्य सेवाओं में फिर नियुक्त किया जा सकता है ।

(ख) जिन सेवा निवृत्त/सेवामुक्त सेवा अफसरों को ३१-३-१९६४ तक आर्मी आर्डनेन्स कोर में पुनः नियुक्त किया गया है, उनकी संख्या २४ है ।

(ग) सेवा अफसर उपलब्ध न होने के कारण कुछ असैनिक अफसरों को आर्मी आर्डनेन्स कोर में सर्विस अफसरों के पदों पर आर्डनेन्स अफसर (असैनिक) के तौर पर तरक्की दी गयी है । जब कभी सेवा अफसर उपलब्ध हो जायेंगे, दुबारा नियुक्ति से या और किसी तरह से, सर्विस अफसरों के रिक्त पदों पर पदोन्नत किये गये आर्डनेन्स अफसरों (असैनिक) को वे दो पद खाली कर देने होंगे जब तक कि उन्हें अन्यत्र कहीं रख नहीं लिया जाता ।

फील्ड आर्डनेन्स डिपुओं के कर्मचारी

२४६६. **श्री हेडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि फील्ड आर्डनेन्स डिपुओं में १० वर्ष या उससे कम सेवा वाले लोअर डिविजन क्लर्कों को स्थायी बनाया जाने वाला है जब कि अखिल भारतीय सूची के १५ से २० वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी अनिश्चित अवधि के लिए अस्थायी बने रहेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : फील्ड आर्डनेन्स डीपुओं में स्थानीय नियुक्त असैनिक कर्मचारी अब तक स्थायी बनाये जाने के अधिकारी नहीं थे । अभी हाल में सरकार ने एक विशिष्ट मामले के तौर पर कुछ प्रतिशत नियुक्तियों को स्थायी बनाकर इन कर्मचारियों को स्थायी बनाये जाने के अधिकारी करने का निश्चय किया है । स्टैटिक डिपुओं में नियुक्त लोअर डिविजन क्लर्कों के काफी पदों को स्थायी बनाया जा चुका है / बनाया जा रहा है और अखिल भारतीय सूची में शामिल व्यक्तियो को इन पदों पर स्थायी बनाया जा रहा है । स्थायी घोषित किये गये व्यक्तियों की सेवा की अवधि के सम्बन्ध में तुलना तभी की जा सकती है जब कि फील्ड और स्टैटिक डीपुओं के स्थायी पदों को स्थायी बना दिया जाये और उन पर व्यक्तियों को स्थायी किया जाये ।

आर्मी आर्डनेन्स कोर में पुष्टिकरण

२४६७. **श्री हेडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्मी आर्डनेन्स कोर में लगभग २० वर्ष की सेवा वाले लोअर डिविजन क्लर्कों को अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्लर्कों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें स्थायी न बनाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) (क) से (ग). आर्मी आर्डनेन्स कोर में ३०५ लोअर डिविजन क्लर्क हैं जिन्होंने ई० टी० ई० सर्विस सहित २० साल की सर्विस की है । चूंकि ई० टी० ई० सर्विस की आधी सर्विस वरिष्ठता के लिए गिनी जाती है, इसलिए इन लोगों को स्थायी बनाने के लिए अभी नहीं लिया गया है ।

Film on Minority Community from East Pakistan

2468. Shri Sidheshwar Prasad : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether any film has been produced or is being produced regarding the atrocities committed on the minorities in East Pakistan for exhibiting in foreign countries for the sake of visual publicity; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister and Minister of External Affairs andMinister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : (a) A documentary film showing the exodus of the Christians and the migration of the minorities from East Pakistan to India, their reception, care and rehabilitation has just been completed and is expected to be exhibited shortly. The House has already been informed earlier that we had arranged for French, German and British television teams to be taken to the Garo Hills. Films taken by television cameramen have been widely shown in these countries and also in the United States. These films depict the plight of Christian refugees who had fled from Pakistan owing to religious intollerance and persecution.

(b) Does not arise.

आकाशवाणी, कटक

२४६९. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कटक रेडियो स्टेशन की विद्युत् क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छावनी बोर्ड, अम्बाला

२४७०. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड, अम्बाला, अपने कर्मचारियों के साथ झगड़े सम्बन्धी उस समझौते की जो २९ नवम्बर, १९६२ को हुआ था, शर्तें आज तक कार्यान्वित नहीं कर सका है; और

(ख) यदि हां, तो वह समझौता लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). निर्देश संभवतः प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कानपुर के समक्ष छावनी निधि कर्मचारी संघ/अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी फेडरेशन की कुछ मांगों पर २९ नवम्बर, १९६२ को हुई चर्चा के बारे में है । प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कानपुर ने बाद में इन बातों की जांच की और ६ फरवरी, १९६३ को अपना निर्णय किया । छावनी बोर्ड की विधि और शिक्षा समिति ने इन निश्चयों को स्वीकार करने की सिफारिश की थी । इससे पहले कि छावनी बोर्ड उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के विषय पर

विचार करता, बोर्ड के ३ पुरुष शिक्षकों ने एक निश्चय के विरुद्ध पंजाब उच्चन्यायालय में लख याचिका प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय ने ६ मार्च, १९६३ को पंचाट की कार्यान्विति रोक देने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय के आदेशों को देखते हुए, छावनी बोर्ड, अम्बाला, ने यह निश्चय किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय होने तक इस मामले में आगे कार्रवाई स्थगित रखी जाये।

पंजाब में छावनी बोर्ड

२४७१. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य के सभी छावनी बोर्ड केन्द्रीय सरकारी न्यायाधिकरण, दिल्ली की व्याख्या के अनुसार (दिनांक ५ मई, १९६१ और १८ जून, १९६२ के उसके निर्णयों को देखिये) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेशों (१९५८ का पंचाट संख्या २) का पालन नहीं कर सके हैं; और

(ख) यदि हां, तो न्यायाधिकरण के आदेशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). निदेश संभवत: औद्योगिक न्यायाधिकरण, देहली, के दिनांक १०-४-१९६२ और ८-४-१९६३ के उन निश्चयों से है जो क्रमश: ५-५-१९६२ और १८-५-१९६३ के भारत के गजट में प्रकाशित किये गये थे। १०-४-१९६२ का निश्चय उस तारीख के सम्बन्ध में था जब से कुछ भत्तों और बिल अथवा पूरक भत्ते का हिसाब लगाने के तरीके के सम्बन्ध में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट लागू किया जाना था। पंजाब में सभी संबद्ध छावनी बोर्डों ने इसे कार्यान्वित किया है।

न्यायाधिकरण का दिनांक ८ अप्रैल, १९६३ का निश्चय उन शिक्षकों, डाक्टरों और इंजीनियरों (ओवरसीयर ग्रेड के ऊपर) को किन्हीं दशाओं में दी जा रही एक बढ़ोतरी के सम्बन्ध में था, जिन्हें राज्य सरकारी कर्मचारियों की तत्सम श्रेणियों को मिलने वाले वेतन और भत्ते पहले ही से मिल रहे हैं। पंजाब में संबद्ध छावनी बोर्ड इस निश्चय को, छावनी बोर्ड, अम्बाला के शिक्षकों से सम्बन्धित बातों को छोड़कर, कार्यान्वित कर रहे हैं।

गैर सरकारी विमान कम्पनियों से विमान

२४७२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के हवाई जहाज खरीद रही है;

(ख) वे हवाई जहाज अच्छी हालत में हैं या नहीं यह देखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) किन कम्पनियों से ये हवाई जहाज खरीदे गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) और (ग). दरभंगा एवियेशन के दो हवाई जहाज सरकार ने ले लिये हैं।

(ख) उनकी हालत का पता लगाने और वे खरीद के लायक हैं या नहीं यह मालूम करने के लिए भारतीय वायुसेना के तकनीकी अफसरों ने हवाई जहाजों का निरीक्षण किया है।

असैनिक आर्डनेन्स अफसर

२४७३. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्डनेन्स अफसरों की वर्ग १ के पदों पर पदोन्नति पर कोई रोक लगायी गयी है;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर 'नहीं' हो तो सेना में आर्डनेन्स अफसरों के मुकाबले में कितने आर्डनेन्स अफसर (असैनिक) वर्ग १ पदों पर फिलहाल काम कर रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) आर्मी आर्डनेन्स कोर में वर्ग १ के कोई पद नहीं होते जिन पर आर्डनेन्स अफसरों (असैनिक) की तरक्की की जा सके । इसलिए ऐसी तरक्की पर कोई रोक लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

आर्मी आर्डनेन्स कोर में आर्डनेन्स अफसरों (असैनिक) को स्थायी बनाना

२४७४. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी आर्डनेन्स कोर के असैनिक अफसर २० साल की नौकरी के बाद अब भी अस्थायी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें स्थायी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) आर्मी आर्डनेन्स कोर में ३ असैनिक अफसर २० साल की नौकरी के बाद अब भी अस्थायी हैं ।

(ख) स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण उन्हें स्थायी नहीं बनाया जा सका ।

(ग) उन्हें स्थायी बनाने के मामले पर विचार किया जा रहा है ।

आर्मी आर्डनेन्स कोर में विस्तार कार्यक्रम

२४७५. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेडा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी आर्डनेन्स कोर में आर्डनेन्स अफसरों (असैनिक) को विस्तार कार्यक्रम में नियुक्तियों में उनका उचित हिस्सा नहीं दिया गया है;

(ख) संकट-काल से अब तक विस्तार कार्यक्रम में कितने नये पद निर्माण किये गये हैं; और

(ग) उनमें से कितने पदों पर असैनिक आर्डनेन्स अफसर काम कर रहे हैं और कितने पदों पर सेना के तत्सम अफसर काम कर रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी नहीं । आर्मी आर्डनेन्स कोर में असैनिक अफसरों को स्टैटिक आर्डनेन्स डीपुओं के, जिन में सैनिक अफसरों के साथ साथ असैनिक अफसरों को नियुक्त किया जाता है, विस्तार कार्यक्रम में उनका उचित हिस्सा दिया गया है । आर्डनेन्स फील्ड डीपुओं/यूनिटों में अफसरों के सभी पदों पर सैनिक अफसर काम कर रहे हैं ।

(ख) संकट-काल से लेकर अब तक स्टैटिक आर्डनेन्स डीपुओं के विस्तार कार्यक्रम में अफसरों के निम्नलिखित नये पदों का निर्माण किया गया है :

(१) वर्तमान स्टैटिक आर्डनेन्स डीपुओं का विस्तार

(क) असैनिक	८
(ख) सैनिक	४

(२) नयी स्टैटिक आर्डनेन्स इन्स्टालेशन्स*

असैनिक अफसर . .	२५
सैनिक अफसर . . .	६०

*कुछ नये इन्स्टालेशन्स संभवत: १९६५-६६ में और कुछ १९६६-६७ में बनाये जायेंगे ।

(ग) असैनिक अफसरों के सभी ८ पदों और सैनिक अफसरों के ४ पदों पर असैनिक अफसर रखे गये हैं क्योंकि कोर में सैनिक अफसरों की कमी है ।

Pensions to Displaced Persons

2476. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to a Government communique the pension of the displaced persons of the Armed Forces is being raised;

(b) if so, the basis for this increase; and

(c) the date from which it would come in force ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). As stated in a Press Note dated the 22nd March 1964, temporary increases in pensions at enhanced rates have been sanctioned to displaced pensioners of the Armed Forces, who are now residing in India and who are in receipt of pensions at the Old Pension Code rates in India on behalf of the Government of Pakistan, provided that they had migrated to India from Pakistan on or before the 30th June 1955.

2. Under the existing arrangements with the Government of Pakistan, the Government of India pay on behalf of that Government the pensions and temporary increases thereon at the pre-partition rates to displaced pensioners, who migrated to India after 31st December 1947 but before the 30th June 1955. The pensionary liability in respect of these displaced pensioners devolves wholly on the Government of Pakistan. The Government of India are, therefore, not obliged to pay temporary increases to these displaced pensioners at the enhanced rates applicable to the Government of India pensioners. However,

the matter was considered on compassionate grounds, and it was decided to grant the enhanced rates of temporary increase in pension to this category of displaced pensioners also as an *ex-gratia* concession.

3. This decision of Government has effect from the 1st June 1963.

उत्तर प्रदेश में अधिसूचित रिक्त स्थान

२४७७. **श्री विश्वनाथ पाण्डे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६४ से ३१ मार्च, १९६४ तक उत्तर प्रदेश के सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों में कुल कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये हैं; और

(ख) उसी अवधि में विभिन्न रोजगार दफ्तरों के जरिये इन प्रतिष्ठानों में कुल कितने रिक्त स्थान भरे गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री और योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) और (ख).

क्षेत्र	जनवरी–मार्च १९६४ में अधिसूचित रिक्त स्थानों की संख्या	जनवरी–मार्च, १९६४ में भरे गये रिक्त पदों की संख्या
सरकारी	१९,९९०	१५,६४२
गैर-सरकारी . .	९,५११	६,६८१

Recruitment of Meenas

2478. Shri Rattan Lal : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that last year some prominent members of the Meena community of Rajasthan had submitted written representation to him to the effect that Meena youths should be recruited in the Army and that a separate division thereof should be created; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) The general policy of the Government is to broad-base recruitment as much as possible. In persuance of this policy class-composition has been abolished in the technical Arms and Services. It has, however, not been found possible to abolish class-composition in many of the Units of the Infantry and Armoured Corps, although induction of new classes into these Arms is being made. After the emergency, increased representation has been given in certain new raisings to some specified and territorial classes including Meenas. In addition, to Arms and Services which are of all-class nature Meenas as being recruited in the Grenadier Regiment. Calling a regiment or a division of the Army by a new sectional name would be inconsistent with the policy pf Government.

परामर्शदातृ समितियां

२४७९. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या संसद कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६४ तक की अवधि में प्रत्येक मंत्रालय की परामर्शदातृ समिति की कितनी बैठकें हुईं ;

(ख) प्रत्येक बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया ;

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों की पहले की स्थायी समितियों को पुनः चालू करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या २७७८/६४]**

(ग) जी नहीं ?

(घ) संसद् की स्थायी समितियां बनाने की प्रथा १९५२ में अध्यक्ष और सभापति से परामर्श करने के बाद समाप्त कर दी गयी थी क्योंकि सरकार का और सभापतियों का यह दृढ़ मत था कि भूतपूर्व स्थायी समितियां संवैधानिक परिवर्तनों के अनुरूप नहीं हैं ।

रेगिस्तानी लड़ाई

२४८०. **श्री तन सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपनी सेना को रेगिस्तानी लड़ाई के तरीकों में प्रशिक्षण देना चाहती है ; और

(ख) ऐसे युद्ध के लिये उपयुक्त उपकरणों के उत्पादन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सभी 'फार्मेशन्स' और यूनिटों को ऐसे ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वे, उनको दिये गये युद्ध संबंधी कार्यों के लिये उपयुक्त सिद्ध हों । इस प्रशिक्षण में रेगिस्तानी युद्ध का प्रशिक्षण भी शामिल है ।

(ख) सेना को युद्ध संबंधी कार्यों के लिये हथियार पर्याप्त मात्रा में दिये जाते हैं ।

विदेशो में भारतीय दूतावास

२४८१. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** ३० मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के प्रधान मंत्री ने जिन देशों का दौरा किया उन देशों द्वारा आयोजित किये गये औपचारिक समारोहों पर उपस्थित होने के सम्बन्ध में विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के प्रमुखों की कहां कहां अवहेलना की गई है ;

(ख) क्या ये हिदायतें, चीनी नेताओं के सम्मान में किये गये तथा उनके द्वारा आयोजित किये गए स्वागत समारोहों, रात्रि भोजों और राजभोजों पर लागू होती हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) कोई नहीं । चीन के प्रधान मंत्री ने जिन देशों का दौरा किया, उन देशों द्वारा आयोजित समारोहों पर उपस्थित होने के लिये हम ने अपने राज दूतों से कह रखा था ।

(ख) हम ने ये हिदायतें दी थीं कि हमारे राजदूतों को चीनी नेताओं द्वारा आयोजित किये गये स्वागत समारोहों, रात्र भाजों और राजभोजों पर उपस्थित नहीं होना चाहिये परन्तु उन समारोहों पर उपस्थित होना चाहिये जो में ज़वान देशों द्वारा चीनी नेताओं के लिये दिये जाते हैं ।

(ग) यह उचित नहीं होगा कि हमारे राजदूत उन देशों के राज्यों आदि के प्रमुखों द्वारा दिये गये निमन्त्रणों के लिये इन्कार करें जिन्हों ने उन्हें मान्यता दी हुई है ।

लोक सहायक सेवा

२४८२. **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री हेम राज :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिये लोक सहायक सेना प्रशिक्षण दलों में १९५५ में कितने भूतपूर्व सैनिकों को पुनः दर्ज किया गया ;

(ख) कितने दलों को भंग कर दिया गया और समस्त देश में विभिन्न प्रादेशिक सेना बटेलियनों के कितने कर्मचारी फालतू हो गये ;

(ग) क्या लोक सहायक सेना प्रशिक्षण दलों की सेवा की अब जरूरत नहीं रह गई है और सेना मुख्यालय ने उन्हें सेवा मुक्त करने के लिये हिदायतें जारी की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) १७००, जिसमें ३४ अधिकारी और १३६ जूनियर कमीशंड आफीसर्स भी शामिल हैं ।

(ख) लोक सहायक सेना की स्थापना के समय से अब तक २२ दलों को भंग किया गया है । १९६३ में लोक सहायक सेना दलों के भंग हो जाने के कारण ४९९ कर्मचारी फालतू हो गये थे और उन्हें प्रादेशिक सेना की विभिन्न मिलाई हुई इन्फेन्ट्री बटेलियनों में नियुक्त कर दिया गया था ।

(ग) केवल उन्हीं प्रशिक्षण दलों को भंग किया गया है जिनकी अब आवश्यकता नहीं है । सेना मुख्यालय ने उन लोक सहायक सेवा कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के लिये हिदायतें दी हैं जो किसी दल अथवा प्रादेशिक सेवा यूनिट के भंग हो जाने से फालतू हो गये हैं ।

(घ) लोक सहायक सेना के १९६३ में भंग हो जाने के कारण फालतू कर्मचारियों में से अधिकांश को मिले हुए प्रादेशिक सेवा यूनिटों की कमी को पूरा करने के लिये वहां नियुक्त किया गया है । अब चूंकि संबंधित प्रादेशिक सेवा यूनिटों को भंग कर दिया गया है अथवा किया जा रहा

है, इन यूनिटों में नियुक्त लोक सहायक सेना कर्मचारियों की अब आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त हाल ही में दो दलों को भंग किया गया है और उनके कर्मचारी भी फालतू हो गये हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को तथा भूतपूर्व अधिकारियों को लोक सहायक सेवा में ४ वर्ष की अवधि के लिये (अधिकारियों के मामले में ३ वर्ष) अथवा उनकी ५५ वर्ष की आयु तक के लिये पुनः दर्ज कर लिया गया था। जूनियर कमीशंड आफीसर्स तथा अन्य श्रेणियों के अधिकारियों की सेवा की शर्तों और निबन्धनों में यह व्यवस्था थी कि यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो उन्हें सेवा मुक्त किया जा सकता था। चूंकि भंग की गई लोक सहायक सेवा दलों के कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है इस लिये उन्हें प्रादेशिक सेना और लोक सहायक सेना की सेवा में रखा नहीं जा सकता था। प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन अन्य संगठनों में भी रिक्त स्थानों की कमी के कारण उन्हें खपाया नहीं जा सकता था।

मिनिकाय द्वीप में नाविक स्कूल

२४८३. **श्री राम हरख यादव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिनिकाय द्वीप में एक नाविक स्कूल स्थापित किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो योजना क्या क्या ब्योरा है ; और

(ग) संभावित व्यय क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

नौशहरा के निकट पाकिस्तान द्वारा गोली चलाया जाना

२४८४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौशहरा से ११ मील दूर एक स्थान पर युद्ध विराम रेखा के परे से पाकिस्तान द्वारा नागरिकों पर गोलियां चलाने के परिणामस्वरूप २९ मार्च, १९६४ को एक भारतीय व्यक्ति मारा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) एक युद्ध विराम रेखा अतिक्रमण शिकायत संयुक्तराष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों को भज दी गई थी। इसके अतिरिक्त आवश्यक पूर्वोपाय कर लिये गये हैं।

Training of Defence Services officers in Business Management

2485. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that officers of the Indian Defence Services will be given training in business management ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). As an experimental measure, a Pilot course of one month's duration is being run at

present for giving training in business appreciation and management to retiring/retired/released Defence Services officers in order to improve their chances of employment in business and industry. The course is being conducted by the National Productivity Council under the aeigis of the Director General of Resettlement, Ministry of Defence. The subjects covered are the following:—

1. Industrial Environment.
2. Functions and Principles of Management.
3. Company Structure.
4. Financial Management.
5. Production Management.
6. Personnel Management..
7. Material Management.
8. Office Management.
9. Marketing Management.
10. Efficiency Management.

In the mornings, lectures are being given by specialists and evenings are devoted generally to self-study. In some after-noons visits to a few plants or talks by eminent guest speakers are arranged. 27 retiring/retired/released officers of the Army, Navy and Air Force are attending the course.

अंदमान में कार्मिक संघ

२४८६. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप समूह में दर्ज कौन कौन सी कार्मिक संघ हैं तथा प्रत्येक में कौन कौन सदस्य हैं ;

(ख) उपरान्त कार्मिक संघों में से प्रत्येक के लेखे परीक्षा पिछली बार कितनी अवधि के लिये की गई थी तथा कार्मिक संघ के रजिस्ट्रार को क्या विवरण भेजा गया ; और

(ग) क्या प्रत्येक कार्मिक संघ के सभी सदस्यों ने आज तक का सदस्यता शुल्क दे दिया है और यदि नहीं, तो प्रत्येक संघ में ऐसे कितने सदस्य हैं जिन्हों ने नहीं दिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—२७७१/६४] ।

Haj Pilgrims

2487. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Haj Pilgrims of Calcutta are being sent to Bombay by air; and

(b) if so, who bears the expenses thereof?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : (a) and (b). In view of the

fact that some Haj pilgrims booked by ships sailing from Bombay in the first week of April may not have been able to reach Bombay in time from Calcutta by train due to disturbed conditions there, it was decided to airlift the Hajis by chartered flights at Government cost.

भारत में मोनाको का दूत

२४८८. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोनाको ने भारत में एक महा वाणिज्य दूत नियुक्त किया है और यदि हां, तो तो उनका नाम, कार्य और कृत्य क्या हैं ;

(ख) क्या वह अन्य व्यवसाय भी करते हैं, यदि हां, तो क्या ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी नियुक्ति परिस्थिति आधार पर स्वीकार कर ली है ; और

(घ) यदि हां तो मोनाको में भारत के वाणिज्य दूत का क्या नाम है और यदि नहीं, तो उन के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथ अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां। एक भारतीय राष्ट्रजन श्री आर० चत्ताराम, ३१ अगस्त, १९५४ से अवैतनिक रूप में इस पद पर काम कर रहे हैं। उसकी नियुक्ति के समय मोनाको सरकार ने कोई विशेष उद्देश्य नहीं बताये परन्तु ऐसे पद सामान्य वाणिज्य दूत अथवा वाणिज्यिक कार्य के लिये स्थापित किये जाते हैं।

(ख) जी, हां। वह रेशम उद्योग का काम करते हैं।

(ग) और (घ). जी, नहीं। भारत सरकार ने मोनाको में कोई वाणिज्यि प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया है क्योंकि इसके लिये अभी आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

Post of Secretary in I. & B. Ministry

2489. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the post of Secretary in his Ministry is lying vacant for the last four months; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) An officer has taken over as Special Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting with effect from the 21st April, 1964.

(b) Does not arise.

प्रतिरक्षा उपक्रमों में सेवानिवृत कर्मचारी

२४९०. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि प्रतिरक्षा के सेवनिवृत्त कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या को सरकारी क्षेत्र से उपक्रमों में रोजगार दिलाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा की गई नियुक्तियों का क्या ब्यौरा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम दिलाया जा सके । प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत पुनर्वास निदेशालय में एक प्रतिरक्षा सेवा सम्पर्क संगठन है जोकि योजना आयोग की पुनः नियजन उपसमिति द्वारा सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा अधिकारियों की असैनिक नौकरी के लिये उपयुक्तता की जांच किये जाने के बाद उनके नाम सरकारी तथा ग़ैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी के लिये भेजता है । जहां तक अधिकारियों को छोड़ कर प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों का सम्बन्ध है समय समय पर कुछ सरकारी ग़ैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों से पुनर्वास निदेशालय को ये मांगें प्राप्त हुई हैं कि उनके सुरक्षा विभागों में नियोजन के लिये नाम भेजे जायें । भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाने के सम्पूर्ण प्रश्न पर भारतीय सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड द्वारा शीघ्र ही विचार किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का बसाया जाना

२४९१. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रत्येक राज्य ने प्रतिरक्षा कर्मचारियों के पुनर्वास के लिये प्रबन्ध किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक राज्य में कितना क्षेत्र दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि किन किन राज्यों ने प्रतिरक्षा कर्मचारियों के पुनर्वास के लिये भूमि रक्षित की है, भूमि का क्षेत्रफल क्या है तथा वह कहां उपलब्ध है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०--२७८०/६४]** ।

Provident Fund Scheme in textile Industry

2492. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in textile industries in all States the increased rates of provident fund *i.e.* from 6¼ per cent to 8 per cent have been brought into operation; and

(b) if not, in how many textile units this has not so far been implemented and the reasons therefor?

The Deputy Ministey in the Ministery of Labour and Employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) Yes, except for jute and natural silk textile industries. The rate has been increased in respect of factories establishments employing 50 or more persons as indicated below :

(*i*) 1st November, 1963—Textiles (made wholly or in part of artificial silk and wool,

(*ii*) 1st December, 1963—Textiles (made wholly or in part of cotton).

(b) The information in respect of textile units, if any, which are not contributing at the enhanced rate is being collected, and will be laid on the Table of the House.

जम्मू में पाकिस्तानियों द्वारा छापा

२४९३. श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री दी० च० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू के रामगढ़क्षेत्र में पाकिस्तानी छापामारों ने ४ और ५ अप्रैल की रात को फिर छापा मारा और २ मवेशी उठा कर ले गये ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है और मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). ४ अप्रैल, १९६४ की रात को ४ अनधिकृत व्यक्ति देवीगढ़ गांव मे घुस आये और उन्होंने एक घर से मवेशी उठा कर ले जाने का प्रयत्न किया। जब गांव वालों ने उनको चुनौती दी तो वे पाकिस्तान भाग गये और मवेशिय को छोड़ गये। घटना स्थल सीमा से आधा मील अन्दर की ओर है और रामगढ़ से लगभग १० मील पश्चिम की ओर है।

Unemployed persons registered in Delhi

2494. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Shinkre :

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) the number of persons who had their names registered in the Employment Exchanges in Delhi as on the 31st December, 1963 and the number of persons who were provided with employment during 1963;

(b) whether there were cases of persons borne on the register of the unemployed for more than two years without any employment being provided to them; and

(c) if so, the number of such persons ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) Number on

Live Register as on 31-12-1963	86,872
Number placed in employment during 1963 . . .	20,900

(b) Yes.

(c) 5,371.

Officers with Chief Adviser, Factories

2495. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) the number of Class I Officers in the Organisation of the Chief Adviser, Factories and its subordinate offices who have served this organisation for the last 15 years;

(b) the number of those officers who left the organisation and got employment in private or public sector after obtaining training at Government expense during the past three years; and

(c) the total expenditure including leave salary that has been incurred by Government on the training of these officers abroad during the past three years?'

The Deputy Minister in the Ministery of Labour & Employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) Thirty.

(b) Among the officers who received specialised training abroad, only one officer has resigned. According to the information available he did not take up a job in India but went abroad.

(c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

श्रम समस्याओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता

२४९६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अल्प विकसित और विकसित देशों की सरकारों तथा उद्योगों को भूमि सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिये सहायता की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सहायता से लाभ उठायेगी ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कोई कार्यक्रम भेजा गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से कोई नई विशेष पेशकश प्राप्त नहीं हुई है यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विभिन्न तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत को सहायता दे रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्रमिक प्रतिकर अधिनियम, १९२३

२४९७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने, कोयला खानों में 'न्युमोनिओसिस' रोग से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान करने के लिये श्रमिक प्रतिकर अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत अभी तक नियम नहीं बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्र कराने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख). प्रारूप नियम राज्य सरकार ने जुलाई, १९६३ में प्रकाशित किये थे । उन्होंने सूचना दी है कि अक्तूबर, १९६३ में श्रम और रोजगार मन्त्रालय द्वारा उनको सिफारिश किये गये कुछ संशोधनों पर भी विचार करके नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

कोयला खान मजदूरों के लिय आवास

२४९८. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खान कल्याण संगठन नई आवास योजना के अन्तर्गत धनबाद क्षेत्र में १०,००० क्वार्टरों का निर्माण करना चाहता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों की अलग अलग कितने क्वार्टर दिये जायेंगे ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) कोयला खान श्रम कल्याण निधि की सलाहकार समिति ने अपनी ४-२-६४ की बैठक में नई आवास योजना के अन्तर्गत ३०,००० मकानों के निर्माण करने की सिफारिश की है और मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) मकान, मंजूरी देने के पश्चात् कोयला खान श्रम कल्याण निधि के आवास बोर्ड द्वारा दिये जायेंगे ।

कोयला खान श्रम कल्याण उपकर

२४९९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताव की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है कि कोयला खान श्रम कल्याण उपकर की दर को ५० नये पैसे से बढ़ा कर १ रुपया प्रति टन कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो संशोधन करने वाला विधान सभा पुरःस्थापित किया जायेगा ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रा० कि० मालवीय) : (क) और (ख). कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत उपकर की अनुज्ञेय सीमा को बढ़ा कर १ रु० प्रति मीट्रिक टन करने के लिये अधिनियम की धारा ३ में संशोधन करने के प्रश्न पर अधिनियम के कई अन्य संशोधनों के साथ साथ विचार किया जा रहा है। संशोधन विधेयक यथासंभव शीघ्र पुरःस्थापित किया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS L ON THE TABLE

लोह धातु खानें (संशोधन) विनियम

Metalliferous Mines (Amendment) Regulations

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० क० मालवीय) : मैं खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उपधारा (७) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक १४ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४१ में प्रकाशित लोह धातु खानें (संशोधन) विनियम, १९६४ ।

[श्री र० क० मालवीय]

(दो) दिनांक १४ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४२ में प्रकाशित कोयला खानें (संशोधन) विनियम, १९६४ । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--२७७५/६४]** ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

चौवनवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय--निवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड--के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) के १२५वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का चौवनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि, २७ अप्रल, १९६४ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :--

(१) संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में **(आगे विचार तथा पास करना)**

(२) संविधान (अठारहवां संशोधन) विधेयक, १९६४ **(विचार तथा पास करना)**

(३) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६४ **(विचार तथा पास करना)**

(४) भारतीय चिकित्सा परियद (संशोधन) विधेयक १९६४ **(विचार तथा पास करना)**

(५) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा विधेयक, १९६३, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में **(विचार तथा पास करना)**

(६) भारत का औद्योगिक विकास बैंक विधेयक, १९६४ **(विचार तथा पास करना)**

(७) भारतीय सिक्के (संशोधन) विधेयक, १९६४ **(विचार तथा पास करना)**

(८) नारियल-जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६३ **(विचार तथा पास करना)**

(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६४, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में **(विचार तथा पास करना)**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : शेख अब्दुल्ला को रिहा करने से देश में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। शेख अब्दुल्ला २९ अप्रैल को नेताओं से बातचीत करने के लिये दिल्ली आ

रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अगले सप्ताह की कार्य सूची में काश्मीर पर भी चर्चा शामिल की गई है, और यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): माननीय सदस्य किस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला के दिल्ली पहुंचने के पूर्व किसी विषय पर चर्चा करना लाभदायक नहीं होगा ..... **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस सम्बन्ध में इस सत्र में चर्चा की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : क्या हम यह समझ लें कि शेख अब्दुल्ला की प्रधान मंत्री महोदय के साथ बातचीत के बाद इस सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता। मैं केवल यह कह सकता हूं कि बातचीत से पहले चर्चा नहीं की जा सकती ।

Shri Bagri (Hissar) : Discussion regarding Law and order was not concuded during the last session and an assurance was given that it would be taken up in the next session. Secondly regarding the Backward Classes Commission Government have assured several times that it would be taken up but it has alwasys been evaded. I submit that both these discussions may be taken up this time.

The Minister of Parliamentary affairs (Shri Satya Narayan Sinha) : The items of business for this session were placed before the Business Advisory Committee. The current session has been extended upto the 6th May, 1964. It was not possible to take up these things at present.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : प्रेस परिषद् विधेयक की, जो राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था, स्थिति क्या है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : इस पर अभी राज्य सभा ने विचार नहीं किया इसलिये प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री महोदय संसद्-कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री दोनों का भार संभाले हुए हैं अतः उन्हें इस विधेयक के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। क्या राज्य सभा द्वारा इस सत्र में इस विधेयक को पारित किया जायेगा तथा लोक सभा द्वारा इस पर चालू सत्र में विचार किये जाने की संभावना है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : चालू सत्र में राज्य सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार किये जाने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए लोक सभा द्वारा विचार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री हरि विष्णु कामत : बजट सत्र के आरम्भ में बताया गया कि चालू सत्र में ३१ विधेयकों पर विचार किया जायेगा किन्तु अब मंत्री महोदय कहते हैं कि इन सत्य पर विचार नहीं किया जा सकता। सरकार द्वारा प्रायः इस प्रकार की पुनरावृति क्यों की जाती है तथा इस सम्बन्ध में सही ढंग से कार्यक्रम तैयार क्यों नहीं किया जाता है ?

Shri Onkar Lal Berwa (Katah) : May I know why the discussion regarding Scheduled castes and Scheduled tribes is being evaded for the last three years?

Mr. Speaker : It has already been answered that it cannot be taken up during this session.

Shri Onkar Lal Berwa : Will it be taken up during the next session?

Mr. Speaker : Nothing can be said at this stage. He says that he will try.

श्री दाजी (इन्दौर) : श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री महोदय ने बोनस आयोग की रिपो' सभा पटल पर रखते हुए यह आश्वासन दिया था कि सदस्यों को इस पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा। किन्तु अगले सप्ताह के लिये कार्य सूची में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मजदूरों में आयोग के निर्णय के सम्बन्ध में बहुत असन्तोष है। मैं जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर सभा में कब विचार किया जायेगा ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बेरकपुर) : सभा को आश्वासन दिया गया था कि महलनवीस समिति की रिपोर्ट एक महीने के अन्दर सभा पटल पर रख दी जायेगी। इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह रिपोर्ट इसी सत्र में सभा पटल पर रखी जायेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। क्या भविष्य में कार्यक्रम सही ढंग से तयार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : सभा का सत्र ६ मई तक रहेगा। इस अवधि में हम अधिक से अधिक विधेयकों पर विचार करने का प्रयत्न करेंगे। इस सत्र में और अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय को जब यह भली भांति ज्ञात था कि वित्त विधेयक २१ अप्रैल को पारित किया जायेगा और बाद में बहुत कम समय रह जायेगा तो विधेयकों की इतनी लम्बी सूची देने का क्या उद्देश्य है ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। अतः अब उन्हें बैठ जाना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि अन्य मंत्री महोदय ससद्-कार्य मंत्री महोदय को सहयोग नहीं दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरे मंत्रियों के सहयोग के बारे में प्रश्न पूछने का क्या औचित्य है ?

श्री हरि विष्णु कामत: यही समस्या का मूल कारण है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य जो चाहे निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : यह वास्तविकता है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The Minister of Parliamentary Affairs may be asked to state that the discussion regarding the situation in Jammu and Kashmir will be definitely taken up during this session after the 29th April, 1963.

Mr. Speaker : Let us watch the situation, and if the House so desires Government would be prepared for it.

Shri Praksah Vir Shastri : A man is speaking the language of Ayuh and Bhutto and still you say that that the situation is not yet ripe.

श्री दाजी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर दे चुका हूं कि सभा में घोषित किया गया ही कार्य लिया जायेगा। ६ मई तक जो संभव हो सकेगा लिया जायेगा।

श्री त्रो देणु चक्रवर्ती : सभा को बोनस आयोग की रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया की जानकारी दी जानी चाहिये।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं सभा में स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि इस सत्र में और कोई कार्य नहीं लिया जा सकेगा। बोनस आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा नहीं की जा सकेगी।

श्री दाजी : इस रिपोर्ट के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री जवाहरलाल नेहरु : सरकार इस पर काफी विचार विमर्श के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया बतायेगी क्योंकि यह जटिल विषय है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : चाहे जो भी प्रक्रिया हो, सभा को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।

श्री जवाहरलाल नेहरु : यह प्रश्न के उत्तर के रूप में नहीं बताई जा सकती है **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस तरह सभा की कार्यवाही आगे नहीं चल सकती है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं क्या सरकार इस सम्बन्ध में समावसान से पहले कोई निर्णय करेगी और क्या निर्णय को सभा पटल पर रखा जायेगा।

श्री नम्बियार : वास्तव में हम यही जानना चाहते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरु : मैं इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय को सूचित कर दूंगा। मुझे उनके कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि कार्यावलि के अनुसार अरब गणराज्य स्थित भारतीय राजदूत के बारे में चर्चा किस समय की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस बारे में सूचित कर दूंगा।

विनियोग (संख्या ३) विधेयक

APPROPRIATION (No. 3) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उनके लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों को क्षतिपूर्ति करने के

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उनके लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग संशोधन विधेयक

OIL AND NATURAL GAS COMMISSION (AMENDMENT) BILL

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री हुमायन कबिर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम १९५९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री हुमायून कबिर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक

INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : मैं डा० सुशीला नायर की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० द० स० राजू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

आधें घंटे की चर्चा के बारे में

RE : HALF-AN-HOUR DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : मैं जानना चाहता हूं कि काहिरा में भारतीय राजदूत के बारे में आधे घंटे की चर्चा के लिये कौन सा समय निर्धारित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ५ बजे लिया जायेगा क्योंकि इसके लिये और कोई उपयुक्त समय नहीं मिल सकता है ।

अधिवक्ता संशोधन विधेयक १९६४----जारी

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL 1964—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती अपना भाषण जारी रख सकती हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (बैरकपुर) : मुख्तारों को वकील के रूप में नाम दर्ज कराने का अधिकार देने का उपबन्ध सराहनीय कदम है । इस उपबन्ध के सम्बन्ध में अनेक उदाहरण विद्यमान हैं ; श्री मोतीलाल नेहरू विधि स्नातक न होते हुए भी देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में माने जाते थे । श्री सी० आर० वैंकटारामा शास्त्री ने एक साधारण वकील होते हुए भी अधिवक्ता के रूप में काफी ख्याति प्राप्त की ।

इसके अतिरिक्त मुख्तारी की परीक्षा अत्यन्त कठिन है । इसमें उत्तीर्ण होने के लिये परीक्षार्थी को ६० प्रतिशत अंक प्राप्त करने पड़ते हैं ।

अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के पारित किये जाने के बाद भी विधिजीवी परिषद् अभी तक अधिवक्ता के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं कर पाई है । अत: यह विधेयक उन लोगों पर भी लागू होना चाहिये जिन्होंने "एल० एल० बी०" की परीक्षा पास कर ली है और जिन को डेढ़ वर्ष की अवधि के प्रशिक्षण के लिए विधिजीवी परिषद् ने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है ।

जिन लोगों ने वर्ष १९६३ में परीक्षा पास कर ली है अथवा जो लोग परीक्षा दे रहे हैं या इस समय अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस विधेयक से हानि नहीं पहुंचनी चाहिये । ऐसे मामलों में छूट दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसे अधिकांश लोग मध्य वर्ग के होते हैं जिन का जीवन संघर्षों से भरा रहता है और जो यह चाहते हैं उनके बच्चे शीघ्र कमाने लायक हो जायें जिससे उनका भार कुछ हल्का हो जाये । प्रशिक्षण की व्यवस्था के अभाव तथा अन्य कई कारणों से डेढ़ वर्ष की प्रशिक्षण की अवधि को घटाया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावित संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करती हूं ।

श्री नि० चं० चटर्जी : (बर्दवान) : महान्यायवादी, जो भारतीय विधिजीवी परिषद् के अध्यक्ष हैं, तथा एडिशनल सालिसिटर जनरल, जो दिल्ली राज्य विधिजीवी परिषद् के अध्यक्ष हैं, ने मुझ से

[श्री नि० च० चटर्जी]

अनुरोध किया है कि मैं सभा को सूचित करूं कि इस विधेयक को पारित करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है क्योंकि विधिजीवी व्यवसाय में आने के मार्ग में विधि स्नातकों के लिए अवरोध पैदा हो गया है। लोगों को अधिवक्ता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए दिल्ली तथा देश के अन्य भाग में बंगलौर जाना पड़ रहा है। यह अवरोध विधिजीवी परिषद् का गठन न हो सकने, प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था न होने तथा अन्य कारण से पदा हुआ है। इस विधेयक के पारित हो जाने से लोगों की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो सकेंगी।

यह सराहनीय बात है कि विधेयक के खंड १३ में यह व्यवस्था की गई है कि तीन वर्ष के अनुभवी वकील, प्लीडर और वकील अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इन लोगों को अधिवक्ता के रूप में नाम दर्ज कराने से वंचित रखना अनुचित था। इतिहास बताता है कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें बिना स्नातक की डिग्री प्राप्त किये हुए हुए भी लोगों ने प्रख्यात अधिवक्ता के रूप में काफी नाम कमाया है। चन्द्र महादेव घोष विधि स्नातक न होते हुए भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के महान्यायाधिपति बने।

प्रशिक्षण और विधिजीवी परिषद् की परीक्षा पास करने से छूट की तारीख़ बढ़ा कर ३१ मार्च, १९६४ करना एक सराहनीय बात है। किन्तु यह तारीख और आगे की अवधि तक बढ़ाई जानी चाहिये अन्यथा यह दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, मद्रास और आगरा जैसे विश्वविद्यालयों के परीक्षार्थियों के प्रति अन्याय होगा क्योंकि उनके परीक्षा परिणाम बाद में निकलेंगे। नियम निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिये ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ कोई भेदभाव न रहे।

आशा है अब विधिजीवी परिषदें उचित नियम बनाने पर व्यापक दृष्टिकोण अपना कर विचार करेंगी जिनमें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निश्चित होगा तथा प्रशिक्षण और परीक्षाओं के लिये उचित व्यवस्था होगी।

Shri D. D. Mantri (Bihar) : I beg to move my amendments Nos. 1 and 2.

There are people in the line in Part B. States without being law graduates. It is necessary to add certain words which will bring these persons at par with others in the profession. Those appearig at the examination till 31st March 1964 have been exempted. This fixation of date seems unjustified since universities will continue to hold examinations even after that date. It should rather be extended. The authority to frame rules has been vested in the State Bar councils but the barristers have not been included therein. This anomaly should be done away with.

श्री गो० ना० दीक्षित: (इटावा) : अधिकांश विश्वविद्यालयों में परीक्षायें ३१ मार्च के बाद होती हैं। इसलिए अधिवक्ता के रूप में नाम दर्ज कराने की छूट देने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिये। अत: मेरा अनुरोध है कि एक संशोधन द्वारा यह तारीख बढ़ा कर १५ अगस्त, १९६४ की जानी चाहिये अन्यथा देश के आधे परीक्षार्थी इस विधेयक से होने वाले लाभ से वंचित हो जायेंगे।

श्री शा० र० मोरे : बम्बई और महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में मार्च या अप्रल में परीक्षायें होती हैं और जून या जुलाई में परिणाम निकलते हैं। वहां के छात्र इस विमुक्ति से वंचित रहेंगे भले

ही बाद में और तिथि विहित करने के अधिकार दिये गये हैं किन्तु तब तक वे लोग असमंजस में रहेंगे ।

पृष्ठ ७ पर यह उपबन्ध है कि जहां विधि जीवी परिषद् कार्य न कर सके तो भारत की विधि जीवी परिषद् पदेन सदस्य को आवश्यक निदेश देगी । वास्तव में ऐसे मामले में वहां विधिजीवी परिषद् का पुनर्गठन करना चाहिये ।

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : कुछ सदस्यों ने कहा है कि मार्च, १९६३ के बाद परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बाद की तिथि निश्चित करनी चाहिये । अधिवक्ता अधिनियम पास करते समय सभा ने निश्चित किया था कि विधि स्नातकों को कुछ प्रशिक्षण देना आवश्यक है और अब ऐसा कोई निश्चित सुझाव नहीं दिया गया कि बाद की कौन सी तिथि निविहित की जाय । इसके अलावा जिन विश्व-विद्यालयों में जुलाई और अगस्त में परीक्षायें होती हैं वे कहेंगे कि और तिथि बढ़ाई जाय और इस प्रकार अधिनियम का उद्देश्य ही निष्फल हो जायगा ।

यह निश्चित तिथि परीक्षा के आधार पर नहीं रखी गई बल्कि इस आधार पर रखी गई है कि तब तक विधिजीवी परिषदें प्रशिक्षण सम्बन्धी नियम बना लें । यदि मई जून जुलाई तक छात्र परीक्षा पास कर लें और नियम तब तक न बन पायें तो मुझे विश्वास है कि श्री चटर्जी अपने प्रभाव से तिथि को बढ़वा लेंगे । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने १९६१–६२ में पास हुए छात्रों की बात उठाई थी । उनका तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है । नियम क्या बनाये जायेंगे इस बारे में अभी से क्या बताया जा सकता है ?

संशोधन संख्या २ अनावश्यक है क्योंकि संशोधक विधेयक में यह आवश्यक नहीं रखा गया कि वह व्यक्ति विधि की परीक्षा पास किये हुए हों ।

बेरिस्टर और भारत के कानून के अध्येयता में कोई भेदभाव नहीं रखा गया । मूल अधि-नियम में ऐसा भेदभाव था किन्तु अब बेरिस्टर को भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

श्री द्वारकादास मंत्री : मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से, वापिस लिए गये ।

The amendments were by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 stand part of the Bill.

खण्ड १४ से २५ खण्ड २ अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 14 to 25 clause 1, Enacting Formula and Title were added to the Bill.

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

गोआ दमन और दीव न्यायिक आयुक्त का न्यायालय (उच्च न्यायालय घोषित करना) विधेयक

GOA DAMAN AND DIU JUDICIAL COMMISSIONER'S COURT (DECLARATION AS HIGH COURT) BILL

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि गोआ, दमन और दीव के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय को संविधान के कुछ प्रयोजनों के लिये उच्च न्यायालय घोषित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

गोआ दमन दीव (प्रशासन) अधिनियम, १९६२ की धारा ७ के अन्तर्गत उपबन्ध किया गया था कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और गोआ दमन दीव पर लागू करेगी । किन्तु १८ दिसम्बर १९६३ को गोआ, दीव दमन के संघ राज्य क्षेत्र के लिए न्यायिक आयुक्त का न्यायालय स्थापित किया गया था ।

संसद् संविधान के अनुच्छेद २४१(१) के अधीन संघ राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है । इस विधेयक द्वारा यही प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है । अब गोआ दीव दमन (प्रशासन) अधिनियम, १९६२ की धारा ७ अनावश्यक हो गई है । अतः उसका निरसन किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि गोआ, दमन और दीव के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय को संविधान के कतिपय प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री दाजी (इंदौर) : श्रीमान् इस विधान से गोआ, दमन और दीव के नागरिकों को निम्न श्रेणी के नागरिक बनाया जा रहा है । हम प्रशासन और वकालत के अनुभव से जानते हैं कि न्यायिक न्यायालयों का काम कैसे चलता है । वास्तव में उस क्षेत्र के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है ।

गोआ दमन दीव और पांडीचेरी का आज नहीं तो कल भारत के क्षेत्रों में विलय हो जायेगा । गोआ के लोगों ने हाल के चुनावों में स्पष्टतः यह फैसला दिया है कि उस का विलय महाराष्ट्र में होना चाहिये । कोई भी इतिहास के प्रवाह को नहीं बदल सकते । अतः, इस बात को कैसे न्यायोचित

ठहराया जा सकता है कि उस क्षेत्र को बम्बई के उच्च न्यायालय के अधीन न लाया जाय । अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि बम्बई के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने और न्यायिक आयुक्त के अधिकार बढ़ाने के गुणावगुणों में क्या अन्तर है ।

न्यायिक आयुक्त का एक ही लाभ हो सकता है अर्थात् न्यायाधीश गोआ में रहेगा और लोगों को बम्बई नहीं आना पड़ेगा । किन्तु इसके मुकाबले में गोआ के लोगों को बम्बई के ख्यातिप्राप्त उच्च न्यायालय से सर्वोत्तम न्याय प्राप्त हो सकता है । वास्तव में गोआ के साधारण अधिकारियों के कहने पर ऐसा किया जा रहा है क्योंकि वे चाहते हैं कि न्यायिक आयुक्त उन के अधीन रहे ।

न्यायिक आयूक्त बनने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं होगा जबकि कोई भी वकील उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का इच्छुक होगा । इससे प्रतीत होता है कि न्यायिक आयुक्त के पद पर कोई निम्न प्रतिभा का व्यक्ति नियुक्त किया जायगा ।

उच्च न्यायालय में विशेष मामलों के लिए अधिक संख्या में न्यायाधीश बैठकर विचार करते हैं । गोआ के लोगों को इस लाभ से भी वंचित किया जा रहा है । फिर न्यायिक आयुक्त के न्यायालय से उन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील करनी होगी जहां इतना अधिक खर्च होता है कि केवल धनाढय लोग ही पहुंच सकते हैं ।

न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के पक्ष में एक ही बात है कि यह गोआ में स्थित होगा । किन्तु मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में हजारों मील का फासला है जहां उच्च न्यायालय ने कुछ ज़िलों में अपनी शाखाएं स्थापित कर दी हैं । इसी प्रकार बम्बई उच्च न्यायालय ने बम्बई और नागपुर में शाखाएं खोल रखी हैं । उससे निवेदन किया जा सकता था कि वे गोआ में भी एक शाखा खोल देते जो कुछ दिनों के लिए वहां काम करती ।

गोआ के लोगों ने वर्षों अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है और आज उन्हें स्वतंत्रता मिली है तो इस प्रकार उनसे न्याय किया जा रहा है ? यही कारण है कि गोआ के लोगों ने समीपस्थ राज्य क्षेत्र में विलय का फैसला किया है । अतः हमें लोगों की राय का पालन करना चाहिये ।

मैं ने डेढ़ वर्ष पूर्व भी यह सुझाव दिया था कि क्योंकि बहुत से विधेयक प्रवर समिति को नहीं भेजे जाते अतः एक समिति नियूक्त करनी चाहिये जो विधान के निर्माण में पूर्व विचार करके सुनिश्चित विधान प्रस्तुत किया करे । यहां तो हम केवल शब्दों का आदान-प्रदान करते हैं विचारों का नहीं । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : यह बहुत विचित्र बात है कि संसद ने गोआ, दमन, दीव (प्रशासन) अधिनियम, १९६२ की धारा ७ के अन्तर्गत जो निर्णय दिया था कि बम्बई के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र गोआ में लागु किया जाये, उसे अब बदला क्यों जा रहा है ।

वास्तविक स्थिति तो यह है कि गोआ के लोगों ने उसका महाराष्ट्र में विलय का निर्णय दिया है और ऐसे विलय के लिए न्यायिक निर्णय अपेक्षित होता है ।

जिस प्रकार अन्दमान में मूख्य न्यायाधिपति चक्रवर्ती को नियूक्त किया गया था उसी तरह गोआ में भी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भेजा जा सकता है । इस पर अधिक खर्च

[श्री नि० चं० चटर्जी]

नहीं आता। जब पंजाब उच्च न्यायालय की शाखाएं दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में काम कर सकती हैं तो गोआ में बम्बई उच्च न्यायालय की ऐसी शाखा स्थापित करने पर आपत्ति नहीं की जा सकती।

संसद के पूर्व निर्णय को बदल कर आप वहां न्यायिक आयुक्त क्यों नियुक्त करना चाहते हैं। जिस दण्डाधिकारी ने नूने और श्याम प्रसाद मुखर्जी को बिना रिमांड के गिरफ्तार किया था और जिसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने लिखा था उसे त्रिपुरा का न्यायिक आयुक्त नियुक्त किया गया था। इन आयुक्तों की नियुक्ति में इस प्रकार की भयानक बातें हुआ करती हैं।

गोआ में केवल ५ लाख की जन संख्या है उसे महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अधीन सुगमता से लाया जा सकता है। फिर क्यों संसद के निर्णय को बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमें सावधान रहना चाहिये और इन पुरानी बस्तियों में साम्राज्यवाद और सामंतवाद की स्थिति नहीं रहने देनी चाहिये।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : मुझे इस विधेयक से आश्चर्य हुआ कि यह वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा पेश किया जा रहा है जैसे कि ये प्रदेश विदेशी राष्ट्र हों। इन प्रदेशों को गृह मंत्रालय के अधीन क्यों नहीं रखा गया? क्या गृह कार्य मंत्रालय को इनका प्रशासन चलाने की क्षमता प्राप्त नहीं है?

संविधान के अधीन भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय स्थापित नहीं हो सकता।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

गोआ दमन दीव संघ राज्य-क्षेत्रों की सूची में हैं और उनके लिए संविधान की धारा ३२० का यह उपबन्ध है कि संसद् द्वारा पारित विधि द्वारा निकटस्थ उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन पर लागू किया जायेगा। न्यायिक आयुक्त को उच्च न्यायालय के अधिकार देते हुए आप संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे हैं। गोआ, नेफा, नागालैंड, पांडीचेरी जैसे प्रदेशों को अब अन्यत्र क्षेत्र नहीं रहने देना चाहिये। यदि काश्मीर को इस प्रकार अलग न रखा जाता तो आज शेख अब्दुल्ला की समस्या पैदा न हुई होती। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाये।

श्री शकरे (मरमागोआ) : मैं पूर्व वक्ताओं का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है। छोटे छोटे न्यायिक एकक स्थापित करना हानिकर है। आश्चर्य की बात है कि गोआ दमन दीव के चुनाव परिणाम पता लगते ही १८ दिसम्बर, १९६३ को इस विधेयक को पुरस्थापित कर दिया गया था और वहां के हम दोनों प्रतिनिधियों से कोई परामर्श नहीं किया गया और अब इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भी हम से नहीं पूछा गया कि गोआ के लोगों की राय क्या है।

हम ने शासक दल को वहां पराजित किया है। इसी लिए सरकार हमारे प्रति बदले की भावना से काम कर रही है।

सिद्धान्त और तर्क दोनों आधार पर मैं विधेयक का विरोध करता हूं। गोआ के लोगों की भाषा मराठी है और दमन और दीव की गुजराती और 1 नवम्बर, १९६३ से वहां भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता दमन और दीव में गुजराती में और गोआ में मराठी तथा अंग्रेजी में लागू किया गया है। मेरी आपत्ति यह है कि न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में कोई भी गुजराती जानने वाला नहीं होगा और दमन और दीव के मामलों को नहीं निबटाया जा सकेगा।

सरकार यह तर्क दे सकती है कि यह न्यायालय गोआ में स्थित होगा किन्तु यह अस्थायी काम है। इस न्यायालय द्वारा वहां विहित हितों की स्थापना की जायेगी। सरकार ने पुराने शासकों से यह चाल सीखी है क्योंकि १९६२ के अधिनियम १ में यह प्रबन्ध होते हुए कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार गोआ में बढ़ाया जायगा उसमें अब परिवर्तन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

मैं स्वयं वकील हूं। वहां न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति से मुझे तो लाभ ही होगा किन्तु गोआ के लोगों का हित इस में है कि उसका महाराष्ट्र में विलय किया जाये।

हम यहां राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं किन्तु यहां जो विधान लाये जा रहे हैं उन से विखंडन किया जा रहा है। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन संघ राज्य-क्षेत्रों को गृह मंत्रालय के अधीन लाकर राष्ट्रीय एकता का निर्माण करना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा निवेदन है कि यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है क्योंकि अनुच्छेद १, २१४ और २३० में जहां भारत के क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है वहां अनुच्छेद २३० में स्पष्ट उल्लेख है कि संसद् उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी संघ राज्य-क्षेत्र पर लागू कर सकती है। किन्तु इस विधेयक द्वारा न्यायिक आयुक्त के न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित किया जा रहा है जिसके लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं है। अतः इस विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पद की ओर से सदा यह निर्णय दिया गया है कि उसे यह निश्चय नहीं करना होता कि कोई विधेयक शक्ति बाह्य है या नहीं। यदि सभा उसे शक्ति बाह्य समझती है तो उसे अस्वीकृत कर सकती है।

श्री शं० शा० मोरे (पूना): मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मूल अधिनियम की धारा ७ का निरसन केवल इसलिए किया जा रहा है कि गोआ और महाराष्ट्र के महाराष्ट्रियों को अलग रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। सभी जगह देश की एकता की बातें की जाती हैं किन्तु जो लोग देश के साथ एकता पैदा करना चाहते हैं उन्हें उससे वंचित रखा जाता है।

इस विधान के द्वारा वहां किसी अनुभवहीन अधिकारी को न्यायिक आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है और आज तक जिन्हें अत्युत्तम न्याय प्राप्त होता रहा है उन्हें घटिया न्याय प्रदान किया जा रहा है। महाराष्ट्रियों के साथ यदि इस प्रकार के प्रयोग किये गये तो वे इन्हें सहन नहीं कर सकेंगे।

बम्बई उच्च न्यायालय नागपुर की तरह गोआ दीव और दमन के लिए शाखा स्थापित करने के लिए तैयार था। अतः समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों वहां के लोगों को इस से वंचित

[श्री शं० शा० मोरे]

करना चाहती है। सरकार प्रगतिशील लोकतंत्र की समर्थक होते हुए प्रतिक्रियावादी कदम उठा रही है।

श्री अल्वारेस (पंजिम): यह विधेयक गोआ के लोगो की आकांक्षाओं के विरुद्ध है और गोआ को अलग अगल का रूप देने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

जब दादर और नागर हवेली को स्वतंत्र किया गया था तो वहां न्यायिक प्रशासन के लिए वहां के दो प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया था ताकि मराठी और पुर्तगाली भाषाओं से अभिज्ञ लोग अधिक शीघ्रता से फैसला कर सकेंगे। उसी सिद्धांत को अब अपनाना चाहिये।

बम्बई का उच्च न्यायालय गोआ में अपनी शाखा स्थापित करने के लिए तैयार है। गोआ के लोगों के महाराष्ट्र के साथ विलय के प्रयत्नों का निश्चित परिणाम निकला है किन्तु सरकार की कार्यवाही विद्वेषपूर्ण है। प्रारम्भ में भाषा आयोग ने छात्रों से जो जानकारी एकत्र की थी उसके अनुसार भी ५४,००० छात्रों ने मराठी में शिक्षा की मांग की थी और चुनाव में भी वहां के लोगों ने महाराष्ट्र में विलय का निर्णय किया था। ऐसी परिस्थितियों में गोआ को महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय के अधीन लाना ही उचित था।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने एक और स्वेच्छाचारी कदम यह उठाया था कि गोआ की मेट्रिक की परीक्षा पहले पूना के एस एस सी बोर्ड द्वारा की जाती थी जिसे सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के अधीन कर दिया था। गोआ में इसका घोर विरोध होने पर पुनः एस एस सी बोर्ड को क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। यह इस बात का उदाहरण है कि मंत्रालय गोआ के लोगों की इच्छाओं और भावनाओं की अवहेलना कर रही है।

अब यह विधान सर्वथा अन्यायपूर्ण है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद २३१के अधीन किसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य-क्षेत्र में लागू करने का उपबंध विद्यमान है। अतः मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर): जब गोआ के लोगों ने यह इच्छा प्रकट की है कि उसका विलय महाराष्ट्र में होना चाहिये तो देश की एकता के प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कर देना चाहिये क्योंकि अन्यथा सरकार के लिए अधिकाधिक कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।

सरकार को किसी भी क्षेत्र में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। न्यायिक आयुक्त पहले ही कई स्थानों पर नियुक्त है जैसे बरार में चार जगह और मध्य प्रदेश में १८ यद्यपि इस संस्था की प्रतिष्ठा क्या है किन्तु श्री इसमें जैसे न्यायिक आयुक्तों की प्रशंसा सर लारेंस जोन्किन्स ने की थी। अतः यह सब उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसे न्यायिक आयुक्त नियुक्त किया जाता है। किन्तु यदि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने से कम खर्च पर शीघ्र न्याय हो सकता है तो उसमें परिवर्तन उचित नहीं।

श्री सोनावने: मैं इस विधेयक को इस कारण विरोध करता हूं कि इस बात का कोई स्पष्ट कारण नहीं बतलाया गया कि इस विधेयक की आवश्यकता क्यों हुई जब कि १९६२ को अधिनियम विद्यमान था।

पिछले दो वर्षों में ऐसी कौन सी बात हुई है जिसके कारण विधेयक लाना पड़ा । बम्बई के उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया न ही गोआ के लोगों ने कोई शिकायत भेजी है । ऐसी स्थिति में इस विधेयक को लाना रहस्यपूर्ण है ।

सरकार द्वारा मामलों के अकारण जटिल बना देना भी समझ में नहीं आता, ऐसा उससे निवेदन है कि वे विधेयक को वापस ले लें ।

गोआ को विदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन नहीं रहने देना चाहिये और संविधान में संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग उच्च न्यायालय बनाने का उपबन्ध भी नहीं है । अतः विधेयक को वापस ले लेना ही उचित होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : अब सभी सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया जिसे दृष्टिगत रखते हुए विधेयक को वापस ले लेना चाहिये । भले ही संविधान के अनुच्छेद २४१(१) में उपबंध है कि संसद् किसी भी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है किन्तु इसकी आवश्यकता क्या है । जो लोग पृथकता की भावना से मुक्त है उन में यह भावना क्यों पैदा की जा रही है । ऐसी ही गलती नागालैंड और नेफा के बारे में की गई थी । अतः मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे विधेयक को वापस ले लें ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस विधेयक पर बोलते हुए वक्ताओं ने बहुत सी असंगत बातें कहीं है जैसे ये प्रदेश वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन है जिस से प्रतीत होता है कि वे विदेशी प्रदेश हैं और सरकार अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा कर रही है । वास्तव में विरोधी दल के लोग समस्याएं और जटिलताएं पैदा कर देते हैं । मैं यहां उठाई गई मुख्य बातों को लेती हूं । यह पूछा गया था कि मूल अधिनियम की धारा ७ को निरसित करने का क्या कारण है । वास्तव में वह अधिनियम तदर्थ विधान था और विधि सचिव ने गोआ के लोगों, वकीलों तथा न्यायपालिका की इच्छाओं का पता लगाया है और उनका मत है कि जब तक वहां पुर्तगाली विधि लागू है बम्बई उच्च न्यायालय मामलों का निबटारा नहीं कर सकेगा । अतः यह आवश्यक समझा गया कि कुछ वर्ष के लिए पंजिम स्थित ट्रिब्यूनल डीरेले को उच्च न्यायालय के रूप में काम करे । बम्बई उच्च न्यायालय के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली क्योंकि इस बीच वहां कोई अपील की ही नहीं गई ।

श्री मोरे ने कहा कि गोआ को महाराष्ट्र से अलग करने का प्रयत्न किया जा रहा है । जो प्रदेश ४५० वर्ष पक विदेशी शासन के अधीन रहने पर महाराष्ट्र से अलग नहीं हुआ वह अब अलग कैसे हो जायगा ?

घटिया न्याय और बढ़िया न्याय का अन्तर करना गलती है क्योंकि न्याय सत्य की ही तरह अनन्या है । संसद् को किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय स्थापित करने और किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित करने का अधिकार है । अतः मैं विधेयक को वापस नहीं लेती ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोआ, दमन और दीव के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय को संविधान के कुछ प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में ७३ ; विपक्ष म २५

The Lok Sabha divided

Ayes 73 : Noes : 25

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्डवार विचार होगा। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड २ से ४ विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses two to four were added to the Bill

खण्ड ५—(इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद पास किये गये या तैयार किये निर्णय, डिग्री आदि पर उच्चतम न्यायालय को अपील की जा सकेगी)

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ ३,

"पंक्तियों ५ से १३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

Appeals to Supreme Court from Judgement, decreee, etc. passed or made by judicial Commissioner's Court.

"5. Subject to any rules made under article 145 or any other law as to the time within which appeals to the Supreme Court are to be entered, an appeal shall lie to that Court from a judgement, decree or final order of the Judicial Commissioner's Court, under the provisions of article 132 or article 133, or from a judgement, final order or sentence of such court under the provisions of article 134:

Provided that an appeal may be preferred within ninety days from the date of passing of this Act from a Judgement, decree, final order or sentence passed or made by the Judicial Commissioner's Court before that date."

न्यायिक आयुक्त के न्यायालय से दिये गये अथवा किये गये निर्णय, आज्ञप्ति आदि पर उच्चतम न्यायालय को अपील

["५ अनुच्छेद १४५ या अन्य विधि के अधीन उच्चतम न्यायालय को अपील भेजने की अवधि के बारे में बनाये गये नियमों के अधीन, न्यायिक युक्त के निर्णय, डिग्री या अन्तिम आदेश पर अपील अनुच्छेद १३२ या अनुच्छेद १३३ के अधीन या ऐसे न्यायालय के निर्णय, अन्तिम आदेश या दण्ड पर अपील अनुच्छेद १३४ के अधीन उच्चतम न्यायालय को भेजी जायगी ।]

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने

खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 as amended was added to the Bill.

खण्ड ६ से ८ विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 6 to 8 were added to the Bill.

खण्ड १ (छोटा नाम और प्रारम्भ)

Clause 1 (Short title and commencement)

संशोधन किया गया :

Amendment made.

पृष्ठ १, पंक्ति ४ "1963" ["१९६३"] के स्थान पर "1964" ["१९६४"] रखा जाए ।

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

पाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

खण्ड १ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1 as amended was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ १ पंक्ति १ "Fourteen " ["चौदहवां"] के स्थान पर Fifteen ["पन्द्रहवां"] रखा जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting formula as amended was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The title was added to the Bill

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक के संशोधित रूप में, पारित किया जाए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (SEVENTEENTH AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र): श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए ।"

इस विधेयक द्वारा संविधान में दो परिवर्तन करने हैं। एक तो अनुच्छेद ३१-क में सम्पदा की व्याख्या करनी है और दूसरे नवीं अनुसूची में राज्यों के ४४ अधिनियम शामिल करने है ।

इसमें कोई नया या खतरनाक सिद्धांत नहीं अपनाया जा रहा। अनुच्छेद ३१-क में राज्य को किसी सम्पदा को अर्जित करने के अधिकार राज्य को दिये गये हैं किन्तु सम्पदा की जो व्याख्या वहां दी गई है उसमें जागीर, इनाम, माफी और जम्मम आदि के अधिकार भी आ जाते हैं जो विभिन्न प्रदेशों में २६ जनवरी को विद्यमान थे । अत: यह कठिनाई रही कि विभिन्न राज्यों में सम्पदा की विभिन्न व्याख्याएं विधियों में रखी गईं । इस के परिणामस्वरूप कई राज्यों की विधि को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने शक्ति बाह्य घोषित कर दिया । अब यह विचार है कि 'सम्पदा' की व्याख्या संविधान में कर दी जाए । अनुच्छेद ३१-ख के अन्तर्गत राज्यों के ४४ अधिनियमों को नवीं अनुसूची में शामिल किया जा रहा है । पहले १२४ अधिनियमों को इसमें शामिल करने का

विचार था किन्तु संयुक्त समिति में चर्चा के उपरांत यह निश्चय किया गया कि जिन विधियों पर आपत्ति होने की संभावना है या जिन्हें न्यायालय ने रद्द कर दिया है उन्हें किया जाए ।

यह विचार व्यक्त किया गया था कि जब 'सम्पदा' शब्द की व्याख्या को विस्तृत कर दिया गया है तो फिर उक्त विधियों को नवीं अनुसूची में शामिल करने की क्या आवश्यकता है । किन्तु ऐसा सावधानी के तौर पर किया जा रहा है ।

भूमि सुधार की नीति का अनुसरण करने के लिए यह पद्धति अपनानी पड़ी है अन्यथा इस संशोधन में कोई नयी बात नहीं है । यह पूर्व निर्धारित नीति है कि फालतू भूमि लेकर उस पर काश्तकारों को बसाया जाए । संविधान (चौथे संशोधन) विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में भी इस नीति का उल्लेख किया गया था और तब सभा ने पक्ष में ३०२ और विपक्ष में ५ मतों के भारी समर्थन के साथ उक्त नीति का अनुमोदन किया था । संयुक्त समिति में इस विधेयक पर काफी चर्चा हो चुकी है । तो भी किन्हीं अधिनिकायों अधिनियमों के सम्बन्ध में कोई सदस्य कोई बात उठाना चाहें तो मैं उसे स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप मे विचार किया जाय ।"

श्री रंगा (चित्तूर) : जिस समय इस विधेयक को पेश किया गया था तो मैंने कहा था कि किसानों के अंधकारमय युग का आरम्भ हो गया है । अब भी उस अन्धा कार में कोई कमी नहीं हुई ।

इस विधान को लाने का मूल आधार यह बताया जाता है कि संसद ने भूमि सुधार करना स्वीकार कर लिया है और इस द्वारा भूमि सुधार किया जा रहा है ।

सारी उन्नीसवी शताब्दी और इस शताब्दी के इतिहास में भूमि सुधार से यही समझा जाता रहा है कि किसानों, जमीन के मालिकों और सरकार के बीच कोई विचौलिया नहीं होना चाहिये और उस विचौलिये को क्षतिपूर्ति दे कर हटा देना चाहिये किन्तु अब सरकार कहती है कि वह क्षति-पूर्ति बाजार भाव के अनुसार नहीं होनी चाहिये ।

भूमि सुधार के लिये विचौलिये को समाप्त करने का आंदोलन १९६१ में आरम्भ हुआ था और कांग्रेस में मैंने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव रखा था तथा श्री नेहरू ने इस का विरोध किया था । तब मैंने कहा था जमींदारों के अधीन काम करने वाले पट्टेदार वास्तव में जमीन के मालिक हैं । उस समय मेरा प्रस्ताव कार्यकारी समिति में अस्वीकृत हो गया था और तब श्री नेहरू ने नहीं कहा था कि सारी भूमि राज्य की होनी चाहिये ।

संविधान सभा ने दो महत्वपूर्ण निर्णय किये थे । एक निर्णय संविधान में दिया हुआ है और वह यह है कि भूमि का मुआवजा दिया जाये और वह मुआवजा उचित होना चाहिये, परन्तु जमींदारी प्रथा खत्म की जानी चाहिये । मुआवजे के बारे में न्यायालयों द्वारा आपत्ति उठाई गई है और उन्होंने इस प्रकार के निर्णय दिये हैं कि मुआवजा उचित अथवा बाजार भाव के अनुसार होना चाहिये । परन्तु यह महसूस किया गया कि उतना मुआवजा देने का सरकार का सामर्थ्य नहीं है और

[श्री रंगा]

इनसे किसानों को आवश्यक संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस का परिणाम यह हुआ कि संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक लाया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि विभिन्न विधान मण्डलों को मुआवजे के बारे में निर्णय करने का अधिकार होगा और इस निर्णय पर उच्चतम न्यायालय आपत्ति नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने काश्तकारों को भूमि का स्वामी बनाने के संसद के अधिकार को चुनौती नहीं दी है। उसने केवल मुआवजे के निर्धारण के प्रश्न पर आपत्ति की है। संविधान सभा में यह प्रश्न भी उठाया गया था कि क्या इस प्रकार का विधान रैयतवारी जोतों पर भी लागू किया जायेगा। तब सरकार तथा संविधान सभा की ओर से डा० अम्बेडकर ने यह आश्वासन दिया था कि चूंकि प्रत्येक रैयतदार भूमि का पट्टेदार अथवा स्वामी है और बीच में कोई बिचौलिया आदि नहीं है, अतः यह विधान रैयतदारों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि संसद अथवा राज्य विधानमण्डल बाद में यदि अनुच्छेद ३१क रैयतवारी पट्टेदारों के विरुद्ध लागू करने की कोशिश करें तो राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वे उस विधान को अपनी सहमति न दें। अतः उस समय रैयतवारी पट्टेदारों को बिचौलिया नहीं माना गया था।

जमींदारी उन्मूलन के परिणामस्वरूप काश्तकार भूमि के स्वामी बन गये हैं। यह अधिकार उन्हें केवल विधान के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ अपितु मुआवजा देकर वे भूमि के स्वामी बने हैं। ये काश्तकार तथा रैयतवारी पट्टेदार भूमि के स्वामी होने के कारण समान स्तर पर हैं। साम्यवाद विरोधी देशों में काश्तकारों को दो अधिकार प्राप्त हैं। उनको एक विशेष अवधि के लिये काश्त करने का अधिकार होता है और उनसे भू-स्वामी निर्धारित सीमा से अधिक लगान वसूल नहीं कर सकते। इनको छोड़ कर भू-स्वामियों के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। यह देखना सरकार का कार्य है कि भारत में काश्तकारों को ये दोनों अधिकार प्राप्त हैं अथवा नहीं। मद्रास में राजाजी ने, जब वे मुख्य मंत्री थे, विधान द्वारा मिरासीदारों तथा रैयतवारी पट्टेदारों के काश्तकारों को यह संरक्षण दे दिया था। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उसका इरादा रैयतवारी किसानों को भूमि का स्वामी बनाने और रैयतवारी पट्टेदारों को जमींदार ठहराने का है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जमींदारों की तरह उन के सारे अधिकार भी समाप्त करना चाहती है।

यह आपत्ति की जा सकती है कि रैयतवारी पट्टेदारों को दूसरे लोगों को जमीन पट्टे पर देने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। इस के कई कारण हैं। उन के परिवार के समर्थ लोग सेना में भरती हो गये हैं या वे नौकरी में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी मामले हैं कि परिवार में विधवायें या बच्चे ही हैं जो स्वयं जमीन को काश्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि उन्हें कुछ काल के लिये जमीन पट्टे पर देनी पड़ती है। क्या सरकार ऐसे लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है जो एक सीमित अवधि के लिये अपनी जमीन अन्य लोगों को पटटे पर देने के लिये मजबर हो जाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के काश्तकारों विधानों में इन लोगों को अपनी जमीनें पट्टे पर देने की स्वतंत्रता है और उन को अन्यत्रवासी जमींदार करार नहीं दिया गया है। वे अन्यत्रवासी जमींदार नहीं हैं। वे स्वयं काश्तकार हैं और काश्तकार रहना चाहते हैं। राष्ट्र-निर्माण कार्यों अथवा अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने आदि के लिये तीन अथवा चार वर्षों के लिये वे खेती के काम से निवृत्त होना चाहते हैं। अस्वस्थ होने के कारण भी कुछ समय के लिये वे खेती के काम से अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं। क्या सरकार ऐसे लोगों के अधिकार छीनना चाहती है? यदि सरकार इसी नीति पर चलना चाहती है तो उसे उन मकान मालिकों को भी जिन्हों ने अपने मकान किराये पर दे रखे हैं उन के मकानों से बाहर निकाल फैंकना चाहिये। परन्तु सरकार की

यह नीति नहीं है। अतः सरकार को इन काश्तकारों के बारे में भिन्न नीति नहीं अपनानी चाहिये, जबकि काश्तकारी विधान के अन्तर्गत उनके मूल अधिकार सुरक्षित किये गये हों।

यह कहा जा सकता है ये लोग धनी हैं। एक ही परिवार के १० अथवा बारह व्यक्तियों के पास काफी जमीनें हैं और वे लोगों का शोषण करते हैं। प्रत्येक राज्य में जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की कोई आपत्ति करना उचित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने भी अधिकतम सीमा के बारे में कोई आपत्ति नहीं की है। किसी भी राज्य में यह सीमा ४० स्टैण्डर्ड एकड़ से अधिक की नहीं है। अधिकांश राज्यों में यह १० अथवा १२ एकड़ है। काफी लोगों ने केवल कृषकों के बारे में ही ऐसी सीमा के निर्धारित किये जाने पर आपत्ति उठाई थी। केवल कृषकों को ही अपने बच्चों, कालेजों, सार्वजनिक सेवाओं तथा उद्योगों में भेजने के लिये मना किया जा रहा है। योजना आयोग ने उन लोगों की आपत्तियों के बावजूद भी अपनी मनमानी की है और राज्यों ने उसे स्वीकार कर लिया है। वे इस बात से भी सहमत हो गई हैं कि एक कृषक परिवार की मासिक आय ५०० रु० से अधिक नहीं होनी चाहिये। सरकार ने इसी बात को दृष्टि में रखकर भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। १०० लोगों में से पांच से अधिक के पास अधिकतम सीमा जितनी जमीन नहीं है। क्या सरकार इन थोड़े से व्यक्तियों को समाज के शत्रु ठहराना चाहती है। चूंकि इन्हें अपनी जमीनें पट्टे पर देने का अधिकार है इसीलिये सरकार उन्हें जमींदार समझ कर संवैधानिक संरक्षण से मुक्त करना चाहती है। १९६७ मे होने वाले निर्वाचनों के समय कांग्रेस को जनता के इन प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या सरकार की दृष्टि में वे लोग जागीरदार बन गए हैं। इस विधेयक के पास हो जाने से सरकार को किसी व्यक्ति की ज़मीन किसी भी समय अर्जित करने का अधिकार होगा। अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को पहले ही यह अधिकार प्राप्त है, परन्तु उस के अन्तर्गत किसान को जमीन का पूर्ण स्वामी समझा जाता है और सरकार को किसी भूमि को अपने कब्जे में लेने से पहले 'लोक प्रयोजन' को सिद्ध करना होता है और सरकार के निर्णय के बारे में न्यायालय में आपत्ति उठाई जा सकती है। इन सब से बचने के लिये यह विधेयक पास किया जा रहा है। भूमि को सम्पदा के अन्तर्गत लाया जा रहा है ताकि न्यायालय में इस के बारे में कोई आपत्ति न उठाई जा सके। वर्तमान उपबन्धों के अनुसार 'लोक हित' के बारे में कोई न्यायालय आपत्ति नहीं कर सकता है।

सरकार की ओर से एक संशोधन लाया गया है जिसका उद्देश्य यह है कि यदि निर्धारित सीमा से कम वाली जमीन को अर्जित करना जरूरी हो जायेगा तो बाजार भाव पर उस जमीन का मूल्य दिया जायेगा। परन्तु अधिकतम सीमा के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह किस राज्य में कितनी कर दी जायेगी। कई राज्य सरकारों ने अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय योजना आयोग की सिफारिश का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है। कुछ समय बाद ऐसी सरकार आ सकती है जो इस सीमा को और अधिक कम कर देगी। अतः इस संशोधन का कोई महत्व नहीं है। सरकार इन करोड़ों कृषक परिवारों की रोजी समाप्त कर के उन को अपने इशारे पर नचाना चाहती है।

१९५४ में ऐसे किसानों की संख्या जिनके पास ४० एकड़ से कम भूमि थी, किसानों की कुल सख्या का ६० प्रतिशत थी। उनकी मासिक आय ५०० रु० से अधिक नहीं है। सरकार उन की जमीनों को क्यों छीन रही है? सरकार उनकी जमीनें छीन कर सहकारी खेती लागू करना चाहती है। सरकार ५० लाख सुनारों को अभी तक भी काम नहीं दे सकी है। देश में पहले से ही काफी

[श्री रंगा]

बेरोजगारी है । और सरकार सहकारी खेती अपना कर ट्रेक्टरों आदि का प्रयोग करके ६ करोड़ कृषि श्रमिकों में से कम से कम आधी संख्या को भी रोजगारहीन बना देगी । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार बेरोजगारी क्यों बढ़ाना चाहती है । सरकार का विचार है कि वह सहकारी खेती से उत्पादन बढ़ा सकेगी । परन्तु रूस इस दिशा में सफल नहीं रहा है और उसे अन्न का आयात करना पड़ता है । सहकारी खेती से उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता । इस के बिपरीत यह बेरोजगारी को बढ़ावा देगी और इससे समाज में अशांति फैल जायेगी । अतः सरकार को यह विधान पास नहीं करना चाहिये । इस से हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था का आधार ही खत्म हो जायेगा । महात्मा गांधी के साथ किसानों की सहानुभूति होने के कारण ही हम देश को स्वतंत्रता दिला सके हैं । कांग्रेस सरकार १६ वर्षों से किसानों के समर्थन के कारण ही देश पर शासन करती आ रही है । ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं पर रूसी साम्यवाद का प्रभाव पड़ा है । यही कारण है कि भुवनेश्वर अधिवेशन में एक नया मंत्र अपनाया गया है । क्या सरकार यह कहने का साहस रखती है कि जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, उसे और कम नहीं किया जायेगा ।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इस विधेयक का अधिकतम सीमा से सम्बन्ध नहीं है । यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है । राज्य सरकारें भूमि सुधारों के मामले मे कोई कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं ।

श्री रंगा : उपमंत्री महोदय अनुच्छेद ३१-क के प्रस्तावित परन्तुक को पढ़ने की कृपा करें ।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र: यह स्पष्ट है कि राज्य सरकारें भूमि सुधार सम्बन्धी विधान पास करने के लिये स्वतंत्र हैं । संयुक्त समिति द्वारा व्यक्त किये गये सन्देह को दूर करने के लिये यह परन्तुक जोड़ा गया था । उसका उद्देश्य सभा को यह विश्वास दिलाना है कि सरकार छोटे काश्तकारों को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती । परन्तु वह परन्तुक संसद् को यह अधिकार नहीं देता कि वह राज्य सरकारों को अधिकतम सीमा के बारे में कोई निदेश दे सके ।

श्री रंगा : चूंकि राज्य सरकारों को ऐसा करने का अधिकार है इसीलिये मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार किसानों को यह विश्वास दिलाये कि किसी भी राज्य में अधिकतम सीमा एक विशेष सीमा से नीचे नहीं जाने दी जायेगी और वह सीमा अन्तिम होगी । परन्तु मुझे खेद है कि उसमें इतना साहस नहीं है । यदि सरकार किसानों के अपनी भूमि के स्वामी होने के बारे में अनिश्चितता दूर नहीं करेगी और उनको बिचौलिये समझती रहेगी, तो किसानों का सत्तारूढ़ दल को अपना शत्रु समझना न्यायसंगत होगा ।

हम चाहते हैं कि किसानों को संरक्षण दिया जाये और कृषि श्रमिकों के लिये निम्नतम मजूरी निर्धारित की जाये । सरकार के पास जो ८ करोड़ एकड़ भूमि है वह कृषि श्रमिकों में बांटी जाये या उनको पट्टे पर दी जाये । ताकि वे स्वयं नियोजित काश्तकार बन सकें । जब यह देश अपनी खेती के काम में लगे हुए किसानों का समर्थन करेगा और उनकी सहायता करेगा तभी यह सही रूप में प्रगति कर सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिये १० घंटे का समय निर्धारित किया गया है । अतः हम ८ घंटे प्रथम वाचन के लिए तथा २ घंटे द्वितीय वाचन के लिए लेंगे ।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : सरकार की कृषि सम्बन्धी नीति से छोटे कृषकों को नुक्सान नहीं पहुंचना चाहिए। निर्धारित सीमा से कम भूमि वाले कृषकों की भूमि का अर्जन करने के मामले में उन्हें भूमि के बाजार भाव के हिसाब से पूरा मूल्य दिया जाना चाहिए जिससे उन्हें भूमि के उचित मूल्य न मिलने की आशंका नहीं रहेगी।

हमारी कृषि सम्बन्धी नीति का मूल उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना होना चाहिए और किसानों में विश्वास और स्थिरता की भावना होनी चाहिए ताकि वह स्वयं को भूमि का स्वामी समझ कर अधिक लगन से उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य कर सकें। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी नीति में इन मूल बातों का अभाव है। यही कारण है कि अधिक भूमि में खेती किये जाने के बावजूद भी हम कृषि उत्पादन में आवश्यकता के अनुसार वृद्धि नहीं कर पाये हैं। सरकार कृषि की अपेक्षा उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दे रही है जिससे हमारी कृषि बहुत पिछड़ गई है और प्रति एकड़ पैदावार बहुत कम होती है।

आज देश के सामने मुख्य समस्या उत्पादन बढ़ाने की है अन्यथा खाद्यान्न सम्बन्धी भावी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पायेंगी। अतः सरकार को भूमि सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए जिससे पैदावार में वृद्धि हो।

कुछ राज्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, भूमि सुधार सम्बन्धी नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि सब राज्यों तथा जिलों के लिए एक समान कृषि सम्बन्धी नीति होनी चाहिए या भिन्न भिन्न। भूमि सुधार कानूनों के अनुसार दो प्रकार के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है जिनमें से एक कृषकों के लिए और दूसरे उनके लिए हैं जो कृषक नहीं हैं। कानून के अनुसार किसी मिल अथवा कारखाने का अर्जन किये जाने पर उसका मूल्य बाजार भाव से दिया जाता है और यह सम्पत्ति "एस्टेट" के अन्तर्गत नहीं समझी जाती है किन्तु एक निर्धन कृषक की आधी एकड़ भूमि भी "एस्टेट" के अन्तर्गत समझी जाती है और उसका विशिष्ठ कानून के अन्तर्गत अर्जन किया जा सकता है। भू-राजस्व संहिता में "एस्टेट" की इस परिभाषा का कोई औचित्य नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी एक बार खेरा जिले में वक्तव्य देते हुए कहा था कि भू-राजस्व संहितायें शीघ्र समाप्त कर दी जानी चाहिए। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के आज १७ वर्ष बाद भी भू-राजस्व संहितायें उसी प्रकार विद्यमान हैं।

यह खेद की बात है कि आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में मिडिल क्लास तथा अपर मिडिल क्लास, जिन पर पूंजीपतियों का प्रभाव है, शासन कर रहा है। मेरा अनुरोध है कि पूंजीपतियों, मिल-मालिकों तथा गरीब किसानों, सब के लिए, एक समान मूल अधिकार होने चाहिएं। प्रजातंत्रिक सरकार में किसी प्रकार का भेदभाव का व्यवहार करना अनुचित है। सब के लिये उच्च सीमा एक समान निर्धारित की जानी चाहिए।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

[Shri Thirumala Rao *in the Chair*]

कुछ लोग भूमिहीन कृषकों तथा मजदूरों के समर्थक हैं और उनसे सहानुभूति रखने का दावा करते हैं। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, भूमिहीन लोगों को अवश्य भूमि दी जानी चाहिए। किन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उनकी सहानुभूति केवल कृषकों के साथ ही क्यों है? बेघर तथा बेकार लोगों के लिए भी इन लोगों में समान सहानुभूति होनी चाहिए। वास्तव

[श्री पू० रा० पटेल]

में ये चतुर व्यक्ति भूमिहीन कृषकों आदि की बात करके कृषकों में आपस में फूट के बीज बो कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं।

देश की ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषक होते हुए भी उनका अपना कोई संगठन नहीं है जो उनकी ओर से सरकार तक आवाज पहुंचा सके। उनके हितों की रक्षा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर है। सरकार को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

Shri B. P. Sinha (Monghyr) : The more the Government talk of land reform the lesser the production. The Congress Government have overlooked all the commitments made in regard to the farmers. Not a single promise has been fulfilled. Whenever the Government need more moneys the land revenues are increased. In Bihar, for exapmple, in order to realise arrears of land revenues, the movable properties of the farmers concerned are attached and even they are arrested. Harsher treatment is being given to them today. The *per capita* income of a person in our country is hardly seven and a half annas, but the Constitution is being amended to acquire the lands for public purpose. Adequate compensation is not being given to them in lieu thereof. In order to increase production, a standard of cultivation should be fixed, as we find in England, and then if somebody fails to deposit revenue his land can be taken away. The farmers should be supplied with proper know-how about the types of land they possess and the type of fertilisers that can prove more helpful.

A farmer whose annual income comes to 3000 or 3600 rupees or so should be exempted from the imposition of land revenues, as is the case of employees in regard to income-tax. The rates at which land revenues are imposed are exorbitant and they should be reduced. Let the salaries and allowances of the employees be increased, but the burden on the farmer should not increase as a result thereof. Why can the big Government officials, who are getting huge salaries and allowances, not reduce them and lead a simple life, like our farmers, and thus set an example for others. We talk of Gandhiji but we don't follow his footsteps. We have ignored the noble ideals enunciated by him. Let us follow the method of England and fix some standard of cultivation. There the farmer is given a subsidy in case his production cost rises. The farmer should be given a price for his produce keeping in view his cost of production. This is the method by which our production can increase.

Today we cultivate hardly 37 crore acres of land. The remaining 23 crore acres is lying unused. Our production can increase manifold if we try to cultivate this waste land. Production can increase by a proper synthesis of theory and practice. But our practical knowledge is negligible. Sub-letting of land is not allowed in our country. But land subletting is both an exploitation as well as a cooperation. If a farmer sublets his land to another farmer and works with him, that will be called cooperation and not exploitation. Such a sub-letting should be permitted.

Instead of approaching the big capitalists, the Government are seeking more powers to acquire the lands of the farmers, without paying them proper compensation and this is most unfair. The Government should realise that the per capita income in our country is seven and a half annas and the per

capita income of a farmer is hardy four annas. He even has no shelter to protect his body.

We passed 'Bhubaneshwar Resolution but no time-limit has been fixed for its implementation. We talk of socialistic pattern, but we have not laid down the limit of disparity that will be allowed to remain. There is thus no use of talking of big ideals unless we attempt to realise them.

We talk of cooperative farming, but we must realise that it has proved abortive in China, Russia and other countries, except, of course. Israel.

A legislation already exists for acquiring land for public purpose. Any further attempt to amend the constitution in that regard, will shake the faith of masses. The constitutional amendment with a view to acquire land without adequate compensation is perfidius in character. The rich are becoming richer already and the poor will become poorer as a result of this measure. Hence this measure should not be passed like this. It should be referred for eliciting opinion of the public.

I also propose that commission be appointed to look into the problems of the farmers. Their economic condition should be looked into. The Government should fulfil the promises made in regard to the farmers, and give more attention to them.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह सराहनीय बात है कि संयुक्त समिति ने विधेयक में एक संशोधन स्वीकार किया है जिससे किसी सीमा तक छोटे कृषकों के हितों की रक्षा हो सकेगी। काफी विचार विमर्श के बाद संयुक्त समिति इस बात के लिए सहमत हुई कि किसी सार्वजनिक कार्य के लिए किसी कम भूमि वाले कृषक की भूमि का अर्जन साधारण कानून के अन्तर्गत किया जायेगा।

मैं समझता हूं कि माननीय मित्र श्री रंगा, जिन्होंने प्रस्तुत विधेयक का कड़ा विरोध किया है, इस बात से सहमत होंगे कि राज्य द्वारा सार्वजनिक हित के लिये कार्यवाही की जाने पर प्रत्येक नागरिक को अपने कुछ अधिकारों तथा सुविधाओं की बलि देनी पड़ती है। देश के हित में वे अधिकार सरकार को सौंपने पड़ते हैं। अतः लिखित संविधान, न्यायपालिका, विद्यमान कानून, तथा संसद्, जिसको जनता के हितों की रक्षा करने का पूरा अधिकार सौंपा गया है, के होते हुए इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए।

मैं श्री रंगा की इस बात से सहमत नहीं हूं कि विभिन्न राज्यों में भूमि की वर्तमान सीमा को बदलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ राज्यों में सामाजिक न्याय तथा योजना आयोग द्वारा घोषित नीति की दृष्टि से उच्चतम सीमा सम्बन्धी कानून अनुचित है और वह कृषकों की अपेक्षा भूमि के मालिकों के लिए अधिक लाभदायक हैं। इन उच्चतम सीमा सम्बन्धी विधियों में संशोधन करने की आवश्यकता है। सरकार को कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए।

आज कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न होने का एक मात्र कारण यह है कि कृषकों को अपनी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को अभी तक संहिताबद्ध नहीं किया गया है। राज्य सरकारों पर भूमि के मालिकों का अधिक प्रभाव होने के कारण कृषकों के साथ न्याय नहीं हो पाता है। वर्ष १९५८ और १९६० में बनाये गये भूमि सुधार सम्बन्धी

[श्री सुरेन्द्रनाथ दिवेदी]

कानूनों को राज्य द्वारा अब तक भी लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार के विलम्बकारी तरीकों का आश्रय लेकर भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। केन्द्र सरकार ने इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। सरकार को संबंधित राज्यों से कहना चाहिए कि इस प्रकार की विलम्बकारी नीति नहीं अपनानी चाहिए अन्यथा भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों को लागू करने की प्रगति धीमी पड़ जायेगी।

जिस ढंग से संविधान में संशोधन किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। सरकार ने विभिन्न राज्यों में लागू भूमि सम्बन्धी कानूनों का अच्छी तरह अध्ययन नहीं किया है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि ऐसे संशोधनों तथा विधेयकों का उद्देश्य कृषि सम्बन्धी सुधारों की अपेक्षा राजनैतिक अधिक होता है। इसका प्रमाण केरल भूमि सुधार विधेयक है। इस विधेयक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई किन्तु सरकार द्वारा उस समय उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[**Mr. Speaker** *in the Chair*]

किन्तु ज्योंही केरल की राज्य सरकार बदली बिना किसी वैध कारण के विधेयक में संशोधन किया गया। यह संशोधन केरल में भूमि के मालिकों के पक्ष में किया गया क्योंकि वे लोग राज्य में कांग्रेस दल के समर्थक हैं। सरकार को योजना आयोग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कानून में संशोधन करना चाहिये। आयोग का कार्य बड़ा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है। अतः यह उत्तरदायित्व बड़ी सावधानी से निभाना चाहिए। जिससे सारे देशवासियों का भला हो सके। कृषि सम्बन्धी कानूनों को उचित रूप से लागू किया जाये जिससे किसानो को फायदा पहुंच सकेगा।

हमारे सामने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की आय की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण समस्या है। सरकार को सामाजिक समता की दृष्टि से नगरीय आय पर अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए अन्यथा समाज में असंतुलन पैदा हो जायेगा। सरकार को कृषको के हितों का हनन करके उद्योगों का विकास नहीं करना चाहिए। इससे देश को काफी हानि पहुंचेगी क्योंकि देश की ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। उद्योगों के साथ कृषि का भी विकास होना चाहिए।

यह सराहनीय बात नहीं है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी कानून को अवैध घोषित किये जाने पर भी राज्य सरकारें उसमें संशोधन नहीं करती हैं। यदि हम देश में सामूहिक तथा सहकारी कृष्यकरण को सफल बना कर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो कृषि सम्बन्धी कानूनों को उचित रूप से क्रियान्वित करना चाहिए, काश्त करने वाले किसानों को भूमि दी जानी चाहिए जिससे ये लोग अपनी भूमि समझ कर मेहनत से काम कर सकेंगे। छोटे कृषकों के हितों की रक्षा के लिए बड़े जमींदारों की भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और इससे प्राप्त फालतू भूमि भूमिहीन कृषकों को दी जाये।

इस विधेयक का समर्थन करने के साथ साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भूमि सुधार सम्बन्धी संशोधन करने से पहिले भूमि सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया जाये।

श्री विमुधेन्द्र मिश्र : मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ताकि श्री द्विवेदी का आरोप स्पष्ट हो सके कि सरकार संयुक्त समिति राजनीतिक प्रभाव डालती रही है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैंने संयुक्त समिति की बात नहीं की, वैसे ही मैंने कहा था कि राजनीतिक प्रभाव डाला जा रहा है ।

श्री विमुधेन्द्र मिश्र : जो भी है इससे कुछ भ्रांति दूर हो जायेगी । जो कुछ भी किया है उसके बावजूद अनुच्छेद ३१ख के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल को पूर्ण अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार किसी विधान में संशोधन कर ले अथवा उसे रद्द कर दे । नवम अनुसूची में किसी विधान को रखने का क्या लाभ यदि उस पर कोई अमल नहीं करेगा । राज्य सरकार पर किसी प्रकार का दबाव डालने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री करूथिरमण (गोबी चेट्टिपल्लम) : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण यह संविधान संशोधन विधेयक बड़ा आवश्यक हो गया है । कई माननीय सदस्य संशोधन का विरोध कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि हमने लोगों के लाभ के लिए संविधान बनाया है । अतः जब भी कभी लोगों के हित को दृष्टि से इसमें संशोधन आवश्यक हो उसे कर लेना चाहिए । यह संशोधन विधेयक का सम्बन्ध तो केवल भमि सुधार से ही है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूमि सुधार बहुत ही आवश्यक वस्तु है । एक उच्चतम सोमा निर्धारित को गयो है प्रत्येक व्यक्ति को उस सोमा के अन्तर्गत रहना होता है । वास्तव में ज़रूरत इस बात की अधिक है कि लोगों के दिलों में कोई परिवर्तन हो । उच्चतम सोमा निर्धारित होने से लोग अधिक परिश्रम करेंगे और उत्पादन भो बढ़ेगा ।

यह बात ठोक है कि उच्चतम सोमा, सभो प्रकार को आय पर क्यों नहीं लगाई जाती, इसके लिए केवल देहाती लोगों को ही क्यों चुना गया है । मेरा निवेदन है कि यदि यह उपबन्ध किया जाता कि हर तरह की सम्पत्ति पर उच्चतम सीमा निर्धारित होगी, तो हमने वर्तमान विधान का स्वागत किया होता । बात यह नहीं है और इसके लिये जोत सीमा निर्धारित करने से हमें खेतो के उत्पादन में सहायता नहीं मिलेगी । मेरे विचार में आवश्यकता इस बात को है किसानों को संरक्षण दिया जाय और भूमि के स्वामित्व का पूर्ण संरक्षण हो ।

इस बारे में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह कि मेरे चुनाव क्षेत्र में सरकार ने निचलो मवानो परियोजना के लिए बहुत सो भूमि का अर्जन किया । इस मतलब के लिए अच्छो बुरी सभो प्रकार की जमीनें अर्जित कर लो गयीं । लोगों को बताया गया कि उन्हें अधिक से अधिग मुआवजा दिया जायेगा । परिणाम यह हुआ कि लोगों को ३०० से ४०० रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा प्राप्त हुआ । शान्तिप्रिय लोगों ने इस मुआवजे को स्वीकार कर लिया । परन्तु कुछ ऐसे भो लोग थे जिनको इससे सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया । उन्हें २००० रुपये प्रति एकड़ रुपये मुआवजा मिला और यह मुआवजा २००० से ७००० रुपये प्रति एकड़ तक गया । अब आप हो बताइये यह कहां का न्याय है । लोग प्रायः अशिक्षित हैं उन्हें यह समझ नहीं कि सरकार के साथ झगड़ा होने पर किस प्रकार अदालत में जाया जा सकता है । सरकार

[श्री करूथिरमण]

का कर्त्तव्य तो यह है ऐसे अशिक्षित लोगों का वह स्वयं संरक्षण करें । शान्तिप्रिय लोगों को उनके शान्तिप्रिय होने की सजा नहीं दी जानी चाहिये ।

मुझे यह डर है कि वर्तमान विधेयक में भी शायद सरकार मनमानी न कर सके और मुआवजे के मामले में लोगों को अदालतों में जाना ही पड़े । व्यक्ति और किसान की सम्पत्ति में भेदभाव किया गया है । प्रत्यक्ष है कि योजना आयोग और सरकार देहाती लोगों को नहीं समझ सकी है और न ही देश में देहाती इलाकों के नेताओं को समझ सकी है । जमीन को सच्चा जोतने वाला वह है जिसकी अपनी मिलकियत हो और जमीन के लिए जिसे संरक्षण प्राप्त हो । केवल ऐसा व्यक्ति ही पैदावार बढ़ा सकता है । जमीन जनीन के बीच बड़ा भेदभाव रखा गया है । इसी तरह कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के बीच भेदभाव रखा गया है ।

यह बड़ा आवश्यक है कि हम इस बात की परिभाषा स्पष्ट रूप से कर दें कि भूमि को स्वयं जोत करने वाला कौन है उसका शुद्ध और उचित निर्वचन भी होना चाहिए । मैं भूमि सुधारों का विरोधी नहीं हूं मैं चाहता हूं भूमि सुधार हो परन्तु मेरा मत यह है जिस तरह से सरकार चल रही है उस तरह से उत्पादन की वृद्धि संभव नहीं क्योंकि लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है । इसे ठीक करने के लिए मेरा तो यही निवेदन है कि अर्जित भूमि के लिए, चाहे वह खुद की खेती की जमीन हो या वह उसे लगान पर जोतता हो, किसान को बाजार मूल्य दर प्रतिकर दिया जाना चहिए । जमींनदार को भी काश्तकार जैसे अधिकार प्राप्त होने चाहियें । रैयतवाड़ी देश की एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है । इसकी रक्षा की जानी चाहिये । एक शंका है कि हो सकता है कि वर्तमान संशोधन का इस पर प्रभाव पड़े । मुझे आशा है कि मेरे इन सुझावों को विधेयक पर खण्ड वार चर्चा करते समय उसमें सम्मिलित कर दिया जायेगा ।

Shri K. N. Tiwary : I welcome this bill and would like to put forward some suggestion. Land reforms have generally two aims in view. One is to give employment to the people and the other is to increase agricultual production. From 75 to 80 percent people in India live on agriculture. As the Industries have not very advanced as yet,that it may provide employment for everybody.

Agricultural production had received a setback even in a developed Socialist Country like Russia. She is importing wheat worth 94 to 96 crores from America. Forty years back there was lan dreforms, but the production has not increased. By imposing ceiling, the production will increase, this is also doubtful matter. Distribution of land among the landless people and the consequent fragmentation of holdings will not help increasing production. In my opinion the former must have sufficient land to till, he should an economic holdings.

The conditions of agricultural population in India was already in a very bad predicament. Accordingly to the latest reports rural indebtedness had gone up. In the circumstances ceilings of land will only increase the difficulties of the farmers. Their children and dependents would be deprised of the benefits of higher education. Their standard of living will also naturally come

down. Therefore I urge that compensation for land acquired should be paid to the farmers at the market value. In addition to that they should be entitled to the costs that they might have incurred on the improvement of those lands.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

श्री अ० श० आल्वा (मंगलौर) : यह संशोधन राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह इस बारे में कानून बना सकें । इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों से भूमि ली जाये उनको समुचित मुआविज़ा दिया जाना चाहिये । जिस व्यक्ति के पास सीमाधीन जमीन है उसे बाज़ार दर के हिसाब से मुआवज़ा दिया जाना चाहिये । यह मुआवज़ा वैसे भी न्यायसंगत होना चाहिये । यदि ऐसा न किया गया तो भारी गड़बड़ हो जाने का अन्देशा है इससे गांवों में बहुत से लोग बेकार हो जायेंगे और उनकी स्थिति काश्तकारों से भी शोचनीय हो जायेगी ।

संयुक्त समिति ने जो संशोधन प्रस्तावित किया है अर्थात्, "और जहां जमीन को व्यक्ति अपने निजी खेती के लिये प्रयोग करता हो" समाप्त होना चाहिये । यह खंड नहीं होना चाहिये । परिभाषा ऐसी होनी चाहिये कि उच्चतम सीमा के अन्तर्गत आने वाले लोगों को जो स्वयं काश्त करते हों छूट मिलनी चाहिये । उनकी भूमि का अर्जन नहीं होना चाहिये । इसके अतिरिक्त उच्चतम सीमा के अन्तर्गत आने वालों को उचित मुआवज़ा दिया जाना चाहिये । उच्चतम सीमा का निर्धारण भी सभी राज्यों में एक जैसा होना चाहिये ।

मेरा मत यह है कि कृषक के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है । शहरी व्यक्ति जितनी चाहे सम्पत्ति बना सकता है और जितना धन चाहे कमा सकता है, केवल उसे कुछ कर देने होते हैं । परन्तु कृषक के लिये बहुत कठिनाइयां हैं । उसकी आय की भी सीमा बनाई जा रही है और भूमि भी ली जा रही है । यदि वह स्वयं भी अपनी भूमि पर खेती करना चाहता हो तब भी अपनी भूमि से वंचित कर दिया जाता है । यदि भूमि पर पट्टेदार है तो भी वह उन्हें नहीं हटा सकता, चाहे भूमि उसकी सीमा के अन्दर ही आती हो भूमि को अपने कब्जे में लेने के लिए कोई कानुन ही नहीं है । केवल अदालत द्वारा अथवा राजस्व अदालत द्वारा ही हो सकता है । पट्टेदार काबिज रहे तो कुछ किराया मिल जाता है और सरकार भूमि पर कब्जा कर ले तो कुछ मुआवज़ा मिल जाता है ।

मैं उन लोगों का उल्लेख कर रहा हूं जो छोटे वर्ग के हैं । उच्चतम सीमा के अन्तर्गत आते हैं और उन्होंने भूमि भी बाज़ार दर से खरीदी है । जो कुछ भी उन्होंने सारी आयु में बचाया उस पर लगा दिया । कुछ भी बैंक इत्यादि में नहीं रखा । उसे उन्होंने एक अच्छा विनियोजन समझा । ऐसे लोगों को बाज़ार दर से मुआवज़ा दिया जाना चाहिये । सरकार को इस बात पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : The Government have never applied their mind to solve there problems for the last 17 years. In my opinion the Government's whole approach to the problems of agricultural land had been Superficial. Only when the obstacles come, the Government become aware of the problems. While forming enactments we must take into consideration the interests of the farmers and the land owners.

[Shri Kashi Ram Gupta]

Together with that is the problem of compensation. It is a very tough problem The procedures adopted by the various State Governments has caused a great discontent among the people. It is quite clear from the speeches that have been made in the House, by various members representing their States. The Government is simply trying to cover the faults of the State Governments by bring this measure. My submission is that they should have their own well-planned and clear approach to the matter. It should not be guided by political considerations. Because the political consideration do not bring in good results. We should give dispassionate thought to the problems and try to solve them. The policy adopted by the State Governments is not based on facts.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

*संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय राजदूत

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE: INDIAN AMBASSADOR IN U.A.R.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): अध्यक्ष महोदय, किसी राष्ट्र के विदेश स्थित दूतावासों का कार्य उन देशों में अपने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाना होता है। खेद है कि हमारे देश के दूतावासों को यह श्रेय नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे न केवल वित्तीय अनियमितताओं के शिकार रहे हैं वरन् उन्होंने चीन के मामले में हमारे देश को विश्व की नजरों में गिरा दिया है। परन्तु इसके लिये केवल वही जिम्मेदार नहीं हैं वरन् हमारी सरकार भी जो चीन के सम्बन्ध में खुश करने की नीति अपनाती चली जा रही है। मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार में आत्म-सम्मान की भावना तनिक भी नहीं है। यद्यपि चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था फिर भी हमने न केवल कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया वरन् उसके बाद भी अपमान पर अपमान सहते चले आ रहे हैं।

चीन के आक्रमण के कुछ समय बाद ही जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री पेकिंग गये तो उसके सम्मान में श्री चाऊ एन लाई ने जो समारोह किया उसमें हमारे स्थानापन्न राजदूत का भाग लेना और हमारी सरकार का उनको वैसा करने की अनुमति दे देना राष्ट्रीय सम्मान के लिये अत्यन्त घातक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने दिसम्बर, १९६२ में अपने राजदूतावासों को यह निदेश दिया था कि चीन के स्वागत समारोहों में भाग न लिया जाये। मेरा निवेदन है कि यदि आप अपने निदेशों का पालन करने में असमर्थ हैं तो उनको जारी ही क्यों करते हैं ? इसके अतिरिक्त हमारा इस समारोह में भाग लेना इसलिये और भी शर्मनाक है कि वह समारोह आजाद काश्मीर के १२००० वर्ग मील क्षेत्र के पाकिस्तान द्वारा चीन को दिये जाने के सम्बन्ध में आयोजित किया गया था। जब प्रधान मंत्री का ध्यान इस अपमानजनक कांड की ओर दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध खराब हैं इसलिये उनके लिये उसमें भाग लेना वांछनीय था। उचित तो यह है कि प्रधान मंत्री अपनी गलती स्वीकार करें।

यह अपमानजनक कथा यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। दिसम्बर, १९६३ में फिर हमारे काहिरा स्थित राजदूत ने श्री चाऊ एन लाई द्वारा चीनी दूतावास में आयोजित स्वागत समारोह में

*आधे घंटे की चर्चा

भाग लेने की अनुमति मांगी जब कि नवम्बर, १९६३ में ही दिसम्बर, १९६२ का वह निदेश दुहरा दिया गया था कि चीन द्वारा आयोजित समारोहों में भाग न लिया जाये। मेरा निवेदन है कि जब स्पष्ट निदेश दिया जा चुका था तो फिर ऐसा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जिस व्यक्ति में तनिक भी आत्म-सम्मान की भावना होगी वह ऐसा कभी नहीं करेगा। चीन जैसे दुश्मन के साथ एक मेज पर बैठ कर भोजन करना अत्यन्त निन्दनीय कार्य है। जब श्री चागला ब्रिटेन द्वारा भारत और पाकिस्तान की अनुचित तुलना किये जाने पर श्री पेट्रिक डीन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेने से इन्कार कर चुके थे तो फिर हमारे काहिरा स्थित राजदूत उस स्वागत समारोह में भाग लेने का लोभ क्यों नहीं संवरण कर सके? यदि इसे उच्च राजनीति कहा जाये तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार की राजनीति अत्यन्त राष्ट्रघातक है। जब प्रधान मंत्री का ध्यान राजदूत के इस कार्य की ओर दिलाया गया तो उन्होंने ३० मार्च, १९६४ को सभा में यह उत्तर दिया कि राजदूत ने हमारे निदेश को गलत समझा। परन्तु मै समझता हूं कि वे निदेश इतने सुस्पष्ट हैं कि उनके सम्बन्ध में गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं हैं। वास्तविक बात यह है कि इन सब बातों के लिये हमारी सरकार की कमजोर नीति ही जिम्मेदार है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): मेरा निवेदन है कि सरकार के निर्देश सर्वथा स्पष्ट थे फिर भी हमारे राजदूत ने सरकार से उस समारोह में भाग लेने की अनुमति मांगी और सरकार के मना करने पर भी उन्होंने उस समारोह में भाग लिया। फिर भी हमारी सरकार ने उनको कोई दंड नहीं दिया वरने सुना है कि उनको पदोन्नत करके वैदेशिक कार्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि इस दयनीय स्थिति का क्या कारण है?

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मेरा निवेदन है कि हमारे काहिरा स्थित राजदूत का सरकार से उस समारोह में भाग लेने के बारे में पूछताछ करना इस बात का द्योतक है कि उनका इरादा नेकनीयत था और उनका आचरण ऐसा नहीं कहा जा सकता जिससे यह समझा जाये कि उनको देश के सम्मान का ध्यान नहीं था।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): हम चीन द्वारा आयोजित समारोहों में भाग लेने के सम्बन्ध में अपने दूतावासों को समय समय पर निदेश करते रहे हैं और मझे यह बताते हुए खुशी होती है कि उन्होंने सदैव उन निदेशों का पालन किया है। जहां तक काहिरा के मामले का सम्बन्ध है हमारे राजदूत ने हमसे पत्र द्वारा पूछा था और हमने उनको यह लिख दिया था कि राजदूत सम्बन्धित सरकारों द्वारा आयोजित समारोहों में भाग ले सकते हैं। यह वाक्य बहुत स्पष्ट नहीं था अतः उन्होंने समझा कि 'सम्बन्धित सरकारों' का तात्पर्य चीन की सरकार और संयक्त अरब गणराज्य की सरकार दोनों से है।

श्री हरि विष्णु कामत: माननीया मंत्री सही बात को छिपाने की कोशिश कर रही हैं।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन: मैं कुछ भी नहीं छिपा रही हूं। मैं यह समझाने का प्रयत्न कर रही हूं कि वास्तव में राजदूत ने हमारी बात को गलत समझा। जब यह मामला उठाया गया तो हमने राजदूत से स्पष्टीकरण मांगा और उन्होंने हमें यही बताया कि उनके समझने में गलती हुई। उन्होंने 'सम्बन्धित सरकारों' का अर्थ संयुक्त अरब गणराज्य और चीन दोनों देशों की सरकारें समझा।

श्री हेम बरुआ : इसका मतलब है कि उनको अंग्रेजी पढ़नी चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : उनको दंडित किया जाना चाहिये ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : चूंकि माननीय सदस्य मेरी बात नहीं सुनना चाहते इसलिये मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती ।

विना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): जैसा कि मेरी सहयोगी ने अभी बताया जो आदेश जारी किये गये थे । वे स्पष्ट थे परन्तु थोड़ी सी गलती हमारी भी रही । मैंने इन दो तीन महीनों सम्बन्धित राजदूत को बहुत योग्य पाया है । मैं निश्चित जानकारी के आधार पर ऐसा कह रहा हूं केवल प्रशंसा करने के लिये नहीं । कोलम्बो तथा जकर्ता सम्मेलनों में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमने जो पत्र भेजा था वह अधिक स्पष्ट होना चहिये था । इस दृष्टि से हमसे गलती हुई । मैंने उस व्यक्ति से भी जिसने वह पत्र भेजा था यह कहा है कि वह उत्तर अधिक स्पष्ट होना चाहिये था । मैं यह गलती स्वीकार करता हूं । इससे अधिक माननीय सदस्य क्या चाहते हैं । मैं यह भी मानने के लिये तैयार हूं कि राजदूत को अधिक बुद्धिमानी से काम लेना चाहिये था । परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि राजदूत ने जानबुझ कर वह गलती की ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा की बैठक स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार २७ अप्रैल, १९६४/७ वैशाख, १८८६ (शक) के ग्यारह म० पू० बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 27, 1964/Vaisakha 7, 1886 (Saka)

GMGIPND—LS III—642 (ai) LSD—9-7-64—600